खण्ड-445, अंक-4
बुधवार, 14 फाल्गुन, शक संवत् 1924
(5 मार्च, 2003 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2003)

खण्ड 445 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2003

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री की नेता विरोधी दल के कथन पर आपत्ति (जारी)...	1
प्रश्नोत्तर	1-69
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	69
जनपद झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्रान्तर्गत 10 एम0 बी0 ए0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद मेरठ के मेरठ परिकतगढ़ मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्रान्तर्गत शेर के हमले से मृत व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	70-71
जनपद एटा एवं आसपास के जनपदों की डाकूग्रस्त समस्या का निदान कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	71
जनपद देवरिया नगर क्षेत्र में उमानगर की मुख्य सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71-72
जनपद बाराबंकी के ग्राम सुवेहा के कतिपय दबंग व्यक्तियों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	72
जनपद बांदा के नगरपालिका परिषद् क्षेत्रान्तर्गत पेयजल आपूर्ति की समस्या का निदान कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	72-73
दुधवा टाइगर रिजर्व निदेशक समूह "ग" की परीक्षा में आरक्षण नियमों का पालन न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	73-75
मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (जारी)	75-76
औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं का स्थगन	76
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2002 (सदन के पटल पर रखी गयी)	76
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2002 (सदन के पटल पर रखी गयी)	76
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2002 (सदन के पटल पर रखी गयी)	76

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखें (44वीं) स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि खाता (सदन के पटल पर पखा गया) ..	77
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2002 (सदन के पटल पर रखी गयीं) ...	77
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं) ...	77
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं) ...	77-78
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-39/11-9-(78)/2001 उ0 प्र0 अधि0-15-48 नियम-1948-2003(1) दि0 3 जनवरी, 2003 (सदन के पटल पर रखी गयीं)...	78
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-4380/ग्यारह-9-(81)/91 उ0 प्र0 अधि0-12-2000 आदेश (11) 2002, दि0 7-10-2002 (सदन के पटल पर रखी गयीं)	78
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-3482/11-9-(81)/91 उ0 प्र0 अधि0-12-2000 आदेश (12) 2002, दि0 7-10-2002 (सदन के पटल पर रखी गयीं)...	78
नियम 301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	78
उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) (संशोधन) नियमावली, 2003 (सदन के पटल पर रखी गयीं)	79
उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2003 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया)	79
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2003 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	79
सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2003 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	79
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2003 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	79
मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाना	80
सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री की नेता विरोधी दल के कथन पर आपत्ति (जारी)	80-82
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	82-83

विषय	पृष्ठ-संख्या
सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री की नेता विरोधी दल के कथन पर आपत्ति (जारी)	84
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	84
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	84-87
सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री की नेता विरोधी दल के कथन पर आपत्ति (जारी)	87-88
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत)	88
सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री की नेता विरोधी दल के कथन पर आपत्ति ...	89
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान :	
अनुदान संख्या-01 आबकारी (स्वीकृत)	89-90
अनुदान संख्या-02 आवास विभाग (स्वीकृत)...	90
अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)...	90
अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत) ...	90-91
अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत)... ...	91
अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ...	91
अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)...	91-92
अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत)	92
अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	92-93
अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) (स्वीकृत)	93
अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत) ...	93
अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत) ...	93-94
अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ...	94
अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	94
अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) ...	94
अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग, ...	95
अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग,...	95
अनुदान संख्या-22 खेल विभाग, ...	95
अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग, ...	95

विषय				पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पूलिस), अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-28, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा एवं अन्य व्यय), अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग, अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग, अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग, अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग,	...	...		96
अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग,	...	...	...	96
अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग,	...	...	...	96
अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग,		...	...	96
अनुदान संख्या-50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन),		...	...	96
अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत),			...	96
अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय),			...	96
अनुदान संख्या-54, लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान),		...	...	96
अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन),		...	...	96
अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन),		...	...	96
अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति विभाग),			...	96
अनुदान संख्या-60, वन विभाग,	...	...	...	96
अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय),			...	96
अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि),			...	96
अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा),		...	...	96
अनुदान संख्या-67, विधान परिषद् सचिवालय,		...	...	96
अनुदान संख्या-70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,		...	...	96
अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा),		...	...	96
अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा),		...	...	96
अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा),		...	...	96
अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण),		...	...	96
अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन),		...	...	96
अनुदान संख्या-79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण),				... 96
अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना),		...	...	... 96

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) अनुदान संख्या-86, सूचना विभाग, अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग, ...	96
अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर), ...	96
अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), ...	96
अनुदान संख्या-91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), ...	96
अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग एवं	96
अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	96
उत्तर प्रदेश विनियोग (2002-2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित एवं पारित)	97-103
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्ताव पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विधेयक का पुरःस्थापन एवं पारण श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण के कार्यक्रम तथा वर्तमान मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी प्रस्ताव को प्रक्रिया नियमावली के संगत उपबन्धों को निलम्बित कर आज की कार्यसूची में लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	103-104
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिये लेखानुदान पर मतदान (स्वीकृत)	104
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित एवं पारित) ...	104-113
मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (अस्वीकृत)	113-114
सदन का अनिश्चित काल के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	114
राष्ट्रीय गान	115

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 2003

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-400

1-अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2-अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3-अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4-अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5-अजय कुमार, श्री — बागपत
6-अजय राय, श्री — वाराणसी
7-अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — बदायूं
8-अर्जीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
9-अताउल रहमान, श्री — बरेली
10-अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
11-अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
12-अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
13-अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
14-अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
15-अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
16-अनिल कुमार पासवान, श्री — हरदोई
17-अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
18-अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
19-अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
20-अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
21-अनुराधा चौधरी, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
22-अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
23-अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
24-अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
25-अब्दुल कलाम, श्री — संत कबीर नगर
26-अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
27-अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री — बाराबंकी
28-अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
29-अमरमणि, श्री — महराजगंज
30-अमर सिंह यादव, श्री पुत्र श्री सुन्दर सिंह — हाथरस
31-अमिता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
32-अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
33-अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
34-अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
35-अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
36-अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 — जालौन
37-अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
38-अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
39-अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
40-अली बहादुर, श्री — बहराइच
41-अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
42-अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
43-अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
44-अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
45-अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
46-आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थ नगर
47-आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
48-आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
49-आर0एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
50-आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
51-आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
52-आलम बदी, श्री — आजमगढ़
53-आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
54-आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
55-आशीष यादव, श्री — बदायूं
56-आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
57-इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
58-इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी

59-इन्द्रदेव सिंह, डा0 बिजनौर
60-इलम सिंह, श्री सहारनपुर
61-उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
62-उदयभान सिंह, श्री वाराणसी
63-उदयराज, श्री उन्नाव
64-उमा किरन, श्रीमती मुजफ्फरनगर
65-उमा शंकर कुशवाहा, श्री गाजीपुर
66-ऊषा वर्मा, श्रीमती हरदोई
67-ओइमवेश, स्वामी बिजनौर
68-ओमकार सिंह यादव, श्री बदायूं
69-ओम प्रकाश,श्री गाजीपुर
70-ओम प्रकाश, श्री सीतापुर
71-ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर
72-ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
73-ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
74-ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
75-कपिल देव यादव, श्री मऊ
76-कमला प्रसाद रावत, श्री बाराबंकी
77-कमलेश कुमार पासवान, श्री गोरखपुर
78-कमलेश कुमार पाठक, श्री कानपुर देहात
79-कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
80-कल्याण सिंह, श्री अलीगढ़
81-कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
82-काजिम अली खां उर्फ रामपुर
नवेद मियां, नवाब
83-कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
84-कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
85-काशी राम, श्री रामपुर
86-किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
87-किरनपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
88-किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
89-कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री बिजनौर
90-कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
91-कृष्ण कुमार सिंह उर्फ हरदोई
सतीश वर्मा, श्री
92-कृष्णानन्द राय, श्री गाजीपुर
93-कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
94-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
95-कैलाश, श्री गाजीपुर
96-कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
97-कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री वाराणसी
98-कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
99-कौकब हमीद खां, श्री बागपत
100-कौशल किशोर, श्री खीरी
101-कौशल किशोर, श्री लखनऊ
102-गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
103-गंगा बक्श सिंह, डा0 उन्नाव
104-गंगा भक्त सिंह, श्री हरदोई
105-गया चरन दिनकर, श्री बांदा
106-गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
107-गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
108-घनश्याम शुक्ल,श्री गोण्डा
109-घूरा राम, श्री बलिया
110-चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
111-चन्द्रदेव राम यादव करैली, श्री आजमगढ़
112-चन्द्र भद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
113-चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती
114-चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
115-छेदी राम, श्री गाजीपुर
116-छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
117-छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
118-जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
119-जगदीश नारायण (राय), श्री जौनपुर
120-जगदीश मिश्र
बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर पडरौना
121-जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
122-जगदीश सोनकर,श्री जौनपुर
123-जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
124-जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
125-जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
126-जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
127-जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
128-जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
129-जगराम विमल, श्री अम्बेडकर नगर

130-जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
131-जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
132-जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया,श्री — गोरखपुर
133-जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
134-ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
135-तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
136-दद्दू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
137-दयाराम, श्री — कौशाम्बी
138-दया शंकर वर्मा, श्री — जालौन
139-दिनेश सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
140-दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
141-दीनानाथ भाष्कर, श्री — सन्त रविदास नगर, भदोही
142-दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
143-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
144-देवकी नन्दन, श्री — हाथरस
145-देव नारायन उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री — गोरखपुर
146-देवेन्द्र नागपाल, श्री — ज्योतिबा फूलेनगर
147-देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
148-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
149-द्वारिका प्रसाद, श्री — सन्त कबीर नगर
150-धर्मपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
151-धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
152-धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकर नगर
153-धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
154-धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
155-धू राम, श्री — हमीरपुर
156-नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
157-नरेन्द्र कुमार, श्री — गौतमबुद्धनगर
158-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 — इलाहाबाद
159-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
160-नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
161-नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री — गाजियाबाद
162-नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
163-नवाब सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
164-नारद राय, श्री — बलिया
165-पकौड़ी लाल, श्री — मिर्जापुर
166-परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
167-पारसनाथ यादव, श्री — जौनपुर
168-पी0 के राय, डा0 — कुशीनगर/पडरौना
169-पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
170-पीतम राम, श्री — पीलीभीत
171-पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
172-पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर/पडरौना
173-प्रताप चौधरी, श्री — हाथरस
174-प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
175-प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
176-प्रभु नारायण, श्री — वाराणसी
177-प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
178-प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ़
179-प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
180-प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
181-प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
182-प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
183-फतेह बहादुर श्री — महराजगंज
184-फसीहा मुराद लारी उर्फ गजाला, श्रीमती — देवरिया
185-फागू, श्री — मऊ
186-बंशीधर राज, श्री — खीरी
187-बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
188-बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
189-बाबूराम, एम0काम0, श्री — जालौन
190-बाबूलाल, श्री — गोण्डा
191-बाबूलाल, चौधरी — आगरा
192-बाबूलाल कुशवाहा, श्री — बांदा
193-बिजय सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
194-बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
195-बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
196-बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री — झांसी
197-बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट — जालौन
198-बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ

199-बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
200-ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
201-भगवत शरन गंगवार, श्री — बरेली
202-भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
203-भरत सिंह, श्री — बलिया
204-भारतेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
205-भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
206-मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
207-मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
208-मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
209-मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
210-मदन भैया, श्री — बागपत
211-मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री — इटावा
212-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
213-मलिक मसूद, श्री — आजमगढ़
214-मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
215-मस्त राम चौ0, एडवोकेट — उन्नाव
216-महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
217-महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री — आगरा
218-महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
219-महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी — अलीगढ़
220-महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
221-महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
222-महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
223-महेश नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
224-माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
225-मानपाल सिंह, श्री — एटा
226-माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
227-मायावती, सुश्री — सहारनपुर
228-मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
229-मुकुट बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
230-मुश्ताक सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
231-मूलचन्द्र, श्री — बिजनौर
232-मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
233-मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
234-मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
235-मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
236-मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
237-मोहम्मद बशीर, श्री — आगरा
238-मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
239-मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
240-मो0 शफीर, श्री — फतेहपुर
241-यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
242-यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
243-याकूब हाजी, श्री — मेरठ
244-योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
245-योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री — गोण्डा
246-रणवीर सिंह राणा, श्री — मेरठ
247-रतनजीत प्रताप नारायण सिंह कुंवर, श्री — कुशीनगर/पडरौना
248-रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
249-रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर/पडरौना
250-रमेशकान्त लवानियां, श्री — आगरा
251-रमेश कुमार शर्मा, श्री — झांसी
252-रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 — मिर्जापुर
253-रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 — मेरठ
254-राकेश कुमार वर्मा, श्री — बाराबंकी
255-राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकर नगर
256-राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
257-राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
258-राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
259-राजपाल सिंह बालियान, श्री — मुजफ्फरनगर
260-राजपाल सिंह सैनी, श्री — मुजफ्फरनगर
261-राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
262-राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
263-राजवीर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
264-राजाराम, श्री — प्रतापगढ़
265-राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
266-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़

267-राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
268-राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री एटा
269-राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
270-राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
271-राजेश कुमार, श्री खीरी
272-राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
273-राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
274-राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर/पडरौना
275-राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
276-राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
277-राम करन आर्य, श्री बस्ती
278-राम किशुन, श्री वाराणसी
279-राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
280-राम कृष्ण, श्री सीतापुर
281-राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
282-रामजी शुक्ला, श्री औरैया
283-राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
284-रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
285-रामपाल यादव,श्री सीतापुर
286-राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री कन्नौज
287-राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
288-राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
289-राम बाबू हरित, डा0 आगरा
290-राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
291-राम भुआल निषाद, श्री गोरखपुर
292-राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
293-रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
294-रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
295-रामशंकर पाल, श्री उन्नाव
296-राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
297-राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
298-राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
299-रामहेत सिंह, श्री सीतापुर
300-रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
301-रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
302-रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
303-रेवती रमण सिंह, कुं0 इलाहाबाद
304-लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
305-लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
306-लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
307-लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
308-लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
309-लुईस खुर्शीद, श्रीमती फर्रुखाबाद
310-वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
311-वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
312-विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
313-विजय कुमार मिश्रा, श्री सन्त रविदास नगर, भदोही
314-विजय बहादुर पाल, श्री फर्रुखाबाद
315-विजय सिंह, श्री सोनभद्र
316-विज्ञेन्द्र सिंह, श्री हाथरस
317-विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
318-विद्या सागर गुप्ता,श्री लखनऊ
319-विनय शाक्य, श्री औरैया
320-विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
321-विनोद कुमार यादव कक्का, श्री इटावा
322-विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
323-विनोद तिवारी, डा0 पीलीभीत
324-विमल कृष्ण अग्रवाल उर्फ पप्पी, श्री बदायूं
325-विवेक बंसल, श्री अलीगढ़
326-विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
327-विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
328-वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री शाहजहांपुर
329-वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री बरेली
330-वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
331-वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री ललितपुर
332-वीरेश्वर, श्री अलीगढ़
333-वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
334-शंखलाल मांझी, श्री सन्त कबीर नगर
345-शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी,श्री सन्त रविदास नगर, भदोही
336-शब्बीर, श्री बहराइच

337-शमीमुल हक, श्री — मुरादाबाद
338-शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
339-शहजिल इस्लाम, श्री — बरेली
340-शाकिर अली, श्री — देवरिया
341-शारदा देवी, श्रीमती — गोरखपुर
342-शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
343-शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
344-शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
345-शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
346-शिव चरन, श्री — हमीरपुर
347-शिव तपस्या पासवान, श्री — चन्दौली
348-शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
349-शिव प्रताप यादव, डा0 — बलरामपुर
350-शिवाकान्त ओझा, प्रो0 — प्रतापगढ़
351-शिवेन्द्र कुमार उर्फ शिव बाबू, — श्रीमहराजगंज
352-शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
353-शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री — जौनपुर
354-श्याम सिंह अहेरिया, श्री — मथुरा
355-श्यामदेव राय चौधरी, श्री — वाराणसी
356-श्याम नारायण, श्री — महराजगंज
357-श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
358-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
359-श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
360-संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
361-संजीव दरियाबादी, श्री — कानपुर नगर
362-संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
363-सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
364-सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
365-सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
366-सत्य नारायण, श्री — हरदोई
367-सन्ध्या कटेरिया, कु0 — मैनपुरी
368-समरपाल सिंह, श्री — बागपत
369-सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0 — मुरादाबाद
370-सलिल विशनोई, श्री — कानपुर नगर
371-सिद्ध गोपाल साहू, श्री — महोबा
372-सियाराम सागर, डा0 — बरेली
373-सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
374-सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
375-सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
376-सुन्दर लाल, श्री — उन्नाव
377-सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
378-सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा0 — बांदा
379-सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री — गाजियाबाद
380-सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — जौनपुर
381-सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री — रायबरेली
382-सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
383-सुरेश कुमार खन्ना,श्री — शाहजहांपुर
384-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
385-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
386-सुल्तान बेग, श्री — बरेली
387-सुशील चौधरी, डा0 — सहारनपुर
388-सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
389-सोमारू राम सरोज, श्री — जौनपुर
390-सोवरन सिंह, श्री — मैनपुरी
391-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
392-हरिओम यादव, श्री — फिरोजाबाद
393-हरि प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
394-हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
395-हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री — वाराणसी
396-हीरा लाल गौतम, श्री — आजमगढ़
397-हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
398-होशियार सिंह, श्री — बुलन्दशहर
399-जंग बहादुर, श्री — सुल्तानपुर
400-अरविन्द सिंह, श्री — बाराबंकी
***रिक्त

नोट :-श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, परिवहन मंत्री एवं आबकारी मंत्री तथा श्री बाबू सिंह कुशवाहा, भूतत्व एवं खनिज मंत्री भी सदन में उपस्थित थे।

बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 2003

श्री अधिठाता के पीठासीन होने पर

सार्वजनिक उद्यम मंत्री को नेता विरोधी दल के कथन पर आपत्ति

सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री (श्री हाजी याकूब)-

मान्यवर, मेरी मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंची है।

(सत्ता पक्ष व विपक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आंप लोग सदन की कार्यवाही चलने दीजिये। प्रश्नकाल चलने दें।

हाजी याकूब-

यह मुसलमानों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अधिष्ठाता-

सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकगण बैठ जाएं। सदन की कार्यवाही चलने दें। आप लोग आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान जारी)

इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष व विपक्ष दोनों की है। हर व्यक्ति को अपनी-अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष से भी निवेदन है कि वह कृपया बैठ जाएं।

श्री प्रमोद कुमार-

इससे साबित हो गया है कि यह सरकार अल्पमत में है। इसलिये यह सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते हैं। हमारे अविश्वास प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा कराई जाए।

(व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता-

मैं सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 11 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 25 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।)

(11 बजकर 25 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 12 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है।)

(12 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बाल श्रमिकों के पुनरुत्थान हेतु योजना

**1-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाल श्रमिकों के पुनरुत्थान के लिये सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-उ0 प्र0 विधान सभा नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10-12-96 के अनुपालन में खतरनाक प्रक्रियाओं एवं व्यवसायों में चिन्हित बाल श्रमिकों के सेवायोजकों से प्रतिकर के रूप में 20,000 रु0 प्रति बाल श्रमिक की दर से धनराशि वसूल की जाती है।

2-बाल श्रमिक परिवार के सक्षम् वयस्क सदस्य को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बाल श्रम बाहुल्य प्रत्येक जनपद में गठित जनपद बाल-श्रम पुनर्वासन एवं कल्याण निधि में अंशदान/अनुदान के रूप में सरकार द्वारा 5000 रु0 की धनराशि जमा की जाती है। इस प्रकार कुल धनराशि रु0 25000/- पर अर्जित आय से बाल श्रमिक को शिक्षित करने के उद्देश्य से उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

3-बाल श्रम बाहुल्य प्रत्येक जनपद में गठित जनपद बाल श्रम पुनर्वासन एवं कल्याण निधि में निवेशित रु0 5 लाख से अर्जित ब्याज की धनराशि के बाल श्रमिकों के पुनरुत्थान में व्यय किये जाने का प्राविधान है।

4-खतरनाक एवं गैर खतरनाक व्यवसायों में चिन्हित बाल श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत विशेष बाल श्रमिक विद्यालय संचालित होते हैं, जिनमें प्रत्येक बच्चे को रु0 2.50 का दोपहर का भोजन एवं रु0 100 प्रतिमाह स्टाईपेन्ड प्रदान करने की व्यवस्था है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद सोनभद्र में क्षय रोग के रोकथाम की व्यवस्था

*1-श्री विजय सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद सोनभद्र के औद्योगिक क्षेत्र ओबरा रेणुकूट, अनपरा, शक्तिनगर के आसपास दमा, श्वास, टी0 वी0 के रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है ? यदि हां, तो इस वृद्धि के कारणों की जांच की गई ? सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षय रोग की रोकथाम के लिये जनपद-सोनभद्र में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत नये क्षय रोगियों की खोज करके समुचित उपचार किया जा रहा है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान हेतु कार्य योजना

*1-श्री कल्यान सिंह दोहरे-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए सरकार कोई नई कार्य योजना बना रही है ? क्या सरकार इनके लिए

अलग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

प्रश्नगत प्रयोजन हेतु कोई नयी कार्य योजना बनाने का प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए पहले से ही समाज कल्याण निदेशालय/जनजाति विकास विभाग स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में औषधीय पौधों/आयुर्वेदिक महत्व की वनस्पतियों के रोपण/संवर्धन/विपणन एवं हर्बल पार्क बनाने की योजना

*2-श्री धनन्जय सिंह-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में औषधीय पौधों/आयुर्वेदिक महत्व की वनस्पतियों के रोपण/संवर्धन/विपणन के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? क्या सरकार हर्बल पार्क या हर्बल जोन बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां हर्बल पार्क या हर्बल जोन बनाने पर विचार किया जा रहा है ?

वन मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह)-

उत्तर प्रदेश वन विभाग में औषधीय पौधों एवं आयुर्वेदिक महत्व की वनस्पतियों के रोपण, संवर्धन एवं विपणन का कार्य उ0 प्र0 वन निगम के माध्यम से कराया जा रहा है। झांसी एवं विन्ध्यवृत्तों के वनों में पायी जाने वाली औषधीय/आयुर्वेदिक महत्व की वनस्पतियों के विकास हेतु वन निगम द्वारा एक योजना बनाई गयी है। परियोजना की अवधि 5 वर्ष एवं व्यय रु0 515.686 लाख अनुमानित हैं इस योजना को वित्त पोषण हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है।

उपरोक्त परियोजना में एक हर्बल गार्डन झांसी में, एक-एक औषधीय पौधशालाओं तथा 3000 हे0 में औषधीय वृक्षारोपण का कार्य झांसी एवं ललितपुर में किये जाने की व्यवस्था है।

प्रदेश में वनों के अवैध कटान रोकने के उपाय

*3-श्री संजय गर्ग-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वनों के अवैध कटान से वन्य जीवों के लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कटान रोकने हेतु किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जी नहीं।

अवैध कटान रोकने के लिए फील्ड स्टाफ द्वारा निरन्तर गश्त की जाती है, अतः अलग से कार्य योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों की कन्याओं के विवाह हेतु अनुदान देने की योजना

*4-श्री सिद्ध गोपाल साहू-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज के आर्थिक रूप के कमजोर सभी वर्गों की कन्याओं के विवाह हेतु अनुदान दिये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वृक्षारोपण की नीति

*5-श्री राम करन आर्य-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृक्षारोपण हेतु क्या नीति निर्धारित की गई है ? क्या सरकार बड़े काश्तकारों को उनकी जमीन पर वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन दिये जाने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

वनिकी से संबंधित समग्र विकास के लिए राज्य वन नीति 1998 बनायी गई है। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के निम्नीकृत और रिक्तभूमि चाहे वह वनभूमि हों या गैर वन भूमि पर ईधन की लकड़ी और चारे के विकास पर बल देते हुए व्यापक वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इसी के अनुरूप विभिन्न प्रकार की उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण किया जा रहा है।

सामान्यतया कृषि वानिकी के अन्तर्गत कृषकों की खाली पड़ी जमीन पर शीघ्र बढ़ने वाले पौधों के रोपण हेतु वन विभाग द्वारा निःशुल्क तकनीकी ज्ञान कास्तकारों को उपलब्ध कराकर उन्हें वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक बीस वर्षीय विशिष्ट योजना भी बनायी गयी है जिसके अन्तर्गत बड़ी जोत वाले कास्तकारों को एक वर्ष में 2 करोड़ उच्च गुणवत्ता वाले सशुल्क पौध उपलब्ध कराकर भी प्रोत्साहित करने का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

*6-श्री महबूब अली-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

*7-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में सिंचाई हेतु मिट्टी के तेल से चलने वाले पम्पिंग सेटों हेतु मिट्टी के तेल की उपलब्धता

*8-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को मिट्टी के तेल से चलने वाले पम्पिंग सेटों से सिंचाई कार्य के लिए मिट्टी के तेल की उपलब्धता के बारे में सरकार कोई रणनीति बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बाबू राम एम0काम0)-

जी नहीं।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में वर्षों से कार्यरत एसोसियेट प्रोफेसरों की प्रोन्नति संबंधी नीति

*9-डा0 पी0 के0 राय-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में ऐसे कितने एसोसियेट प्रोफेसर हैं जो बीस साल से अधिक अवधि से उसी पद पर कार्यरत हैं ? ऐसे एसोसियेट प्रोफेसरों की पदोन्नति हेतु क्या शासन कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (होम्योपैथिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद चिकित्सा को छोड़कर) (श्री लाल जी वर्मा)-

कुल 6 एसोसियेट प्रोफेसर ऐसे हैं जो बीस वर्ष से अधिक अवधि से राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में उसी पद पर कार्यरत हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 प्रवृत्त है।

संबंधित विशिष्टता में पद उपलब्ध होने की दशा में सेवा नियमावली के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में औषधि प्रयोग में आने वाले पौधों की खेती करने हेतु मेडिसिनल प्लान्ट बोर्ड के गठन की योजना

*10-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औषधि प्रयोग में आने वाले पौधों की खेती किये जाने हेतु प्रोत्साहन दिये जाने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार मेडिसिनल प्लान्ट बोर्ड के गठन पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आयुर्वेद चिकित्सा मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला)-

जी हां।

औषधीय पौधों की खेती के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा नेशनल प्लान्ट बोर्ड के अन्तर्गत प्रदेश में उक्त पौधों की खेती को प्रोत्साहित किये जाने हेतु निम्नवत् वित्तीय सहायता देने का प्राविधान है:--

(1) लघु सीमान्त कृषक जिनकी भूमि 02 हेक्टेयर से कम हो 50 प्रतिशत सहायता।

(2) मध्यम श्रेणी कृषि योग्य भूमि 02-10 हेक्टेयर 40 प्रतिशत।

(3) ऐसे कृषक जिनकी भूमि 10 हेक्टेयर या उससे अधिक हो 30 प्रतिशत अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बहराइच में कुत्ता काटने से बचाव की सुई मांग के अनुसार सप्लाई की व्यवस्था की जानकारी

1-डा0 वकार अहमद शाह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच में वर्तमान में कुत्ता काटने से बचाव की सुई की मांग के अनुपात में इसकी सप्लाई क्या है ? क्या शासन उक्त सुई की मांग के अनुरूप सप्लाई की व्यवस्था करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

दिनांक 4 जून, 1996 को चिकित्सा अनुभाग-9 द्वारा यूनानी चिकित्साकों सम्बन्धी जारी शासनादेश पर कृत कार्यवाही की जानकारी

2-श्री रियाज अहमद-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-1760सेक/9/पांच 309/89 चिकित्सा अनुभाग-9, दिनांक 4 जून, 1996 द्वारा यूनानी चिकित्सकों से सम्बन्धित 4 प्रस्ताव शासन द्वारा जारी किये गये ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो शासनादेश का अनुपालन कब तक सुनिश्चित किया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी हां।

संदर्भित प्रस्ताव-पत्र दिनांक 4-6-2002 में उ0 प्र0 में पृथक एवं स्वतंत्र यूनानी सेवा निदेशालय की स्थापना पर कतिपय 4 बिन्दुओं पर कार्यवाही करके प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गये थे। प्रकरण में विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त उ0 प्र0 पृथक एवं स्वंतत्र यूनानी सेवा निदेशालय जनहित में न खोलने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

3-डा0 विनोद तिवारी-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के वेतन आहरण की जानकारी

4-श्री उदय राज-

विधान सभा द्वितीय सत्र 2002 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न-42 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला, हरदोई में 7 चिकित्सकों के पदों के अतिरिक्त अन्य 18 स्वीकृत पदों पर कौन-कौन से अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं और उनके नाम क्या हैं ? क्या उक्त चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत एलोपैथिक चिकित्सक का वेतन आहरित हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला, हरदोई में 7 चिकित्सकों के पदों के अतिरिक्त अन्य 18 स्वीकृत पदों पर कार्यरत कार्मिकों का विवरण निम्नवत् है:-

नाम	पद नाम
1-श्री धर्मेन्द्र कुमार कनौजिया	एक्सरे टेक्नीशियन
2-श्री सन्तराम	फार्मेसिस्ट
3-श्री श्रीराम	वरिष्ठ लिपिक
4-श्री के0 के0 कुशवाहा	लैब टेक्नीशियन
5-श्री अब्दुल कयूम	वाहन चालक
6-श्री अशोक कुमार अस्थाना	डेन्टल हाइजनिष्ट
7-श्रीमती चित्र रेखा	वार्ड आया
8-श्री वकार अहमद	वार्ड ब्वाय
9-श्रीमती उर्मिला त्रिपाठी	कुक
10-श्री अशोक कुमार	धोबी
11-श्री राम स्वरूप	स्वीपर
12-श्री प्रकाश	स्वीपर
13-श्री अशोक कुमार	स्वीपर

जी नहीं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला में स्त्री रोग विशेषज्ञ जब कार्यरत थी, नियमानुसार उनका वेतन आहरित हो रहा था। वर्तमान में पद रिक्त है।

जनपद हरदोई के पी0 पी0 सी0 सण्डीला में पैथोलाजिस्ट द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी को भेजे गये कथित मांग-पत्रों के सम्बन्ध में जानकारी

5-श्री उदय राज-

विधान सभा द्वितीय सत्र 2002 के दूसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न-26 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पी0 पी0 सी0 सण्डीला, हरदोई के पैथालाजिस्ट द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी को अगस्त, 2001 से सितम्बर, 2002 तक पैथोलोजी सम्बन्धी कितने मांग-पत्र भेजे गये तथा प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सी0 एम0 ओ0 हरादोई को उनमें से कितने मांग-पत्र आपूर्ति हेतु भेजे गये ? क्या उक्त मांग-पत्रों के आधार पर कितनें प्रतिशत सामान की आपूर्ति की गयी ? पूरा सामान आपूर्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री फागू चौहान)-

पी0 पी0 सी0 सण्डीला, हरदोई में पैथोलाजिस्ट का पद सृजित नहीं है और न ही कोई पैथालाजिस्ट चिकित्सक कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरौला के चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवैध वसूली, मारपीट करने विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

6-श्री शाकिर अली-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की जानकारी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरौला, जनपद-बलरामपुर के वर्तमान चिकित्सा अधिकारी उसी जनपद एवं उसी कस्बे के मूल निवासी होने के बाद भी विगत तीन वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या इनके द्वारा मरीजों एवं स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने, मारपीट, अभद्रता करने तथा अवैध वसूली करने की कोई शिकायतं मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर एवं महानिदेशक को मिली हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको तत्काल हटाकर इनके विरुद्ध जांच करायेगी, यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

जी हां।

इनके विरुद्ध जांच बैठा दी गयी है। इनके स्थानान्तरण पर वार्षिक स्थानान्तरण के समय विचार किया जायेगा।

जनपद बलरामपुर के सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र उतरौला पर डाक्टरों की कमी सम्बन्धी कथित प्रकरण

7-श्री अनवर महमूद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तनपद बलरामपुर के उतरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों की कमी के कारण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो डाक्टरों के रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों की कमी न होने के कारण प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में अल्पसंख्यक छात्रों को गत वर्ष की छात्रवृत्ति दिलाये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

8-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-7-2002 जो अल्पसंख्यक छात्रों को वर्ष 2001-2002 में छात्रवृत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्र संख्या 1908 दिनांक 18-07-02 को बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री नवाब काजिम अली खां)-

जी हां।

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैसीपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय सुनौरा रम्पुरा का मांग-पत्र दिनांक 3-10-2001 को प्राप्त हुआ। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण विद्यालय को छात्रवृत्ति की धनराशि नहीं दी जा सकी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड डुमरियागंज की न्याय पंचायत परसाईमाद में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए पोषाहार योजना संचालित कराये जाने की जानकारी

9-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या बाल विकास पुष्टाहार एवं महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड डुमरियागंज की न्याय पंचायत परसाईमाद में सम्मिलित ग्रामों में छः वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती, धात्री महिलाओं हेतु पोषाहार की योजना चलायी जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पूरे ब्लाक में उक्त योजना के तहत लाभ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1995-96 में परिसीमन में न्याय पंचायत परसाईमाद, विकास खण्ड रामनगर बस्ती से विकास खण्ड-डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर में सम्मिलित किया गया है। न्याय पंचायत परसाईमाद की जो 8 ग्राम पंचायतें विकास खण्ड डुमरियागंज सिद्धार्थनगर में सम्मिलित की गयी हैं उनके लिये केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं। इसलिये संचालन सम्भव नहीं है।

विकास खण्ड-डुमरियागंज में न्याय पंचायत परसाईमाद को छोड़कर अन्य न्याय पंचायतों में योजना संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तरांचल के एलोपैथिक चिकित्सालयों के विकल्पधारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों को कार्य मुक्त किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

10-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल के एलोपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत विकल्पधारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साकों को कार्य मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में उत्तरांचल के चिकित्सा शिक्षा सचिव ने अगस्त, 2001 में उ0 प्र0 सरकार को कोई पत्र उ0 प्र0 के चिकित्सा शिक्षा विभाग को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में क्या नीति अपनायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

राज्य सेवा संवर्गों के अधिकारियो/कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया व व्यवस्था के क्रम में प्रकरण से सम्बन्धित इंगित पत्र अगस्त, 2001 प्राप्त नहीं हुआ है। वरन् प्रकरण के सम्बन्ध में पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल शासन, लखनऊ को सम्बोधित सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तरांचल शासन का पत्र दिनांक 17-7-2001 प्राप्त हुआ है।

उ0 प्र0 राज्य एवं उत्तरांचल राज्य के मध्य पदों एवं कार्मिकों का अन्तिम आवंटन न होने के कारण प्रकरण अभी अनिस्तारित है ?

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर, क्षेत्र तिलहर में दाइयों का फर्जी ट्रेनिंग सेन्टर तथा कुलपति शर्मा को चिकित्सक का आवास अवैध रूप से आवंटित करने की जांच की मांग

11-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2002 के चौथे बुध के निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-32 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नगत जांच पूरी हो गयी है ? क्या प्रश्नगत जांच प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर पूर्ण की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत जांच उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (तृतीय) द्वारा की गई, जिन्होंने प्रश्नकर्ता को अपने पत्र दिनांक 16-12-2000 द्वारा साक्ष्य हेतु दिनांक 23-12-2000 को उपस्थित होने का अनुरोध किया था; परन्तु प्रश्नकर्ता के निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने के कारण उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर जांच पूर्ण कर ली गयी।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय अम्बेडकर ग्राम में वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

12-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम डिमोरा सिमरा अम्बेडकर ग्राम में वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-8-2002 पर मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

प्रश्नकर्ता के संदर्भित पत्र के साथ संलग्न 30 लाभार्थियों की सूची में से 27 लाभार्थियों के आवेदन-पत्र पूर्ण पाये गये, जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड जैतीपुर, ग्राम पेटरिदाही में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को राशन कार्ड जारी

13-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर में ग्राम पेटरिदाही के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के राशन कार्ड बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 28-8-02 के अनुपालन में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम0 काम0-

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम पिटरहाई व गौहावर के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी 11 व्यक्तियों (परिवार) के राशन कार्ड नियमानुसार जारी किये जा चुके हैं।

जनपद रामपुर, ब्लाक शाहाबाद में वृक्षारोपण का लक्ष्य/स्वीकृत धनराशि की जानकारी

14-श्री कार्शीराम-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के शाहाबाद ब्लाक में कितने एकड़ भूमि में सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 में वनों के विस्तार हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसके लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जनपद रामपुर के शाहाबाद ब्लाक में वर्ष 2002-2003 में 15 हेक्टेयर अर्थात् 37.5 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना था। इस लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है। इस कार्य हेतु व्यवस्था की गई धनराशि रु0 1,64,700 में से रु0 81,94,900 व्यय की जा चुकी है।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के मानक व जनपद हरदोई के विकास खण्ड हरियावां के ग्राम बूढ़ागांव में स्वीकृत पेंशन का विवरण

15-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने हेतु क्या मानक निर्धारित हैं ? हरदोई जनपद के हरियावां विकास खण्ड के ग्राम-बूढ़ागांव में 31 अगस्त, 2002 तक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा अब तक कुल कितने लोगों को वृद्धवस्था पेंशन स्वीकृत हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

वृद्धवस्था पेंशन हेतु निम्न मानक निर्धारित हैं:--

(1) 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे व्यक्तियों को वृद्धवस्था पेंशन अनुमन्य होगी, जिनकी मासिक आय रु0 1000/. (एक हजार) रुपये प्रति माह या इससे कम हो। ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धवस्था पेंशन के लिये ऐसे व्यक्ति अर्ह होंगे, जो भूमिहीन हों अथवा उनके पास 2.5 (ढाई) एकड़ तक भूमि हो। शहरी क्षेत्रों में केवल ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे, जिनकी मासिक आय समस्त स्रोतों से रु0 1000/. तक हो।

(2) ऐसे मामले जहां पति/पत्नी दोनों पात्र हैं, वहां नये प्रकरणों में पति-पत्नी में से केवल एक को ही वृद्धवस्था पेंशन अनुमन्य की जाय और ऐसे मामलों में महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जाय।

जनपद हरदोई के हरियावां विकास खण्ड के ग्राम बूढ़ागांव में अगस्त, 2002 तक कुल 4 वृद्ध/वृद्धाओं के आवेदन-पत्र ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत होकर प्राप्त हुए हैं।

पेंशन की धनराशि उनके बैंक खातों में हस्तान्तरित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तहसील स्तर पर कतिपय स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना व जनपद हरदोई में उपरोक्त सुविधा प्रदान किये जाने सम्बन्धी जानकारी

16-श्री विश्राम सिंह यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में तहसील स्तर पर महिला प्रसूति गृह और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या जनपद हरदोई के तहसील मुख्यालय बिलग्राम पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा महिला प्रसूति गृह की स्थापना किये जाने का प्रकरण सरकार के विचारार्धीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रदेश में तहसील स्तर पर महिला प्रसूति गृह के स्थापना की कोई योजना नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थापना की योजना जिला योजना के अन्तर्गत है।

जनपद हरदोई के तहसील मुख्यालय बिलग्राम पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का जिला योजना में प्रस्ताव नहीं रखा गया। तहसील मुख्यालय बिलग्राम पर प्रसवोत्तर केन्द्र स्थापित है।

जनपद हरदोई के बिलग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्सरे मशीन चालू कराने की मांग

17-श्री विश्राम सिंह यादव-

क्या स्वस्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के बिलग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्सरे मशीन उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलग्राम के चिकित्सकों द्वारा मरीजों को एक्सरे के लिए जिला अस्पताल हरदोई भेजा जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त मशीन कब तक चालू कर दी जायेगी ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

जी हां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलग्राम में रेडियोलाजिस्ट उपलब्ध न होने के कारण केवल मेडिकोलीगल केसेज को जिला अस्पताल हरदोई (रेडियोलाजिस्ट) विशेषज्ञ की राय हेतु भेजा जाता है।

मशीन क्रियाशील है, अतः प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर, क्षेत्र तुलसीपुर में एलोपैथिक अस्पतालों की संख्या एवं रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

18-श्री मशहूद खां-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर में कुल कितने एलोपैथिक अस्पताल हैं ? क्या सभी अस्पतालों में चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी सवीकृत पदों के अनुसार नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो किन अस्पतालों में कौन-कौन से पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

कुल 10 एलोपैथिक अस्पताल हैं।

जी नहीं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुलसीपुर में 3 पद चिकित्सक के रिक्त हैं। नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुलरिहा हिसामपुर, भगवानपुर, रतनपुर, मथुरा बाजार, गुगौली, सहजनवा, बलदेव नगर में एक-एक चिकित्सक के पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने हेतु पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। संस्तुति प्राप्त होते ही रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर, विकास खण्ड हरैया-सतघरवा के ग्राम सहजनवा के आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय के भवन के निर्माण सम्बन्धी कथित जानकारी

19-श्री मशहूद खां-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड हरैया-सतघरवा के ग्राम सहजनवा में निर्माणाधीन आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय के भवन का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त भवन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी नहीं। प्रश्नगत स्थल पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी का कोई चिकित्सालय निर्माणाधीन नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

डा0 एस0 एन0 शुक्ला कि निलम्बन बहाली के आदेश उपरान्त उन्हें जनपद गाजीपुर में उपमुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त करने के दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

20-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चिकित्सा अनुभाग-2 का शासनादेश सं0 3208/2-5-2002-6(78)/2002, दिनांक 06-09-02 द्वारा डा0 एस0 एन0 शुक्ला का निलम्बन वापस लिये जाने के उपरान्त उन्हें उपमुख्य चिकित्साधिकारी स्टोर, गाजीपुर के पद पर नियुक्त किये जाने के ओदश निर्गत हुये थे ? यदि हां, तो शासन के उक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुये मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोड़उर के अधीक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो शासनादेश का अनुपालन न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या-29900/2001 में पारित निर्णय दिनांक 13-12-2001 के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3208/सेक-2-पांच/2002-6(78)/2002, दिनांक 6-9-2002 द्वारा डा0 एस0 एन0 शुक्ला का निलम्बन समाप्त कर सेवा में बहाली के आदेश निर्गत किये गये।

इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर से स्थिति स्पष्ट कराई जा रही है।

जनपद अम्बेडकर नगर की कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही

21-श्री राकेश पाण्डेय-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के नगपुर-जलालपुर स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या स्वीकृत पदों के विरुद्ध चिकित्सकों

की नियुक्ति है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार रिक्त चिकित्सकों के पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जनपद अम्बेडकर नगर के नगपुर-जलालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कुल 8 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं।

स्वीकृत पदों के विरुद्ध 7 चिकित्सा अधिकारी तैनात हैं। अधीक्षक का एक पद रिक्त है।

पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है। पदोन्नति के उपरान्त नियुक्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया, तहसील बिल्थरा रोड, विकास खण्ड सीयर में जारी राशन कार्ड हेतु दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

22-श्री शारदा नन्द अंचल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद के तहसील बिल्थरा रोड विकास खण्ड सीयर में लाभार्थियों के लिये जिला पूर्ति अधिकारी, बलिया द्वारा 72 हजार राशन कार्ड जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सहायक विकास अधिकारी पंचायत ब्लाक सीयर द्वारा उसके विपरीत 92 हजार 66 कार्डों की सूची गलत तरीके से जारी कर दी गयी है , यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी को दण्डित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम0 काम0-

जिलापूर्ति अधिकारी, बलिया द्वारा बलिया जनपद के तहसील बेल्थरा रोड, विकास खण्ड सीयर के कुल 71080 (इकहत्तर हजार अस्सी) राशन कार्ड जारी किये गये, जिसमें ए0 पी0 एल0 के 52,000 बी0 पी0 एल0 के 16,154 तथा अन्त्योदय के 2,926 कार्ड हैं।

सहायक विकास खण्ड अधिकारी (पंचायत) सीयर के पत्र दिनांक 1-8-2002 द्वारा कुल 82660 राशन कार्डों की सूची प्रस्तुत की गयी, जिसमें ए0 पी0 एल0 के 63,580, बी0 पी0 एल0 के 16,154 तथा अन्त्योदय के 2,926 कार्ड दर्शाये गये हैं। इस प्रकार 11580 ए0 पी0 एल0 कार्ड अधिक जारी होना दर्शाया गया, जिसके लिये सहायक खण्ड विकास अधिकारी (पंचायत) सीयर दोषी है।

सहायक खण्ड विकास अधिकारी (पंचायत) सीयर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिये जिलाधिकारी, बलिया द्वारा निदेशक, पंचायती राज विभाग से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वन विभाग में क्षेत्राधिकारियों के स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद के वैन क्षेत्राधिकारी के स्थानान्तरण की मांग

23-श्री चन्द्र भद्र सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग में वन क्षेत्राधिकारियों के स्थानान्तरण के लिये कोई स्थानान्तरण नीति बनी है , यदि हां, तो इलाहाबाद वन प्रभाग में वन क्षेत्राधिकारी प्रयाग रेंज विगत आठ वर्षों से लगातार तैनात हैं, यदि हां, तो क्या उक्त रेंज के वन क्षेत्राधिकारी का स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

वन विभाग में भी कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 1/3/96-का-4/2001, दिनांक 21-4-2001 के अनुसार ही स्थानान्तरण किये जाते हैं।

इलाहाबाद वन प्रभाग में श्री राजीव मिश्रा, वन क्षेत्राधिकारी, जून, 1994 से तैनात हैं।

श्री राजीव मिश्रा, वन क्षेत्राधिकारी का स्थानान्तरण करने के निर्देश प्रमुख वन संरक्षक, उ0 प्र0 को दे दिये गये हैं।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पुलिस थाने द्वारा भेजे गये घायलों की मेडिकल रिपोर्ट हेतु शुल्क निर्धारण की जानकारी

24-श्री विश्राम सिंह यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पुलिस थाने द्वारा भेजे गये घायलों की मेडिकल रिपोर्ट कि लिये शुल्क निर्धारित है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो घायलों के परिवारजनों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलग्राम द्वारा एक्सरे रिपोर्ट पर 60 और 120 रुपये लिया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

धनराशि नहीं ली जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद, तहसील सदर, परगना पहाड़ा के ग्राम कुटरा में प्रबन्ध निदेशक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के नाम दर्ज भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग

25-श्री कल्यान सिंह दोहरे-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-कुटरा, परगना-पहाड़ा, तहसील-सदर, जनपद-फर्रुखाबाद की भूमि अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याणार्थ स्पेशल कम्पोनेट प्लान के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, लखनऊ के नाम अभिलेखों में दर्ज है ? क्या उक्त भूमि पर कुछ दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर अवैध निर्माण करा लिया गया है ? उक्त अवैध अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उ0 प्र0 शासन द्वारा दिनांक 10-1-1995 तथा सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 7-2-1995 को जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद को अवैध कब्जा हटाये जाने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध कब्जा हटा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके दोषियों को दण्डित करते हुए उक्त अवैध कब्जा हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत भूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में वाद संख्या-468/95 दायर है जिसकी पैरवी जिला स्तर पर की जा रही है।

प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को आधुनिक मेडिसिन एवं सर्जरी कोर्स पढ़ाये जाने के बावजूद भी इनके एलोपैथी में प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने सम्बन्धी जानकारी

26-श्री कौशल किशोर-

क्या सरकार को जानकारी है कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को आधुनिक मेडिसिन एवं सर्जरी कोर्स पढ़ाया जाता है ? यदि हां, तो आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथी में प्रैटिस करने पर रोक लगाने का औचित्य क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी हां। आयुर्वेद महाविद्यालयों में केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् नई दिल्ली के मानक के अनुसार पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के सम्बन्ध में कोई शासनादेश नहीं है।

प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

27-श्री कौशल किशोर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान समय में प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

208 पद।

जी हां।

आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा चुका है। आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही पूर्ण करके उनसे संस्तुति प्राप्त होने पर सम्बन्धित पदों को भरा जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर, क्षेत्र उतरौला में यूनानी अस्पताल को आयुर्वेदिक में परिवर्तित करने व इसके भवन निर्माण की कथित जानकारी

28-श्री अनवर महमूद-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला, जनपद बलसमपुर में स्वीकृत यूनानी अस्पताल को आयुर्वेदिक चिकित्सालय में परिवर्तित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो चिकित्सालय का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक भवन निर्माण कराये जाने का प्रश्न है, जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से प्रस्ताव आने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोत्तरी

29-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाकर क्रमशः रु0 500 की जगह पर 1000 और रु0 250 की जगह पर रु0 500 किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

शासनादेश संख्या-253/60-2-2003-2/3(25)/97, दिनांक 22 जनवरी, 2003 द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाकर क्रमशः रु0 500 की जगह पर रु0 1000 और रु0 260 की जगह पर रु0 500 कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के जिला चिकित्सालय में उपकरण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की जानकारी

30-श्री सुन्दर सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बुलन्दशहर के जनपद चिकित्सालय में आई0 सी0 सी0 यू0 वार्ड में कोई भी उपकरण/मशीन नहीं है ? यदि हां, तो क्या उक्त उपकरणों को खरीदने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में सरकार धनराशि उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर के आई0 सी0 सी0 यू0 यूनिट में 01 ई0 सी0 जी0 मशीन स्थापित है।

ई0 सी0 जी0 मशीन के अतिरिक्त 2 कार्डिक मानीटर 3 एयर कन्डीशनर क्रय किये जाने हेतु पुनर्स्थापना मद से धनराशि दिनांक 26-12-2002 को उपलब्ध करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

31-श्री विनोद कुमार यादव 'कक्का'-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद गाजीपुर में ए0 एन0 एम0 और एच0 वी0 के स्वीकृत पदों में कोटा पूर्ण कराने की मांग

32-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर में ए0 एन0 एम0 और एच0 वी0 के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? उक्त स्वीकृत पदों में से दिनांक 1-7-02 तक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के अभ्यर्थियों का कोटा पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कोटा कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान-

जनपद गाजीपुर में ए0 एन0 एम0 के 472 और एच0 बी0 के 98 पद स्वीकृत हैं।

ए0 एन0 एम0 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा एच0 बी0 में अनुसूचित जनजाति का कोटा पूर्ण नहीं है। एच0 बी0 में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है।

ए0 एन0 एम0 के दूसरे जनपद से जनपद गाजीपुर में स्थानान्तरित होने के कारण कोटा पूर्ण नहीं है। कोटा शीघ्र पूर्ण करने हेतु महानिदेशक, परिवार कल्याण को निर्देशित कर दिया गया है।

33-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद गाजीपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रादेशिक चिकित्सा सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण करने व उसे निरस्त करने सम्बन्धी जानकारी

34-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फरवरी, 2001 से अगस्त, 2002 की अवधि में मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर द्वारा प्रादेशिक चिकित्सा सेवा के अधिकारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान के लिये कुल कितने स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये गये ? उक्त अवधि में जारी किये गये इन स्थानान्तरण आदेशों में से कितने आदेश प्रभावी हैं तथा कितने आदेश निरस्त कर दिये गये ? इन आदेशों के निरस्त करने का क्या कारण है ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

38 चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये गये।

उक्त स्थानान्तरण आदेशों में से 26 चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण निरस्त/स्थगित किये गये हैं। चिकित्साधिकारियों की स्थानीय मांग/पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए स्थानान्तरण निरस्त/स्थगित किये गये हैं।

प्रदेश के वन विभाग में वन क्षेत्राधिकारियों की स्थानान्तरण नीति का पालन जनपद इलाहाबाद के वन प्रभाग में किये जाने की जानकारी

35-श्री चन्द्र भद्र सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग में वन क्षेत्राधिकारियों के स्थानान्तरण के लिये कोई स्थानान्तरण नीति बनायी गयी है ? क्या उक्त नीति का पालन इलाहाबाद वन विभाग में किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

शासन के वन विभाग में भी कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0-1/3/96-का-4/2001, दिनांक 21-4-2001 द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति अपनायी गयी है ।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में लेखों का सम्परीक्षण कराने व दोषियों को दण्डित करने की मांग

36-श्री शिशुपाल सिंह यादव-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के वर्ष 2001-2002 तक के लेखे तैयार हैं ? महालेखाकार द्वारा किस वर्ष तक के लेखों का सम्परीक्षण किया जा चुका है ? क्या लेखों को समय से तैयार न करने के लिये दोषी कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उन्हें दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम0 काम0-

जी नहीं।

निदेशक मण्डल ने कर्मचारी कल्याण निगम के लेखों का सम्परीक्षण महालेखाकार द्वारा कराये जाने के निर्देश वर्ष 1998-99 से दिये हैं अभी तक किसी वर्ष के लेखों का सम्परीक्षण नहीं कराया जा सका है।

दोषी कर्मचारियों को दण्डित कर दिया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बांदा के ग्राम पिपरी की श्रीमती बच्चा देवी को विकलांग पेंशन स्वीकृत किया जाना

37-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के ग्राम-पिपरी की विकलांग श्रीमती बच्चा देवी पत्नी बूचा साहू का विकलांग पेंशन स्वीकार करने हेतु प्रार्थना-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, बांदा के समक्ष गत वर्ष से लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त को कब तक पेंशन प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विकलांग कल्याण मंत्री (श्री श्याम नारायण)-

जी हां, श्रीमती बच्चा देवी पत्नी बूचा साहू ग्राम-पिपरी का आवेदन-पत्र दिनांक 8-10-2001 से धनाभाव के कारण लम्बित था।

पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद क्षेत्र टूण्डला के बन्द पड़े आयुर्वेदिक चिकित्सालय को पुनः चालू कराने की कथित जानकारी

38-श्री मोहन देव शंखवार-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-फिरोजाबाद में विधान सभा क्षेत्र टूण्डला के ब्लाक नारखी के अन्तर्गत गांव-जोघरी में लगभग 10 वर्षों से आयुर्वेदिक चिकित्सालय पूरी तरह बन्द है ? यदि हां, तो सरकार उक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालय को पुनः चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में छोटी आरा मशीनों को पुनः चालू कराने की मांग

39-श्री काशीराम-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या छोटी आरा मशीनों पर रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार लकड़ी व्यापार को बढ़ावा देने के लिये छोटी आरा मशीनों को पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जी हां

जनहित रिट याचिका संख्या-202/95 टी0 एन0 गोडावर्मन थिरूमल्कपाद बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई0 ए0 संख्या-664 में दिनांक 29/30 अप्रैल, 2002 में पारित आदेशों के अनुसार आरा मशीन संचालन के लिये लाइसेन्स अनिवार्य है और उपरोक्त उल्लिखित रिट याचिका में ही मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04-3-1997 द्वारा नई आरा मशीनों के लाइसेन्स निर्गत करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार तत्सम्बन्धी नियमों में किसी प्रकार के शिथिलीकरण पर भी प्रतिबन्ध है।

चूंकि सम्पूर्ण प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किया जाना मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुकूल नहीं है।

जनपद महोबा के जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

40-श्री सिद्ध गोपाल साहू-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों/गैर चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

चिकित्सक के 02 तथा गैर चिकित्सक के 06 पद रिक्त हैं।

चिकित्सक के 02 रिक्त पदों में से 01 पद अधीक्षक का तथा 01 पद वरिष्ठ चिकित्साधिकारी का है। पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग की वरिष्ठता निर्धारित की जा रही है। वरिष्ठता निर्धारण के उपरान्त नियुक्तियां कर दी जायेंगी।

तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति पर आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया है। बैकलाग के पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0 लखनऊ को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

41-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[दिनांक 4-3-2003 को अता0 प्र0 सं0-116 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जनपद सीतापुर के कतिपय ग्राम पंचायतों में खाद्यान्न वितरण की जांच में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

42-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत निर्धन व्यक्तियों को अप्रैल, 2002 से प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न दिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं ?

क्या यह सही है कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रिखौना, ग्राम पंचायत शेरपुर, सरावां के कोटेदारों द्वारा अन्त्योदय योजना का गेहूं (खाद्यान्न) का वितरण माह अप्रैल, 2002 से नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी कोटेदार के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबूराम एम0 काम0-

जी हां।

ग्राम पंचायत रिखौना के उचित दर दुकानदार द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना के खाद्यान्न का वितरण किया गया है, किन्तु ग्राम पंचायत शेरपुर सरावां के उचित दर विक्रेता द्वारा माह अप्रैल, 2002 व अक्टूबर, 2002 में उक्त योजना के खाद्यान्न का वितरण कुछ कार्डधारकों को न दिये जाने का तथ्य प्रकाश में आया था।

प्रश्नगत अवधि में ग्राम पंचायत रिखौना के उचित दर विक्रेता द्वारा अनियमितता करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई किन्तु ग्राम पंचायत शेरपुर सरावां के उचित दर दुकानदार के विरुद्ध प्राप्त एक शिकायती-पत्र तथा विभागीय जांच में पायी गयी कतिपय अन्य अनियमितताओं के आधार पर क्रमशः दिनांक 29-10-2002 तथा दिनांक 8-11-2002 को आरोप-पत्र जारी करने के साथ-साथ दुकान का अनुबन्ध-पत्र निलम्बित किया गया। उचित दर विक्रेता का स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न पाये जाने के कारण उसकी जमा प्रतिभूति में से रु0 1000/- की धराशि जब्त करते हुए भविष्य के लिये कठोर चेतावनी देकर दिनांक 5-12-2002 को अनुबन्ध-पत्र बहाल कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के ब्लाक सांडी व हरपालपुर में आंगनबाड़ी कार्यक्रम लागू करने की जानकारी

43-श्री विश्राम सिंह यादव-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद में ब्लाक सांडी व हरपालपुर में आंगनबाड़ी कार्यक्रम लागू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां। जनपद हरदोई के प्रश्नगत दोनों विकास खण्डों में आंगनबाड़ी कार्यक्रम की स्वीकृति हेतु प्रदेश शासन द्वारा 20-6-2002 की भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण भारत सरकार के विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

44-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

लखनऊ प्राणी उद्यान में ठेकेदारी प्रथा द्वारा जानवरों को खाद्य सामग्री वितरण कराने की जांच की मांग

45-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ प्राणी उद्यान में जानवरों को भोजन में ठेकेदारी प्रथा द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त खाद्य

सामग्री निम्न श्रेणी की होने के कारण जानवरों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार खाद्य सामग्री की जांच कराकर दोषी ठेकेदारों का लाइसेन्स निरस्त करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जी हां।

जी नहीं, ठेकदारों द्वारा जानवरों को भोजन के लिए आपूर्ति की जाने वाली खाद्य सामग्री निम्न श्रेणी की नहीं है। अतः जानवरों के स्वास्थ्य प्रभावित होने का प्रश्न नहीं उठता। ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली खाद्य सामग्री की प्रतिदिन वन्य जीव चिकित्सकों द्वारा जांच किये जाने के बाद ही निर्धारित श्रेणी की खाद्य सामग्री स्वीकार की जाती है। अतः किसी ठेकेदार का लाइसेन्स निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग में गत वर्ष आवंटित धनराशि के व्यय विवरण की जानकारी

46-श्री धनन्जय सिंह-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि समाज कल्याण विभाग में गत वर्ष वित्तीय वर्ष 2001-2002 में आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि विभाग द्वारा खर्च नहीं की गयी है ? आवंटित धनराशि में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गयी है, जो खर्च नहीं हो पाई है ? उसका मुख्य कारण क्या है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

समाज कल्याण विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2001-2002 में जो धनराशि स्वीकृत की गई थी उसके सापेक्ष विभाग में रु0 2807.838 लाख खर्च नहीं की गयी है। आवंटित धनराशि में केन्द्रीय सहायता की धनराशि 14105.59 लाख स्वीकृत की गयी थी जिसके सापेक्ष रु0 230.884 लाख खर्च नहीं हो पयी है। धनराशि खर्च न होने का मुख्य कारण जनपद स्तर पर उपयुक्त पात्रता न होना रहा है।

जनपद शाहजहांपुर के समाज कल्याण अधिकारी को गत वर्ष में विधवा महिलाओं की पुत्रियों की शादी हेतु दिये गये लाभार्थियों के चेक का भुगतान न हो पाने पर कार्यवाही की मांग

47-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के चौथे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-8 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि दोषी पाये गये दो कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अवगत कराया है कि जांचोपरान्त कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में कस्बा कुरावली के नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग

48-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी के कस्बा कुरावली में नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में कार्य मानक के अनुरूप न होने के कारण प्लास्टर गिरना प्रारम्भ हो गया

है ? उक्त केन्द्र के निर्माण में घोर अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर निर्माण एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 1987-88 में निर्मित है। वर्तमान में उक्त केन्द्र पर वास्य रोगी विभाग का नवनिर्माण कार्य तथा पुराने भवन के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य यू0 पी0 एच0 एस0 डी0 पी0 द्वारा कराया जा रहा है। मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी द्वारा माह जनवरी, 2003 में उक्त केन्द्र का निरीक्षण विभागीय सहायक अभियन्ता के साथ किया गया तथा निरीक्षण के समय केन्द्र में कोई कमी नहीं पायी।

उपरोक्त के क्रम में प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2000-2001 में स्थापित धान क्रय केन्द्रों पर धान मूल्य की बकाया धनराशि का भुगतान तथा वर्तमान में धान क्रय की योजना की जानकारी

49-श्री काशीराम-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2000-2001 में स्थापित किये गये धान क्रय केन्द्रों पर कितना धान क्रय किया गया ? क्या धान मूल्य के बकाया धनराशि का भुगतान किसानों को कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्तमान में धान क्रय करने की क्या योजना है ?

श्री बाबूराम एम0 काम0-

प्रदेश में वर्ष 2000-2001 में विभिन्न क्रय एजेन्सियों द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से कुल 5,67,994 मी0 टन धान की खरीद की गयी।

जी हां, उक्त क्रय किये गये धान के मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

खरीफ विपणन वर्ष 2002-2003 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय की नीति निर्धारित की गयी और विभिन्न क्रय एजेन्सियों द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से कुल 4,01,800 मी0 टन धान की खरीद की जा चुकी है।

जनपद रामपुर में परिषदीय व मान्यता प्राप्त स्कूलों के अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने की जानकारी

50-श्री काशीराम-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद-रामपुर में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति परिषदीय विद्यालयों को दी जाती है ? क्या यह सही है कि मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्या उक्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नवाब काजिम अली खां-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को भी छात्रवृत्ति दी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई, कस्बा बिलग्राम के महिला अस्पताल की मरम्मत कराने की मांग

51-श्री विश्राम सिंह यादव-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-20 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद के कस्बा बिलग्राम स्थित महिला अस्पताल की मरम्मत करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी तथा दोषी कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि उपलब्ध कराने सम्बन्धी जानकारी

52-श्री विश्राम सिंह यादव-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न सं0-1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के तहसील मुख्यालय बिलग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये उपयुक्त भूमि तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति उपलब्ध हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त भूमि पर सरकार कब तक केन्द्र बना देगी ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

उपयुक्त भूमि तथा जिला योजना अनुश्रवण समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण/स्थापना की जायेगी।

जनपद हरदोई में गत वर्ष पल्स पोलियो अभियान में वैक्सीन पिलाने से प्रभावित बच्चों के कथित प्रकरण की जांच की मांग

53-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में वर्ष 2001 तथा अक्टूबर, 2002 तक पल्स पोलियो अभियान के दौरान वैक्सीन पिलायी जाने के कारण लगभग 37 बच्चे पोलियो से प्रभावित हुए हैं ? यदि हां, तो इसका कारण वैक्सीन का निम्न स्तर है ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच कराकर जनपद के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद हरदोई में वर्ष 2001 तथा अक्टूबर, 2002 तक पल्स पोलियो अभियान के दौरान कोई भी बच्चा वैक्सीन पिलायी जाने के कारण पोलियो से प्रभावित नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में पल्स पोलियो अभियान के क्रियान्वयन हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

54-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में वर्तमान समय में पल्स पोलियो अभियान का क्रियान्वयन कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उसके प्रसार-प्रचार के लिये आवंटित मोटर गाड़ियों के प्रयोग हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि कितनी गाड़ियों पर व्यय की गई ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

पल्स पोलियो अभियान में प्रसार-प्रचार के लिये मोटर गाड़ियों के प्रयोग हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है।

जनपद जालौन में गेहूं क्रय केन्द्र में कर्मचारियों द्वारा की गयी कथित अनियमितता

55-श्री सिद्ध गोपाल साहू-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में वर्ष 2000 में संभागीय खाद्य नियंत्रक, झांसी द्वारा प्रति बोरा गेहूं की छनाई, तौलाई, भराई व सिलाई हेतु मजदूरी 5.50 रु0 दी गई थी ? क्या यह सही है कि क्रय केन्द्र उरई, जालौन में किसानों से प्रति बोरा 10 रुपया वसूल किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार विभागीय कर्मचारियों द्वारा खरीद केन्द्रों पर की गई अनियमितता की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम0 काम0-

जी, नहीं।

क्रय केन्द्र उरई, जालौन में किसानों से प्रति बोरा 10 रुपया वसूल किये जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ग्राम खुशहालगंज में आयर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय के संचालन की जानकारी

56-श्री कौशल किशोर-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम खुशहालगंज में एक आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय एक धार्मिक स्थल पर संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय को धार्मिक स्थल से हटाकर सार्वजनिक स्थल पर चलाये जाने हेतु आदेशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त चिकित्सालय धार्मिक स्थल से हटकर चल रहा है। अतः हटाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद अम्बेडकर नगर के डा0 गणेश कृष्ण जेटली चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का प्रकरण

57-श्री राकेश पाण्डेय-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर मुख्यालय स्थित डा0 गणेश कृष्ण जेटली चिकित्सालय में पुरुष एवं महिला चिकित्सकों के कुल कितने पद सृजित हैं ? क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में चिकित्सकों के अनेक पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

डा0 गणेश कृष्ण जेटली चिकित्सालय, जनपद अम्बेडकर नगर में चार पुरुष व एक महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के मुख्य चिकित्साधिकारी के संदर्भित पत्र द्वारा स्वीकृत कर्मचारियों को अवकाश यात्रा के भुगतान की मांग

58-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के पत्रांक-मले-8-98-227-98, दि0 15-4-98 द्वारा कितने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा सुविधा (एल0 टी0 सी0) स्वीकृत की गई थी ? क्या यह सही है कि उन कर्मियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का उपयोग कर यात्रा विवरण प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त 20 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस विलम्ब का दोषी कौन है ? क्या सरकार उक्त कर्मियों का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के संदर्भित पत्र के माध्यम से एक कर्मचारी को अवकाश यात्रा सुविधा स्वीकृत की गयी थी।

जी, नहीं ।

आय-व्ययक की सुसंगत मद में धनराशि उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी, हां।

आय-व्ययक की सुसंगत मद में धनराशि उपलब्ध होने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के अम्बेडकर ग्राम उमौरा सिमरा में स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

59-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-7-02 को अम्बेडकर ग्राम उमौरा सिमरा में स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को भिजवाने तथा पेंशन स्वीकृत के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्र संख्या 1914 दि0 18-7-2002 को मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जी हां।

ग्राम डमौरा सिमरा से 37 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, इसमें से 27 लाभार्थियों के आवेदन-पत्र पूर्ण पाये गये, जिन्हें पेंशन का भुगतान कर दिया गया है।

प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों आदि स्टाफ की संख्या तथा सुपरवाइजर पद पर आरक्षण कोटा से भरे जाने की मांग

60-श्री राम करन आर्य-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा सी0 डी0 पी0 ओ0 एवं सुपरवाइजर की संख्या कितनी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सुपरवाइजर में आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्या कार्यकत्रियों में से प्रमोशन देकर उक्त आरक्षण पूर्ण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

प्रदेश में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा सी0 डी0 पी0 ओ0 एवं सुपरवाइजर की संख्या निम्नवत् है :--

क्र0सं0	पद नाम	संख्या
1	सी0 डी0 पी0 ओ0	330
2	सुपरवाइजर	2328
3	आंगनबाड़ी कार्यकत्री	55374

जी नहीं।

विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक की राजपत्रित सेवा नियमावली संशोधन सहित लागू करने की मांग

61-श्री राम स्वरूप सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि विभाग द्वारा संचालित "राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक" लखनऊ की राजपत्रित सेवा नियमावली, 14 मार्च, 1991 में प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 द्वारा प्रसारित नियमावली 2 अप्रैल, 1990 की भांति संशोधन कराने के लिये समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव श्री शम्भू नाथ की अध्यक्षता में दि0 31 अक्टूबर, 1998 में निर्णय लिया जा चुका है ? यदि हां, तो उसे संशोधित सहित कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

प्रश्नगत संशोधन पर लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने हेतु आयोग भेजा गया है। सहमति प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद मैनपुरी के जिला चिकित्सालय में वर्ष 2000-2001 में वाहन मरम्मत आदि में की गई अनियमितताओं की जांच की मांग

62-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी के जिला चिकित्सालय में वर्ष 2000-2001 में वाहन मरम्मत एवं पेट्रोल पर कितना धन व्यय किया गया है ? क्या यह सही है कि वाहन मरम्मत एवं पेट्रोल आदि व्यय में घोर अनियमिततायें की गयी हैं ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

प्रकरण में विशेष सम्परीक्षा के आदेश दिये गये हैं आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने का कार्य

63-श्री राम करन आर्य-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिन कास्तकारों के पास 6 एकड़ से अधिक भूमि है उन्हें सरकारी अनुदान देकर वृक्षारोपण कराने हेतु प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

उत्तर प्रदेश में जिन कास्तकारों के पास 6 एकड़ से अधिक भूमि है, उन्हें सरकारी अनुदान देकर वृक्षारोपण कराने हेतु कोई प्राविधान उ0 प्र0 वन विभाग में नहीं हैं।

परन्तु कृषकों को उच्च गुणवत्ता की पौध कम दरों पर उपलब्ध कराकर तथा निःशुल्क तकनीकी ज्ञान देकर वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर के जी0 एस0 बी0 एम0 मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा नामित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

64-श्री राम स्वरूप सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, कानपुर मण्डल कानपुर का पत्र संख्या-2154/अ0नि0को/कानपुर/2001-2002, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 जो जी0 एस0 बी0 एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर के प्रधानाचार्य द्वारा नामित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र के प्रमुख बिन्दु क्या हैं तथा उस पर अब तक बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

डा0 वीरेन्द्र कुमार, सहायक आचार्य एनाटमी विभाग, मेडिकल कालेज, कानपुर का वेतन निर्धारण एवं इस पर अवशेष धनराशि के भुगतान को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा रोका जाना प्रमुख बिन्दु हैं।

वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय वेतन एरियर रु0 46658/- में से जी0 पी0 एफ0 की धनराशि रु0 5754/-, आयकर की कटौती रु0 10020/- तथा वेतन निर्धारण में अधिक आहरित की गई धनराशि रु0 7004/- की कटौती करके अवशेष रु0 23880/- का भुगतान डा0 कुमार को दिनांक 24-11-2000 को किया गया है ? कोषागार से अधिक आहरित की गई धनराशि रु0 7004/- चालान द्वारा कोषागार में जमा कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

65-श्री कौशल किशोर-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

महिला कल्याण विभाग में जनपद स्तर पर उर्दू अनुवादक के पद के सृजन व जनपद सीतापुर के उर्दू अनुवादक को उनके मूल विभाग को वापस करने की जानकारी

66-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या महिला कल्याण विभाग में उर्दू अनुवादक के पद जनपद स्तर पर सृजित हैं ? क्या निदेशालय में जनपद-सीतापुर के उर्दू अनुवादक को सम्बद्ध किया गया है ? यदि हां, तो जनपद सीतापुर में उक्त पद की आवश्यकता नहीं है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त उर्दू अनुवादक को अपने मूल नियुक्ति स्थान पर वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती माया प्रसाद)-

जी हां ।

दिनांक 22-10-2001 से दिनांक 5-9-2002 तक के लिये सम्बद्ध किया गया था।

दिनांक 5-9-2002 को सम्बद्धता समाप्त करते हुए सम्बन्धित उर्दू अनुवादक को जिला प्रोबेशन कार्यालय, सीतापुर वापस कर दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज में वर्षों से कार्यरत फार्मेसिस्ट को शासनादेश अन्यत्र समायोजित किये जाने के आदेश

67-डा0 पूर्णमासी देहाती-

क्या चिकित्सा मंत्री को जानकारी है कि बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में तैनात फार्मेसिस्ट विगत 26-27 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार शासनादेश संख्या 570/5-7-2002-सात-44/02, दिनांक 27-2-02 के प्राविधान के अनुसार उनका स्थानान्तरण अन्यत्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश दिनांक 27-2-2002 अधिसंख्य पद पर राज्य स्तर से वेतन पाने वाले कर्मियों को अन्यत्र रिक्त पद पर समायोजित किये जाने के सम्बद्ध है, न कि स्थानान्तरण नीति विषयक है।

जनपद सिद्धार्थनगर के निलम्बित चिकित्साधिकारी डा0 राम रतन व वार्ड ब्वाय के स्थानान्तरण की जानकारी

68-डा0 कौशल किशोर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन के आदेश संख्या-1905/सेक-4/इकहत्तर/99-1022/99, दिनांक 21 जुलाई, 1999 के तहत तत्कालीन निलम्बित चिकित्साधिकारी डा0 राम रतन के विरुद्ध आरोप की जांच आख्या दिनांक 11-1-2000 के पृष्ठ-11 पर जांच अधिकारी द्वारा की गयी संस्तुति के संदर्भ में सम्बन्धित भेषजिक, वार्ड ब्वाय तथा प्रभारी जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को जनपद सिद्धार्थनगर से स्थानान्तरित कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होम्योपैथिक चिकित्सा मंत्री (श्री कमला प्रसाद रावत)-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

69-श्री महबूब अली-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त]

70-श्री संजय गर्ग-

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम डभौरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भवन निर्माण प्रस्ताव विचाराधीन

71-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम डभौरा में स्वीकृत प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर भवन निर्माण कराने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 28-9-02 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेश पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के जलपान गृहों के लाभ/हानि की जानकारी तथा वी0 आई0 पी0 कैन्टीन विधान भवन के उप सामान्य प्रबन्धक के स्थानान्तरण की मांग

72-श्री देवकी नन्दन कोरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा संचालित लखनऊ स्थित जलपान गृहों में 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार कितना लाभ अथवा हानि हुई है ? क्या हानि के कारणों की कोई समीक्षा की गई ? क्या यह सत्य है कि जलपान गृहों में घोर अव्यवस्था एवं वित्ताय अनियमितता हो रही है ? क्या यह भी सही है कि वी0 आई0 पी0 कैन्टीन विधान भवन के उप सामान्य प्रबन्धक को घोर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में दो बार निलम्बित किया जा चुका है ? यदि हां, तो उनको उक्त कैन्टीन से स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ? उन्हें कब तक अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ?

श्री बाबू राम एम0 काम0-

उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा संचालित लखनऊ स्थित जलपान गृहों ने वर्ष 2001-2002 में कुल रु0 966416.47 का लाभ अर्जित किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

जी हां।

राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन हाल स्थित निगम के सेन्ट्रल हाल वी0 आई0 पी0 कैन्टीन, विधान भवन के प्रबन्धकीय स्टाफ को विधान सभा सचिवालय तथा निगम के मध्य वर्ष 1988 में सम्पादित "डीड आफ लाइसेन्स" के आधार पर सचिव, विधान सभा की अनुमति के बिना स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है।

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में दाई के पद पर कार्यरत महिलाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतनमान दिया जाना

73-श्री संजय गर्ग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में दाई के पद पर कार्यरत महिलाओं को मात्र 150 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें नियमित कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रदेश में दाई के पद पर कार्यरत पूर्णकालिक दाईयों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर में कथित मस्तिष्क ज्वर से हुई मृत्यु के दोषी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रकरण

74-चौ0 बिजेन्द्र सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलरामपुर के विकास खण्ड श्री दत्तगंज में कई दर्जन लोगों की मस्तिष्क ज्वर से मृत्यु माह अक्टूबर/नवम्बर, 2002 में हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर दोषी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलरामपुर एवं सम्बन्धित डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

75-श्री दिनेश सिंह-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

76-श्री महबूब अली-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद मैनपुरी में गत वर्ष सरकारी अस्पतालों की रंगाई पुताई/मरम्मत कार्यों में व्यय धनराशि की जानकारी

77-आलोक कुमार शाक्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में वर्ष 2001-2002 में सरकारी अस्पतालों की रंगाई पुताई तथा मरम्मत कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ? क्या यह सही है कि मरम्मत के नाम पर अनियमितितायें की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में जनपद मैनपुरी में अस्पतालों की रंगाई पुताई तथा मरम्मत का कार्य कराने में कुल 230523.00 व्यय किया गया।

यदि भविष्य में अनियमिततायें प्रकाश में आई तो कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री एम0 एन0 दीक्षित, सेवानिवृत्त वरिष्ठ हाट निरीक्षक के सेवाकल के लम्बित देयों के भुगतान विषय आयुक्त, खाद्य एवं रसद को सम्बोधित पत्र पर भुगतान की मांग

78-श्री आनन्द सेन-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री एम0 एन0 दीक्षित, सेवानिवृत्त वरिष्ठ ह निरीक्षक, 536, दूसरा मार्ग राजेन्द्र नगर, लखनऊ द्वारा खाद्य एवं रसद आयुक्त उ0 प्र0 लखनऊ दिनांक 14-5-02, 28-6-02, 18-9-02, 9-10-02 को पत्र द्वारा एव उसकी प्रतिलिपियां प्रमु सचिव, खाद्य एवं रसद उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को देकर अपने सेवाकाल के लम्बित देयों भुगतान करने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके सारे देयों का भुग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम0 काम0-

जी हां।

जी हां।

तीन माह के अन्दर।

प्रश्न नहीं उठता।

79-श्री दिनेश सिंह-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

80-श्री दिनेश सिंह-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

81-श्री दिनेश सिंह-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

82-श्री महबूब अली-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद मैनपुरी में गत वर्ष पल्स पोलियो विशेष अभियान में आवंटित बजट के दुरुपयोग की जांच

83-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पल्स पोलियो विशेष अभियान 2001-20 जनपद मैनपुरी को आवंटित बजट का दुरुपयोग/गबन किये जाने की जांच कराने के आदेश प्र सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को दिनांक 14-9-02 को दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उ प्रकरण की जांच प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा पूरी करा ली गयी है ? यदि नहीं, क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जांच की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

34-श्री संजय गर्ग-

[1ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0-176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फर्रुखाबाद के नगर पालिका कर्मचारी की पत्नी ममता की मृत्यु में दोषी डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

35-श्री संजय गर्ग-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-फर्रुखाबाद के नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्रीनिवास की पत्नी ममता की सिविल अस्पताल लिजीगंज में नसबन्दी का आपरेशन माह नवम्बर 2002 में महिला चिकित्सक डा0 शोभा सक्सेना द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त आपरेशन में लापरवाही के कारण नसबन्दी कराने वाली महिला की मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण में पोस्टमार्टम कराया गया ? उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी महिला चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

उक्त महिला की मृत्यु नसबन्दी में लापरवाही के कारण नहीं हुई है।

तीन चिकित्सकों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार रक्त संक्रमण व मूर्छा के कारण श्वसन तथा हृदयगति रुक जाने के कारण नसबन्दी के एक सप्ताह पश्चात् मृत्यु हुई।

जी नहीं। इस प्रकरण की जांच रिपोर्ट में डा0 शोभा सक्सेना, महिला चिकित्साधिकारी दोषी नहीं पायी गयी हैं।

36-श्री महबूब अली-

[मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद-बलरामपुर के गैडास बुजुर्ग के वी0 एच0 डब्लू0 श्री राम लोटन के पुत्र श्री अंजनी कुमार के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान की मांग

87-चौ0 बिजेन्द्र सिंह-

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम लोटन वी0 एच0 डब्लू0 गैडास बुजुर्ग (वर्तमान में उतरौला) जिला बलरामपुर के पुत्र श्री अंजनी कुमार की 7-11-2001 को शासन द्वारा स्वीकृत चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ (भुगतान) उक्त कर्मचारी को कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। शीघ्र भुगतान किये जाने के आदेश ज़ारी कर दिये गये हैं।

जनपद शाहजहांपुर के उ0 प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 के ग्राम जेवां में विगत वर्ष में गेहूं क्रय के बकाया मूल्य के भुगतान की मांग

88-श्री मिथिलेश कुमार-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 के ग्राम जेवां जनपद शाहजहांपुर में माह मई, जून, 2001 में क्रय किये गये गेहूं के बकाया मूल्य के भुगतान विषयक पत्र सं0-सी0एम0/वी0को0/एम0/68646/2002 दिनांक 21-9-2002 प्रमुख सचिव/सचिव खाद्य रसद उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम0 काम0-

जी हां।

खाद्य आयुक्त/प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 सहकारी संघ से प्राप्त सूचना के अनुसार किसान सेवा सहकारी समिति लि0 जेवां, जनपद शाहजहांपुर द्वारा 40385.4975 कु0 गेहूं खरीद कर स्टेट/सेन्ट्रल पूल में दिया गया और उसके सापेक्ष किसानों को रु0 2,46,35, 153-47 का भुगतान किया गया। अपर जिला सहकारी अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा जांच किये जाने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त समिति द्वारा 6,292.80 कु0 गेहूं जिसका मूल्य रुपये 38,38,608 है का गबन कर लिया गया है और इस गबन के लिये अपर सहकारी जिला अधिकारी द्वारा दिनांक 27-11-2001 को सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है तथा समिति सचिव श्री राम कुमार सिंह, निलम्बित एवं श्री प्रमोद कुमार सिंह, आंकिक तथा श्री राज किशोर सिंह, आंकिक की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं।

जनपद इलाहाबाद के बालिका निकेतन की अध्यापिका श्रीमती कल्पना मेहरोत्रा के समयमान वेतनमान/एरियर के भुगतान कराने व दोषी के विरुद्ध जांच के कार्यवाही की मांग

89-श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के चौथे बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-57 के उत्तर में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बालिका निकेतन, इलाहाबाद में कार्यरत अध्यापिका श्रीमती कल्पना मेहरोत्रा को समयमान वेतनमान की स्वीकृति आदेश की तिथि क्या है तथा उन्हें इसका लाभ किस माह से तथा एरियर आदि का भुगतान कब किया गया है ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करा कर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती माया प्रसाद-

दिनांक 02-09-2002 अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ दिनांक 26-2-96 से एवं प्रोन्नति वेतनमान का लाभ दि0 26-2-2001 से दिया गया है।

एरियर के भुगतान हेतु धनराशि की व्यवस्था कर इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान के निर्देश दे दिये गये हैं।

जांच विनिर्दिष्ट कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण नीति की जानकारी

90-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये कोई स्थानान्तरण नीति सरकार द्वारा निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एक स्वायत्तशासी एवं स्ववित्तपोषी संस्था है। इसमें कार्यरत (नियुक्ति) अधिकारी/कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिये उनके लिये सरकार द्वारा स्थानान्तरण नीति निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है।

91-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के समस्त सरकारी उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्रों पर निर्धारित योग्यता रखने वाली कार्यरत ट्यूटर्स के संबंध में जानकारी

92-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-127 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय उपचारिका परिषद् द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाली ट्यूटर्स प्रदेश के सभी सरकारी उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्रों पर कार्यरत है ? यदि नहीं, तो क्या निर्धारित योग्यता न रखने वाली ट्यूटर्स को सरकार हटाकर योग्यता प्राप्त ट्यूटर्स को रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी, जिला चिकित्सालय में विशेष व्यक्तियों हेतु कथित लोकल परचेज में वित्तीय अनियमितता की जांच

93-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी के जिला चिकित्सालय में वर्ष 2001-2002 में तथा 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर, 2002 तक विशेष व्यक्तियों हेतु कितनी धनराशि की दवाइयां किन-किन फर्मों से लोकल परचेज के रूप में क्रय की गयी ? क्या यह सही है कि दवाओं के लोकल परचेज में घोर वित्तीय अनियमितायें की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

वर्ष 2001-2002 में मेसर्स मेडिको एवं सर्जिको बाहरी रोड, मैनपुरी से रुपये 1453.00 (रुपये एक हजार चार सौ तिरपन) तथा मेसर्स ज्ञान मेडिकल स्टोर कोर्ट रोड, मैनपुरी से रुपये 923. (रुपये नौ सौ तेइस) की दवा लोकल परचेज की गयी। 1 अप्रैल, 2002 से 31 अक्टूबर, 2002 तक कोई दवा लोकल परचेज नहीं की गयी।

जी नहीं।

उपरोक्त के क्रम में प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल राज्य से वापस आये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्तियां करने की जानकारी

94-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बजायेगी कि वर्ष 2001 तथा वर्ष 2002 में उत्तरांचल राज्य से वापस आये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियां कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ, राजेन्द्र नगर के सेवा निवृत्त वरिष्ठ हाट निरीक्षक के समस्त देयों के भुगतान कराये जाने की मांग

95-श्री आनन्द सेन-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि श्री एम0 एन0 दीक्षित सेवा निवृत्ति वरिष्ठ हाट निरीक्षक राजेन्द्र नगर लखनऊ के वेतनमान सेलेक्शन ग्रेड व प्रोन्नति वेतनमान आदि देयों का लाभ दिये जाने की सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने रिट याचिका सं0 5920/1989, में अन्तिम निर्णय दिनांक 30-4-02 को देते हुये सभी देयों का भुगतान करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम0 काम0-

जी हां।

विनियमितीकरण किये जाने का आदेश दिनांक 8-10-2002 द्वारा निर्गत किया गया है। सेलेक्शन ग्रेड, प्रोन्नति वेतनमान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री एम0 एन0 दीक्षित के विरुद्ध दो विभागीय कार्यवाहियां प्रचलित होने व सेवा पुस्तिका अपूर्ण रहने के कारण विलम्ब हुआ है। विभागीय कार्यवाही दण्डादेश सहित निस्तारित कर दी गयी है। कानपुर संभाग से सेवा पुस्तिका पूर्ण होने के पश्चात् वाराणसी संभाग को भेजी गयी है, सेवा पुस्तिका पूर्ण हो जाने पर प्रकरण को निस्तारित कर दिया जायेगा।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में उपचारिका के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

96-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2002 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 106 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी एवं बढ़े हुये अस्पतालों तथा मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुये पूरे प्रदेश में 4418 नर्सों के पद

मानक के अनुसार हैं ? यदि नहीं, तो क्या मानक के अनुसार पद सृजित कर उन पर प्रशिक्षण प्राप्त नर्सों की तैनाती की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं, क्योंकि वर्ष 2001 में उपचारिका के रिक्त पदों के भरने के लिए विज्ञापन किया गया था, परन्तु मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण तैनाती की कार्यवाही सम्भव नहीं है।

लखनऊ, कर्मचारी कल्याण निगम के जलपान गृहों में वरिष्ठ मैनेजरों की नियुक्ति करने संबंधी जानकारी

97-श्री जगराम सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी कल्याण निगम के लखनऊ स्थित जलपान गृहों में मैनेजरों की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की गई। क्या यह सत्य है कि बापू भवन जैसे प्रतिष्ठित जलपान गृह को मात्र एक सहायक मैनेजर द्वारा संचालित किय जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार लखनऊ स्थित जलपान गृहों में वरिष्ठ मैनेजरों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम0 काम0-

जी नहीं।

जी हां।

जी नहीं, जलपान गृह में प्रबन्धकों को उनके कार्य दक्षता/क्षमता के आधार पर तैनात किया जाता है। चूंकि वर्तमान में लखनऊ में 25 "क" श्रेणी के जलपानगृह हैं एवं निगम में कुल 17 प्रबन्धक तैनात हैं। इसलिये सभी जलपान गृहों में प्रबन्धकों की तैनाती, प्रबन्धकों की कमी के कारण सम्भव नहीं है।

प्रदेश के महिला कल्याण विभाग के जनपदीय कार्यालयों में समस्त सम्बद्ध लिपिकों की तैनाती की मांग

98-श्री संजय गर्ग-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2002 के चौथे बुधवार के निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि तैनाती स्थल पर कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो कार्य पूर्ण कराने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है। यदि नहीं तो क्या इनके पदों को समाप्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती माया प्रसाद-

जी नहीं, क्योंकि संप्रति समस्त सम्बद्ध लिपिक उन कार्यालयों में तैनात किये जा चुके हैं जहां पद रिक्त थे।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्यालय लखनऊ के वन विभाग में कार्यरत समाज सेवक तथा संगणक (कम्पायलर) को दो पहिया बुलेट गाड़ी उपलब्ध कराये जाने के प्राविधानों की समीक्षा की जानकारी

99-चौ0 विजेन्द्र सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे वन विभाग मुख्यालय लखनऊ में समाज सेवक तथा संगणक (कम्पायलर) को सरकारी दो पहिया बुलेट गाड़ी दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो किस कार्य हेतु एवं किस नियम के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो मुख्यालय पर तैनात समाज सेवक (श्री वी0 के0 पाण्डेय) तथा कम्पायलर संगणक (श्री आनन्द प्रकाश सिंह) को किस आधार पर बुलेट गाड़ी आवंटित की गई है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

डा0 वी0 के0 पाण्डेय, समाजशास्त्री वर्तमान में अपर प्रमुख वन संरक्षक विश्व बैंक वानिकी परियोजना उ0 प्र0 लखनऊ तथा विशेष, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के साथ सम्बद्ध हैं। परियोजना के कार्यों के संबंध में परियोजना निदेशक एवं वन मुख्यालय व शासन में इन्हें प्रतिदिन कई बार आना-जाना पड़ता है। इसी प्रकार श्री आनन्द प्रकाश सिंह, अन्वेषक-कम-संगणक वर्तमान में वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई उ0 प्र0 लखनऊ के कार्यालय में कार्यरत हैं। इन्हें फील्ड से प्राप्त आंकड़ों को सत्यापित एवं विश्लेषण करने हेतु फील्ड में जाना पड़ता है। अतः शासकीय हितों के निर्वहन में उपरोक्त कर्मियों को दोपहिया वाहन आवंटित किये गये हैं। इसमें किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं है तथा जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

लखनऊ, बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशक द्वारा कनिष्ठ लिपिक को प्रोन्नति किये जाने संबंधी जानकारी

100-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दि0 20-12-2001 को कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नतियां प्रदान की गयी हैं, यदि हां, तो विभिन्न जनपदों तथा निदेशालय स्तर पर कतिपय कनिष्ठ लिपिक प्रोन्नत से वंचित रह गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उनकी पदोन्नतियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जी हां।

कनिष्ठ लिपिक पद से पदोन्नति हेतु गठित समिति द्वारा कतिपय कनिष्ठ लिपिकों को पदोन्नति हेतु पात्र न पाये जाने के कारण उनकी पदोन्नति नहीं की जा सकी।

पात्र पाये जाने पर ही समिति की संस्तुति के आधार पर कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नतियां की जायेंगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में चिकित्सालयों की पुताई व मरम्मत में व्यापक अनियमितताओं की जांच विषयक प्राप्त पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

101-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का रजि0 पत्र संख्या 131634, दिनांक 12-3-98 या इसके आस-पास जो जनपद के चिकित्सालयों की पुताई व मरम्मत में की व्यापक अनियमितताओं के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

शिकायती-पत्र की जांच करायी जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के सीयर व नगरा विकास खण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार उपकरण व दवाओं की उपलब्धता की जानकारी

102-श्री शारदानन्द अंचल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के सीयर व नगरा विकास खण्ड में संचालित प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर दवाओं एवं उपकरणों के अभाव तथा चिकित्सकों की अनुपलब्धता से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार रिक्त पदों को भरने तथा अन्य दवाओं एवं उपकरणों आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जनपद बलिया के सीयर व नगरा विकास खण्ड में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवा एवं उपकरण मानक के अनुरूप उपलब्ध हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर व नगरा में स्वीकृत पद के अनुसार चिकित्सक तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कतिपय अधिकारी/कर्मचारी के रिक्त पदों को भरने की मांग

103-श्री शारदानन्द अंचल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अति0 प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र और नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं, जिनमें चिकित्सक, फार्मासिस्ट और वार्ड ब्वाय के पद रिक्त हैं ? क्या उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, जो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जनपद बलिया के 23 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक, 25 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर फार्मासिस्ट एवं 5 प्राथमिक/सामु0 स्वास्थ्य केन्द्रों पर वार्ड ब्वाय/आया के पद रिक्त हैं।

चिकित्साधिकारियों के चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित है। चयनोपरान्त तैनाती किया जाना सम्भव होगा।

फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर तैनाती किये जाने हेतु महानिदेशालय को निदेश दिये गये हैं।

चतुर्थ श्रेणी के सामान्य पदों पर तैनाती पर प्रतिबन्ध है।'

जनपद बलिया में विगत कई वर्षों में सा0 वा0 योजना में अवमुक्त व व्यय धनराशि का विवरण

104-श्री शारदा नन्द अंचल-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1997-98, 98-99, 99-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 में बलिया जनपद में सामाजिक वानिकी हेतु जिला योजना तथा राज्य योजना में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा कितनी-कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी तथा उक्त वर्षों में कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? अवमुक्त धनराशि के पूर्ण प्रयोग न होने के क्या कारण हैं ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जनपद बलिया में सा0 वा0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 से 2001-02 में नियोजन विभाग, द्वारा स्वीकृत परिव्यय व उसके सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

लाख रु0 में

वर्ष	स्वीकृत परिव्यय		अवमुक्त धनराशि		
	जिला योजना	राज्य योजना	जिला योजना	राज्य योजना	योग
97-98	40.00	1.00	40.00	1.00	41.00
98-99	20.00	--	20.00	--	20.00
99-2000	39.25	--	12.02	--	12.02
2000-2001	53.00	5.00	32.63	5.00	37.63
2001-2002	58.00	2.67	58.00	2.67	60.67

अवमुक्त धनराशि के विरुद्ध व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

लाख रुपये में

वर्ष	जिला योजना	राज्य योजना	योग
97-98	40.00	1.00	41.00
98-99	20.00	--	20.00
99-2000	11.35	--	11.35
2000-2001	32.63	5.00	37.63
2001-2002	58.00	2.67	60.67

केवल वर्ष 99-2000 में सी0सी0एल0 समय से प्राप्त न होने के कारण अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गयी थी।

जनपद सहारनपुर में विगत वर्षों में विधवा महिलाओं के पेंशन स्वीकृत करने संबंधी जानकारी

105-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में वर्ष 1998 से 2002 के मध्य कितनी विधवा पात्र महिलाओं के पेंशन हेतु पत्र प्राप्त हुये हैं, उनमें से कितनी महिलाओं को पेंशन स्वीकृत की गई, कितने प्रार्थना-पत्र शेष हैं, शेष प्रार्थना-पत्रों को कब तक स्वीकृत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती माया प्रसाद-

आलोच्य अवधि में कुल 1408 विधवा महिलाओं के पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं।

समस्त महिलाओं को पेंशन स्वीकृत की गयी है।

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विकास परियोजना (विश्व बैंक) हेतु हास्पिटल फर्नीचर के क्रय में अनियमितता संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

106-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-11-2002 जो उ0 प्र0 स्वास्थ्य विकास परियोजना (विश्व बैंक) हेतु हास्पिटल व फर्नीचर के क्रय में की गयी अनियमितताओं के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां ?

प्रश्नगत शिकायतों की जांच परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना से करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कथित नियुक्ति का प्रकरण

107-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी द्वारा जनवरी, 2001 से अब तक कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी ? क्या उक्त नियुक्तियां आरक्षण कोटे के अनुरूप की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नियुक्तियों में अनियमितातायें की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी द्वारा प्रश्नगत अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रसोई गैस धारक उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से मिट्टी का तेल के वितरण करने संबंधी जानकारी

108-श्री संजय गर्ग-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे क्या रसोई गैस धारक उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन की दुकानों) से मिट्टी का तेल दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त गैस धारकों को पुनः सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिट्टी का तेल देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम0 काम0-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के भोगांव के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की मांग

109-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी-जनपद भोगाव में 1992 में 30 शैय्या वाला प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हुआ था ? क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर कोई स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन पूर्ण तथा विभाग को हस्तगत होने पर चिकित्सा अधिकारी की तैनाती सम्भव हो सकेगी।

जनपद शाहजहांपुर के काकोरी शहीद इण्टर कालेज कटरा में गत वर्ष अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने संबंधी पत्र पर जानकारी

110-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-6-2002 जोकि काकोरी शहीद- इण्टर कालेज कटरा, शाहजहांपुर के अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति वर्ष 2000-2001 उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी शाहजहांपुर से अपने पत्र संख्या-1802 दि0 12-6-02 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नवाब काजिम अली खां-

जी हां।

जी हां।

उक्त विद्यालय की सूची दिनांक 20-10-2000 को प्राप्त हुई। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण विद्यालय को छात्रवृत्ति की धनराशि नहीं दी जा सकी। उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम लि0 में सेवा नियमावली बनाये जाने संबंधी जानकारी

111-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या सरकार कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि0 में अधिकारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों के विनियमन के लिये कोई सेवा नियमावली बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह कब से लागू की गई है ? यदि नहीं, तो सेवा नियमावली के अभाव में निगम में विभिन्न पदों पर भर्तियां किस प्रकार की गईं ? क्या निगम द्वारा शासन से उक्त भर्तियों पर अनुमोदन प्राप्त किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नवाब काजिम अली खां-

जी नहीं। उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो प्राख्यापित आदर्श सेवा नियमावली को अंगीकृत किया गया है।

दिनांक 01-6-91 से लागू की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश वित्त एवं विकास निगम लि0 की बैलेन्सशीट तथा लेखों को अद्यतन करने के संबंध में जानकारी

112-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास लि0 की बैलेन्सशीट तथा लेखें किस वर्ष तक तैयार हो चुके हैं तथा किस वर्ष तक के लेखों का आडिट महालेखाकार उ0 प्र0 द्वारा किया जा चुका है ? क्या यह सही है कि उक्त निगम के लेखें अद्यतन नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो लेखों को अद्यतन न करने हेतु किसी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नवाब काजिम अली खां-

उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 की बैलेन्सशीट तथा लेखें वर्ष 94-95 तक तैयार हो चुके हैं, तथा वर्ष 90-91 तक के लेखों का आडिट महालेखाकार, उ0 प्र0 द्वारा किया जा चुका है।

जी हां।

उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये शासन स्तर से निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में एड्स कार्यक्रम तथा कुष्ठ विभाग को आवंटित धनराशि में व्यापक भ्रष्टाचार विषयक शिकायती-पत्र

113-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-10-2000 जो कि जनपद शाहजहांपुर में एड्स कार्यक्रम तथा कुष्ठ विभाग को आवंटित धनराशि व्यय किये जाने में किये गये व्यापक भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी-शाहजहांपुर ने अपने पत्र संख्या मु0 चिअ0/शि0/एस0 टी0/2000, दिनांक 21-10-2000 में उप मुख्य चिकित्साधिकारी प्रथम को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है। यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

जी हां।

शिकायती पत्र में वर्णित तथ्यों की जांचोपरान्त सभी तथ्य निराधार पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डल/जनपद मुख्यालय में तैनात लिपिकों की एक वरिष्ठता सूची बनवाये जाने की मांग

114-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला कल्याण मंत्री को जानकारी है कि लिपिकीय सेवा नियमावली में मुख्यालय, मण्डल एवं जनपद का संवर्ग एक दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या मण्डल/जनपद मुख्यालय में तैनात लिपिकों की एक वरिष्ठता सूची बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती माया प्रसाद-

जी हां।

अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 5-2-2003 को जारी कर आपत्तियां मांगी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चिकित्साधिकारी को सन्तोषप्रद सेवा उपरान्त वैयक्तिक वेतनमान तथा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय लखनऊ के चिकित्साधिकारियों को भी उक्त लाभ दिलाये जाने की मांग

115-श्रीमती कृष्णा पासवान-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश में नियमित चिकित्साधिकारियों जो पूर्व में चिकित्साधिकारी तृतीय एवं चिकित्साधिकारी सामु0 स्वास्थ्य के पदों पर तैनात रहे हैं, को 8 वर्ष की निरन्तर संतोषप्रद सेवा के उपरान्त वैयक्तिक वेतनमान दिया जा रहा है ? क्या-यह सही है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय टूड़ियागंज, लखनऊ के कुछ चिकित्साधिकारियों को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त लाभ से वंचित चिकित्साधिकारियों को भी वैयक्तिक वेतनमान का लाभ दिलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी हां।

प्रश्नगत वैयक्तिक वेतनमान हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण न करने वाले चिकित्साधिकारियों को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है।

निर्धारित अर्हता पूर्ण करने के उपरान्त ही वंचित चिकित्साधिकारियों को प्रश्नगत लाभ दिया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों के सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों को यथावत् बनाये रखने के आदेश

116-श्रीमती कृष्णा पासवान-

क्या चिकित्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश सं0-4382/71-2-2002-9 स्था0/01 टी0 सी0 दिनांक 22 अक्टूबर, 2002 द्वारा प्रदेश में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध स्नातकोत्तर उपाधिधारी चिकित्साधिकारियों की सम्बद्धता समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त चिकित्साधिकारियों को हटाये जाने के कारण शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण कार्य बाधित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने तक सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों की सम्बद्धता बनाये रखने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी नहीं।

जी नहीं।

शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण कार्य को सुचारु रूप से चलाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-5600/71-2-2002/9, स्था0 2001 टी0 सी0 दिनांक 21 जनवरी, 2003 के माध्यम से आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों से सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों की सम्बद्धता दिनांक 31-3-2003 तक यथावत् बनाये रखी गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-बलरामपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरौला के चीफ फार्मेसिस्ट के स्थानान्तरण की मांग

117-चौ0 विजेन्द्र सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सामुदायिक स्वा0 केन्द्र, उतरौला जनपद-बलरामपुर में वर्तमान में तैनात चीफ फार्मेसिस्ट उतरौला कस्बे का ही मूल निवासी है तथा अपने गृह जनपद में तैनात है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस फार्मेसिस्ट को वहां से स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

जी हां।

स्थानान्तरण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मानक/जनपद बस्ती के कतिपय ग्राम खुरसया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को चालू कराने का कथित प्रकरण

118-श्री राम करन आर्य-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मानक क्या है ? क्या यह सही है कि बस्ती जनपद के बहादुर ब्लाक के परसागांव एवं कबीरनगर जनपद के हैसंर ब्लाक के ग्राम खुरसया में 6 वर्ष से अस्पताल के भवन बनकर तैयार हैं ? यदि हां, तो उक्त भवनों का विभाग द्वारा अधिग्रहण कर उनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

30,000 की जनसंख्या पर प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मानक निर्धारित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर क्षेत्र जहानाबाद में नीलगायों से फसलों की सुरक्षा की मांग

119-श्री मदन गोपाल-

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में नील गायों से किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या किसानों की सुरक्षा के लिये सरकार कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जनपद फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में वनरोजों (नीलगायों) द्वारा किसानों की फसलों को क्षति पहुंचाने की सूचना प्राप्त नहीं है, किन्तु वनरोजों (नीलगायों) द्वारा कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाये जाने की संभावना प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में पायी जाती है।

कृषि फसलों को क्षति पहुंचाने वाले उत्पाती वनरोजों (नीलगायों) की समस्या नियंत्रित करने के लिये उत्पाती वनरोजों (नीलगायों) को नष्ट करने की अनुज्ञा देने हेतु जिलाधिकारियों को शासनादेश संख्या-736/14-4-94-854/92 दिनांक 9 मार्च, 1994 द्वारा तथा उप जिलाधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को शासनादेश संख्या-2194/14-4-2001-854/92 दिनांक 28 सितम्बर, 2001 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रभावित कृषक उक्त अधिकारियों से उत्पाती वनरोजों के आखेट की अनुमति प्राप्त कर समस्या का हल स्वयं कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में स्वीकृत पदो से अधिक कार्यरत फार्मासिस्टों की नियुक्ति का प्रकरण

120-श्री संजय गर्ग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में फार्मासिस्टों के स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में फार्मासिस्ट कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कितने ? स्वीकृत पदों से अधिक फार्मासिस्ट नियुक्त करने का औचित्य क्या है ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

परिधिगत अधिकारियों से इस संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है।

जनपद सहारनपुर के चिकित्सालयों में महिला चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

121-श्री संजय गर्ग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर के चिकित्सालयों में महिला चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर तैनाती कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्डवार समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित/गैर अनुदानित हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या

122-श्री शारदानन्द अंचल-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में विकास खण्डवार समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत कितने हरिजन प्राइमरी पाठशाला संचालित हैं जिसमें कितने अनुदानित और कितने गैर अनुदानित हैं ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद बलिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा कुल 16 अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशाला अनुदानित हैं एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित 30 अनुसूचित जाति प्राथमिक पाठशाला गैर अनुदानित हैं।

विकास खण्डवार विद्यालयों की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में अवलोकित की जा सकती है।

जनपद सहानरपुर के जिला चिकित्सालय में चिकित्सक एवं नर्सों के सृजित पदों की संख्या

123-श्री संजय गर्ग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय सहारनपुर में कुल कितने चिकित्सक एवं नर्सों के पद सृजित हैं ? क्या सृजित पदों के अनुरूप चिकित्सक एवं नर्सें नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जिला चिकित्सालय, सहारनपुर में कुल 23 चिकित्सक के पद तथा नर्सिंग स्टाफ के कुल 47 पद स्वीकृत हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महिला कल्याण विभाग में नर्स संवर्ग में आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

124-श्री राजेन्द्र सिंह राणा तथा श्री संजय गर्ग-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण विभाग में नर्स संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसे पूर्ण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती माया प्रसाद-

जी नहीं।

जी हां।

यह समूह "ग" का पद है। इस पद पर सीधी भर्ती का चयन मा0 न्यायालय के आदेश से स्थगित है।

आक्जलरी नर्स संवर्ग में कोई पद रिक्त नहीं है। प्रोन्नति की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

नवसृजित सहारनपुर मण्डल में वन संरक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी प्रकरण

125-श्री संजय गर्ग-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर मण्डल मुख्यालय पर वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या नियुक्ति के अभाव में कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जी नहीं।

नवसृजित सहारनपुर मण्डल में वन संरक्षक का पद सृजित नहीं है।

जी नहीं। वन संरक्षक, मेरठ द्वारा सहारनपुर मण्डल के वन विभाग संबंधी कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वन विभाग में फारेस्टरों को प्रशिक्षण में सर्वोच्च स्थान पाने वाले को डिप्टी रेंजर के पद पर पदोन्नति व त्रुटिपूर्ण प्रोन्नति वेतनमान पाने का प्रकरण

126-श्री संजय गर्ग-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग में कार्यरत फारेस्टरों को प्रशिक्षण के दौरान सर्वोच्च स्थान पाने पर "डिप्टी रेंजर" के पद पर पदोन्नति का प्राविधान है ? क्या उक्त पदोन्नतियां शासनादेश संख्या : 2739/XI दिनांक 8-2-1971 एवं शासनादेश संख्या : 1674/14-1-128/76 दिनांक 28-7-77 के अनुसार है ? यदि हां, तो श्री राकेश कुमार मिश्रा, श्री मनोज कुमार सिंह चौहान, अवध वृत उ0 प्र0 इन्दिरा नगर, लखनऊ श्री महेन्द्र विक्रम सिंह, कार्यालय वन संरक्षक प्रशिक्षण सेल, मानव संसाधन विकास, विश्व बैंक परियोजना उ0 प्र0 लखनऊ आदि कार्मिक स्थानापन्न रूप से की गई डिप्टी रेंजर के पद पर प्रोन्नत कार्मिक को अगले उच्चतर पद "वन रेंजर" के प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने का औचित्य क्या है।

ठाकुर जयवीर सिंह-

जी नहीं, सबआरडीनेट फारेस्ट (रेंजर्स, डिप्टी रेंजर्स और फारेस्टर) सर्विस (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2001 में फारेस्टरों को प्रशिक्षण के दौरान सर्वोच्च स्थान पाने पर डिप्टी रेंजर के पद पर पदोन्नति किये जाने का प्राविधान नहीं है।

संदर्भित शासनादेशों द्वारा फारेस्टरों को प्रशिक्षण के दौरान सर्वोच्च स्थान पाने पर डिप्टी रेंजर के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति का प्राविधान किया गया था किन्तु संगत सेवा नियमावली के अनुकूल न होने के कारण उक्त व्यवस्था को शासनादेश सं0-2530/14-3-700 (16)/96; दिनांक 9-9-2002 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

संदर्भित कार्मिकों को अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा त्रुटिवश प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त स्वीकृतियां नियमावली के अनुरूप न होने के कारण उच्च स्तर से निरस्त कर दी गयी है।

डा0 एम0 के0 पाण्डेय, वरिष्ठ क्षय रोग अधिकारी के स्थानान्तरण संबंधी श्री हरीराम शर्मा, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार शोषण निवारण समिति पीलीभीत के शिकायती-पत्र के साथ आयुक्त बरेली मण्डल बरेली के पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

127-श्री रियाज अहमद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि डा0 एम0 के0 पाण्डेय, वरिष्ठ क्षय रोग अधिकारी के स्थानान्तरण संबंधी हरीराम शर्मा, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार शोषण निवारण समिति पीलीभीत के शिकायती-पत्र के साथ आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली का पत्र संख्या : 2598-2600/सत्तरह-1 (01-02) दिनांक 10-6-2002 पर समुचित कार्यवाही हेतु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0 प्र0 शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

आयुक्त, बरेली मण्डल के प्रश्नगत उल्लिखित पत्र दिनांक 10-6-2002 के साथ कथित पत्र न मिलकर उ0 प्र0 न्यूज पेपर एसोसियेशन के राज्य अध्यक्ष श्री बी0एस0 शर्मा का डा0 पाण्डेय के विरुद्ध शिकायती-पत्र मिला है साथ ही श्री हरीराम शर्मा का पत्र दिनांक 6-4-2002 अभिलेखों में मौजूद है, इन सभी शिकायती-पत्रों पर अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली से जांच करायी गयी थी। जांच आख्या अपूर्ण होने के कारण कुछ बिन्दुओं पर जांच पूरी करायी जा रही है, जिसके आधार पर प्रकरण में समुचित निर्णय यथासमय लिया जायेगा।

जनपद पीलीभीत के टी0बी0 अस्पताल के डा0 एम0 के0 पाण्डेय द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

128-श्री रियाज अहमद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-पीलीभीत में टी0बी0 अस्पताल में कार्यरत वरिष्ठ क्षय रोग अधिकारी डा0 एम0 के0 पाण्डेय द्वारा विगत चार वर्षों से प्राइवेट प्रैक्टिस करने विषयक शिकायती-पत्र मुदस्सिर खां नगर सचिव, समाजवादी पार्टी निवासी मो0 भूरे खां, पीलीभीत का रजिस्टर्ड पत्र सं0-17 दि0 6-7-01 आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

संबंधित शिकायत की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली से करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच आख्या अपूर्ण होने के कारण कुछ बिन्दुओं पर जांच पूर्ण कराई जा रही है जिसके आधार पर प्रकरण में समुचित निर्णय यथासमय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माण शाला में तैनात दैनिक वेतन भोगी, चतुर्थ/तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को बोनस भुगतान संबंधी प्रकरण

129-श्री राम करन आर्य-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में तैनात दैनिक वेतनभोगी, चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को शासनादेश संख्या-बे0आ0-1-1000 (1)/दस-2002-18 (एम)/2002 तद्दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 द्वारा घोषित बोनस उन्हें नहीं दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि विगत वर्ष 2000,-2001 में भी घोषित बोनस की राशि नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा बकाया बोनस के भुगतान का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी हां।

जी हां।

राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में तैनात उल्लिखित कर्मचारियों के बोनस की भुगतान मानक मद-02-मजदूरी मद से किया जाता है। उक्त मद में आवश्यकता से कम बजट प्राविधान होने तथा मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत आर0सी0 के दृष्टिगत उक्त प्राविधान के सापेक्ष दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के अवशेष बोनस का भुगतान किये जाने के कारण बोनस भुगतान हेतु धनराशि सम्प्रति अवशेष नहीं है।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के अवशेष दायिता का भुगतान किये जाने हेतु पुनर्विनियोग से धनराशि वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत होने पर उक्त मद में धनराशि भुगतान किये जाने हेतु कार्यवाही की जानी संभव होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के विनियमितीकरण की मांग

130-डा0 कौशल किशोर-

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उ0 प्र0 लखनऊ में विगत 6 वर्षों से शैक्षणिक कार्य हेतु संविदा पर तैनात कर्मियों को सरकार नियमित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

वर्तमान में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उ0 प्र0 लखनऊ में शैक्षणिक पदों पर कार्यरत समस्त 08 पदाधिकारियों को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जा चुका है।

तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवनयापन हेतु 250 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की मांग

131-श्री शारदानन्द अंचल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को गुजारे के लिए 250 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के जिला प्रोवेशन कार्यालय में लिपिकों के पदों के सृजन संबंधी प्रकरण

132-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के जिला प्रोवेशन कार्यालय में कितने लिपिकों के पद सृजित है तथा इस समय कितने लिपिक तैनात हैं ? क्या यह सही है कि सृजित पदों से अधिक लिपिक तैनात हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सृजित पदों से अधिक तैनात लिपिकों का स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती माया प्रसाद-

दो।

दो।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/नये प्राथमिक स्वा0 केन्द्रों अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विभिन्न स्तर के रिक्त पदों एवं उनको भरने संबंधी प्रकरण

133-श्री शारदानन्द अंचल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों नये प्रा0 स्वा0 केन्द्रों और अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्रों में विभिन्न स्तर के कुल कितने-कितने पद रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जनपद बलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न स्तर पर 23 चिकित्सक, 25 फार्मासिस्ट एवं 11 चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं।

चिकित्साधिकारियों के चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित है। चयनोपरान्त उक्त रिक्त पदों पर तैनाती किया जाना सम्भव होगा।

फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु महानिदेशालय को निर्देश दिये गये हैं।

चतुर्थ श्रेणी के सामान्य वर्ग के पदों पर तैनाती प्रतिबन्धित है।

जनपद लखनऊ में पेट्रोल पम्पों पर घटतौली को रोकने तथा गैलन से पेट्रोल दिये जाने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

134-श्री संजय गर्ग-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मा0 श्री आर0 एस0 राजौरिया का आपको संबोधित पत्र दि0 21-12-02 जो जनपद-लखनऊ में पेट्रोल पम्पों पर घटतौली को रोकने तथा गैलन से पेट्रोल दिये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम0काम0-

जी हां।

घटतौली रोकने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसे रोकने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 31-1-2003 तक जनपद लखनऊ में कुल 925 पेट्रोल/डीजल पम्पों का निरीक्षण किया गया जिनमें से 27 पेट्रोल/डीजल पम्पों पर अनियमितता के मामले प्रकाश में आये। उक्त 27 पेट्रोल/डीजल पम्पों से समझौता शुल्क के रूप में रुपये 62,000 (रुपये बासठ हजार मात्र) अर्थदण्ड के रूप में वसूल किया गया।

जहां तक गैलन में डालकर पेट्रोल दिये जाने का संबंध है वर्तमान में गैलन से पेट्रोल दिये जाने के संबंध में नियमावली में कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कालेज कानपुर के तत्कालीन प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग (वर्तमान प्रधानाचार्य, जी0एस0वी0एम0) श्री राजेश कुमार गुप्ता द्वारा फर्जी यात्रा भत्ता सरकारी कोष से आहरित किये जाने का प्रकरण

135-श्री आनन्द सेन-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा को संबोधित श्री राम विशुन आजाद, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 29-11-2002, जो श्री राजेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग (वर्तमान में प्रधानाचार्य, जी0एस0वी0एम0) मेडिकल कालेज, कानपुर द्वारा फर्जी यात्रा चार्ज किये जाने के संबंध में है, दिनांक 30-11-2002 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

डा0 राजेश कुमार गुप्ता तत्कालीन प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (वर्तमान में कार्यवाहक प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज कानपुर) द्वारा सूरत में आयोजित कांफ्रेंस में भाग लेने हेतु दिनांक 28-12-95 से 2-1-96 तक विशेष अवकाश की प्रार्थना की गई थी किन्तु कार्यहित में उनके द्वारा दिनांक 30-12-95 की दोपहर तक कार्य किया गया एवं अपरान्ह में कांफ्रेंस में भाग लेने हेतु प्रस्थान किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये यात्रा भत्ता देयक में त्रुटिवश 28-12-95 की तिथि अंकित कर दी गई थी किन्तु उक्त तिथियों में उनके द्वारा कोई वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। भविष्य में टी0ए0 बिल ठीक प्रकार से बनाकर प्रस्तुत करने हेतु उन्हें सचेत किया जा चुका है। इस विषय की पुनः जांच कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला रायबरेली के चिकित्सालय में कार्यरत उपचारिका श्रीमती महेन्द्र कौर का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत न किये जाने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

136-श्री आनन्द सेन-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 शिव प्रताप यादव, विधायक , बलरामपुर का पत्र दिनांक 29-11-02 जो जिला चिकित्सालय, रायबरेली में कार्यरत उपचारिका श्रीमती महेन्द्र कौर का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत न किये जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

श्रीमती महेन्द्र कौर, उपचारिका दिनांक 08-7-1984 से 07-6-1988 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थीं, जिसके फलस्वरूप महानिदेशालय के आदेश दिनांक 01-6-1988 से इस अवधि को "सेवा में व्यवधान" माना गया है।

इस संबंध में श्रीमती महेन्द्र कौर व उनके पति से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन ने आदेश दिनांक 26 अगस्त, 2002 के द्वारा अस्वीकार कर दिया तथा अनाधिकृत अनुपस्थित के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि संबंधी जानकारी

137-डा0 पी0 के0 राय-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 एवं 15 दिसम्बर, 2002 तक कितना धन प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत सभी कार्य करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम परियोजना को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2001-2002 तक रु0 35.51 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2002-2003 (15 दिसम्बर, 2002 तक) रुपये 23.50 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

योजना की अवधि दिसम्बर, 2005 तक है। उक्त योजना के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है।

जनपद आजमगढ़ खन्डौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विकास खण्ड पवई के भवन निर्माण संबंधी जानकारी

138-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि खन्डौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विकास खण्ड पवई जनपद आजमगढ़ के भवन का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

जिला योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा पारित परिव्यय एवं वित्तीय संशाधनों पर निर्भर करता है।

जनपद हरदोई के बाल/महिला चिकित्सालय प्रसूति केन्द्र सण्डीला में रंगाई-पुताई पर व्यय की गयी धनराशि संबंधी जानकारी

139-श्री बादशाह सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-हरदोई के बाल एवं महिला चिकित्सालय प्रसूति केन्द्र सण्डीला की 2002 में रंगाई-पुताई की गयी है ? यदि हां, तो उस मद में कितनी धनराशि व्यय की गई है ? क्या यह सही है कि पुताई न कराकर पुताई के नाम पर फर्जी भुगतान कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

बिल प्राप्त न होने के कारण अभी कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में मेडिकल कालेज खोले जाने की मांग

140-श्री संजय गर्ग-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जनपद सहारनपुर में मेडिकल कालेज खोले जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो मेडिकल कालेज की स्थापना कब तक करा दी जायेगी ?

श्री लालजी वर्मा-

सरकार द्वारा स्वयं जनपद सहारनपुर में मेडिकल कालेज खोले जाने का विचार नहीं है। प्रदेश में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सरकार द्वारा मेडिकल/डेण्टल कालेज की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र की संस्थाओं को इस दिशा में पूंजी विनियोग करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए निजी क्षेत्र में मेडिकल/डेण्टल कालेज स्थापित किए जाने हेतु वर्ष 1994 में नीति घोषित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय ललितपुर में दवाओं की खरीद-फरोख्त की जांच कराने विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

141-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 13 अगस्त, 2002 जो जिला चिकित्सालय ललितपुर में दवाओं की खरीद-फरोख्त की जांच कराने विषयक था, अपर निदेशक भण्डार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिस पर निर्णय लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी उ0 प्र0 द्वारा शासनादेश के विरुद्ध अनियमित नियुक्ति प्रदान करने के प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

142-श्री धर्मराज निषाद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी उ0 प्र0 लखनऊ में शासनादेशों के विरुद्ध कनिष्ठ लिपिक को उच्चतर वेतनमान देकर कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद पर तैनाती के संबंध में मुख्य सचिव को संबोधित 25 विधायकों के हस्ताक्षरयुक्त श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 25-3-98 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

प्रकरण में अनियमित नियुक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी आंधेकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर क्षेत्र जलालपुर के विकास खण्ड भियांव के ग्राम पंचायत नेवादा कला में पं0 दीन दयाल नाम से फर्जी तौर पर विद्यालय चलाने संबंधी जानकारी

143-श्री राकेश पाण्डेय-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि अम्बेडकर नगर जनपद के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के विकास खण्ड भियांव के ग्राम पंचायत नेवादा कला में पं0 दीन दयाल नाम से वर्तमान में फर्जी तौर पर चलाये जा रहे विद्यालय के 70 (सत्तर) बच्चों की छात्रवृत्ति का 21,000/-(इक्कीस हजार) रु0 ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा निकाल कर हड़प कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार फर्जी सूची के आधार पर धन निकालने के प्रकरण की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों से धन वसूलने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 पिछड़ा वर्ग आयोग में अंकित उत्पीड़न के मामलों के निस्तारण संबंधी जानकारी

144-श्री संजय गर्ग-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पिछड़ा वर्ग आयोग में वर्ष 1998 से दिसम्बर, 2002 तक उत्पीड़न के कितने मामले अंकित किये गये हैं ? उनमें से कितने मामले निस्तारित किये गये तथा कितने अवशेष हैं ? अवशेष मामलों को कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री विनोद कुमार यादव)-

वर्ष 1998 से दिसम्बर, 2002 तक उ0 प्र0 पिछड़ा वर्ग आयोग में उत्पीड़न के कुल 4486 मामले अंकित किये गये तथा इसमें से कुल 3602 मामले निस्तारित किये गये। कुल 884 मामले अवशेष हैं।

अवशेष मामलों में सुनवाई की कार्यवाही चल रही है। आयोग को प्राप्त शिकायतों का निस्तारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप सुनवाई करके करना पड़ता है इस कारण न्यायिक मामलों में समय की सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में बाल चिकित्सालयों की स्थापना संबंधी जानकारी

145-श्री धनन्जय सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य में बाल चिकित्सालयों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में बाल चिकित्सालय स्थापित करने की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों के अन्तर्गत कानपुर तथा इलाहाबाद में एक-एक बाल चिकित्सालय स्थापित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत नेपाल सीमा पर जरवा-कायेला ब्रास चेकपोस्ट से पत्थर की निकासी विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

146-डा0 शिव प्रताप यादव-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत भारत, नेपाल सीमा पर स्थित जरवा-कायेला ब्रास चेकपोस्ट से पत्थर की निकासी हेतु वन विभाग द्वारा अभिवाहन पास जारी करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/

आर0-4533-4633/2002, दिनांक 8-9-02 द्वारा वन विभाग जनपद बलरामपुर को अभिवाहन पास जारी करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या अभिवाहन पास जारी किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

प्रश्न में उल्लिखित मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/आर0-4533-4633/2002, दिनांक 8-9-02 प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु इसी विषय पर मा0 विधायक का पत्र दिनांक 20-9-2002 विधायक कोष्ठक के पत्र सं0- संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/68736/2002, दिनांक 23-9-02 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसमें वन विभाग जनपद बलरामपुर को अभिवाहन पास जारी करने के कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

प्रश्नगत वन क्षेत्र का अधिकांश भाग वन्य जीव विहार की सीमाओं के अन्तर्गत पड़ता है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित रिट याचिका सं0-202/95, टी0एन0 गोडावर्मन थिरूमल्कपाद बनाम भरत संघ व अन्य में पारित आदेश के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्रों में सभी प्रकार की गैर वानिकी गतिविधियां प्रतिबन्धित हैं। इसके अतिरिक्त नेपाल से देश की सीमा में लाये जाने वाले पत्थरों की कोलाबास नाके से निकासी राष्ट्र की सुरक्षा के हित में नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग में पुरुष/महिला चिकित्साधिकारी के पदों के संबंध में जानकारी

147-श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह तथा श्री कौशल किशोर-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में पुरुष चिकित्साधिकारी एवं महिला चिकित्साधिकारी के पद अलग-अलग सृजित हैं ? यदि हां, तो वर्तमान में लखनऊ शहर में कितने पुरुष एवं कितने महिला चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं ? क्या सरकार महिला चिकित्साधिकारियों के पदों पर पुरुष चिकित्साधिकारियों की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में डाक्टरों के स्थानान्तरण की समय सीमा निर्धारण न होने/सचिवालय डिस्पेन्सरी में समय सीमा निर्धारण दो वर्ष करने के संबंध में जानकारी

148-श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह तथा कौशल किशोर-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के दूसरे बुधवार हेतु निर्धारित श्री शाहिद मंसूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-18 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्थानान्तरण नीति में डाक्टरों के संबंध में समय सीमा निर्धारित नहीं है ? यदि हां, तो पूरे प्रदेश में मात्र सचिवालय डिस्पेंसरी (एलोपैथिक) में ही तैनाती में दो वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां, परन्तु समय-समय पर स्थानान्तरण नीति में आवश्यकतानुसार संशोधन होता रहता है।

उ0 प्र0 सचिवालय, प्रदेश शासन की शीर्षस्थ एवं विशिष्ट संस्था है। अतः प्रशासनिक निर्णय के अन्तर्गत सचिवालय की विशिष्टता को दृष्टिगत रखते हुए इसके अन्तर्गत स्थापित सचिवालय (एलोपैथिक) डिस्पेंसरी की चिकित्या सुविधा की उपलब्धता में दक्षता/कार्यकुशलता को प्रभावी बनाये रखने के उद्देश्य से सचिवालय (एलोपैथिक) डिस्पेंसरी में चिकित्सकों की तैनाती की अवधि 02 वर्ष निर्धारित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, होम्योपैथी, उ0 प्र0 के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति के विषय में जानकारी

149-श्री राम विशुन आजाद-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्ति किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमला प्रसाद रावत-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक होम्योपैथी, उ0 प्र0 का पद पदोन्नति का है, जिस पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर चयनित व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है।

होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत अंशकालिक प्रवक्ताओं के स्थान पर पूर्णकालिक प्रवक्ताओं की नियुक्ति की मांग

150-श्री राम विशुन आजाद-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत अंशकालिक प्रवक्ताओं की जगह पूर्णकालिक प्रवक्ताओं की नियुक्ति किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमला प्रसाद रावत-

जी हां।

होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के पूर्णकालिक प्रवक्ता के पद लोक सेवा आयोग के परिधिगत हैं।

प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में सेन्ट्रल कांउसिल आफ होम्योपैथी के निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी प्रकरण

151-श्री राम विशुन आजाद-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में सेन्ट्रल काउंसिल आफ होम्योपैथी के निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि नहीं, तो कितने शिक्षकों की कमी है ? उक्त कमी को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमला प्रसाद रावत-

जी नहीं।

वर्तमान में प्रदेश में कुल सात राजकीय होम्यो0 मेडिकल कालेज संचालित हैं। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् नई दिल्ली द्वारा निर्धारित नवीनतम् मानक के अनुसार एक होम्योपैथी मेडिकल कालेज के शैक्षिक संवर्ग हेतु प्रोफेसर के 13 पद, रीडर के 15 पद एवं प्रवक्ता के 15 पदों का मानक निर्धारित है। इस प्रकार 07 राजकीय होम्यो0 मेडिकल कालेजों के लिए प्रोफेसर के 91 पद, रीडर के 105 पद तथा प्रवक्ता के 105 पद होने चाहिए, जबकि संदर्भगत सातों कालेजों के लिए वर्तमान में प्रोफेसर के 10 पद, रीडर के 10 पद, प्रवक्ता के 126 पद एवं डिमांस्ट्रेटर के 31 पद सृजित हैं। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् नई दिल्ली के मानक से अधिक उपलब्ध प्रवक्ता के 21 पदों तथा परिषद् के नवीनतम् मानक से निकाले गये डिमांस्ट्रेटर के 31 पदों को उच्चीकृत कर शैक्षिक संवर्ग के अन्य पदों में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त 52 पदों के उच्चीकृत हो जाने के उपरान्त शैक्षिक संवर्ग के 124 पदों की कमी रहेगी। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् नई दिल्ली के नवीनतम् मानक के अनुसार वांछित 301 पदों के सापेक्ष वर्तमान में 69 प्रवक्ता तथा 01 रीडर कार्यरत हैं। वर्तमान में शिक्षकों की कमी को अतिथि प्रवक्ता आमंत्रण व्यवस्था के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

प्रदेश में होम्योपैथी चिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट (एम0डी0) कक्षायें प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव

152-श्री राम विशुन आजाद-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में होम्योपैथी चिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट (एम0डी0) अध्ययन की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार एम0 डी0 की कक्षायें प्रारम्भ किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमला प्रसाद रावत-

जी हां।

राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज लखनऊ राजकीय पंडित जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज कानपुर तथा राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज इलाहाबाद में एम0 डी0 कक्षायें प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान किये जाने का अनुरोध केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् नई दिल्ली से किया गया है।

जनपद हरदोई के जिला चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के संबंध में जानकारी

153-डा0 अशोक बाजपेयी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, हरदोई में चतुर्थ श्रेणीं कर्मचारी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं ? वर्ष 2002 में कितने रिक्त पदों पर भर्ती की गयी है ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जिला चिकित्सालय, हरदोई में चतुर्थ श्रेणी के कुल 56 पद स्वीकृत हैं और 48 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं।

वर्ष 2002 में 7 रिक्त पदों पर भर्ती की गयी है।

जनपद लखनऊ, नारी शिक्षा निकेतन महाविद्यालय के बी0ए0 द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति छात्राओं को न दिये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

154-श्री शारदा नन्द अंचल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नारी शिक्षा निकेतन महाविद्यालय लखनऊ के बी0ए0 द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति छात्राओं को न दिये जाने विषयक पत्र संख्या-740 पी0एस0/सामान्य/2002, दिनांक 21 जून, 2002 तथा 2207 वी0आई0पी0/2002, दिनांक 02 सितम्बर, 2002 समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

पत्र संख्या-2207 वी0आई0पी0/2002, दिनांक 2 सितम्बर, 2002 प्राप्त हुआ है।

समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ द्वारा दिनांक 18-9-2002 के आदेश के क्रम में विद्यालय द्वारा चेक संख्या-794388, दिनांक 5-10-99 द्वारा रु0 1259/-का भुगतान संबंधित छात्रा को कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य महिला आयोग में महिला उत्पीड़न से संबंधित दर्ज कतिपय मामलों के निस्तारण की मांग

155-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य महिला आयोग में वर्ष 2002 में कितने मामले महिला उत्पीड़न के दर्ज किये गये हैं ? दर्ज मामलों में कितने मामले आयोग द्वारा निस्तारित किये गये हैं और कितने लम्बित हैं ? क्या सरकार लम्बित मामलों को शीघ्र निस्तारित कराये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती माया प्रसाद-

1805 मामले।

210 मामले।

1595 मामले लम्बित हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, राजाजीपुरम् में रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय में चिकित्सा अधीक्षक के पद की स्वीकृति व तैनाती का मामला

156-श्री कौशल किशोर-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम् लखनऊ में चिकित्सा अधीक्षक का पद स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो उक्त पद पर चिकित्सा अधीक्षक तैनात करने का औचित्य क्या है ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम् लखनऊ की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु चिकित्सा अधीक्षक की तैनाती की गयी।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर में लड़कियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने विषयक जानकारी

157-श्री आनन्द सेन-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में 1 जनवरी, 2002 से अब तक तहसील मिल्कीपुर में लड़कियों के शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं, कितने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है, कितने शेष हैं ? सरकार द्वारा शेष व्यक्तियों को आर्थिक सहायता कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद फैजाबाद में तहसील मिल्कीपुर में दि0 1 जनवरी, 2002 से अब तक लड़कियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में 16 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 15 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी। एक आवेदन-पत्र को अपात्र होने के कारण निरस्त कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में लैब टेक्नीशियन के स्वीकृत पदों के मा0 न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

158-श्री संजय गर्ग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में लैब टेक्नीशियन के कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या सभी स्वीकृत पदों पर लैब टेक्नीशियन कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जनपद सहारनपुर में लैब टेक्नीशियन के कुल 21 पद स्वीकृत हैं।

जी नहीं,

विभाग में लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया पर विवाद होने के कारण प्रकरण सम्प्रति मा0 न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

159-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों का अभाव है, जिससे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण चिकित्सकीय सेवाओं के लिए अलग से ग्रामीण कैडर बनाकर डाक्टरों की नियुक्तियां करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

प्रदेश में चिकित्साधिकारियों की कमी के कारण चिकित्सा सुविधायें बाधित हो रही हैं।

जी नहीं।

वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है। चिकित्साधिकारियों की कमी दूर करने के लिये अधियाचन उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग भेजा जा चुका है।

जनपद प्रतापगढ़ ग्राम कोठा नेवढ़िया तेलियानी, तहसील सदर में आरा मशीनों के संचालन विषयक जानकारी

160-श्री सोमारू राम सरोज-

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि ग्राम कोठा नेवढ़िया तेलियानी, तहसील सदर, जनपद प्रतापगढ़ में कुल कितनी आरा मशीनें संचालित हैं ? क्या उक्त आरा मशीनों के संचालन हेतु लाइसेन्स निर्गत किया गया है ? यदि नहीं, तो अवैध रूप से संचालित आरा मशीनों को कब तक बन्द करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

ग्राम-कोठा नेवढ़िया तेलियानी, तहसील-सदर जनपद-प्रतापगढ़ में कोई आरा मशीन संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लिपिकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरणों में नीतिगत प्रक्रिया बिना स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में जानकारी

161-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कर्मियों (लिपिकों) के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तण हेतु सम्बन्धित जिले के जिला पूर्ति अधिकारी अथवा जिलाधिकारी की संस्तुति आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या कार्यालय आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के आदेश क्रमशः दिनांकित 24-7-2000, 24-3-2001, 30-6-2001 तथा दिनांक 21-6-2002 द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लिपिकों के किये गये अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरणों में उक्त प्रक्रिया/नीति अपनायी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्या नीतिगत प्रक्रिया अपनाये बगैर किये गये उक्त स्थानान्तरण निरस्त किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबूराम, एम0 काम0-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त स्थानान्तरण शासन की नीति के अन्तर्गत किये गये हैं।

जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजहांपुर कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

162-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-1 नं0-174443 तथा पत्र सं0-क-1-236611 दिनांक 19-3-02 जो जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में था जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

मा0 सदस्य का पत्र संख्या-क-1 नं0-236611 दिनांक 19-3-2002 जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ जो कि तृतीय संशोधित कुष्ठ निवारण अभियान दिनांक 2-10-2001 से 8-10-2001 में खोजे गये रोगियों की संख्या अभियान के संचालन हेतु प्राप्त धनराशि तथा व्यय की गयी धनराशि के विवरण से सम्बन्धित था। पत्र संख्या-क-1 नं0-174443 दिनांक 19-3-2002 जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त नहीं हुआ।

मा0 सदस्य द्वारा वांछित सूचना जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजहांपुर के पत्र दिनांक 24-6-2002 द्वारा उनको उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में अधीक्षिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग

163-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधीक्षिकाओं के कितने पद रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि अधीक्षिकाओं के पद रिक्त होने के कारण संस्थाओं का कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो रिक्त पदों पर अधीक्षिकाओं की भर्ती करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती माया प्रसाद-

15 पद।

प्रभारी अधीक्षिका द्वारा कार्य सम्पादित हो रहा है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन कालपी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पोस्टमार्टम की सुविधा

164-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालपी जनपद जालौन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में भर, राजभर, कमकर, बिन्द आदि जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने की मांग

165-श्री शारदानन्द अंचल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजभर, भर, कमकर, मल्लाह, बिन्द, धीकर, कश्यप, नोनिया, लोनिया जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने हेतु क्या सरकार अपनी संस्तुति केन्द्र सरकार से करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं। भर, राजभर जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव वर्ष 1982 में भारत सरकार को भेजा गया है, परन्तु भारत सरकार से अभी तक निर्णय की जानकारी नहीं हुई है। मल्लाह, बिन्द, धीकर, कश्यप के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सर्वेक्षण कराने पर पाया गया कि यह जातियां अनुसूचित जाति घोषित करने हेतु निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती है। कमकर, नोनिया एवं लोनिया जातियां पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित हैं इन्हें अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। अतः केन्द्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा संस्तुति नहीं की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के राजकीय यूनानी कालेज से सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों को उनके मूल स्थान पर वापस करने की मांग

166-श्री शहजिल इस्लाम-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के चौथे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-15 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय यूनानी कालेज, लखनऊ से सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों को किन-किन तारीखों में उनके मूल तैनाती स्थानों पर वापस किया गया है ? क्या उक्त सभी चिकित्साधिकारियों ने अपने-अपने मूल स्थानों पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

राजकीय यूनानी कालेज, लखनऊ से सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों को दिनांक 28-10-02 के आदेशों द्वारा उनके मूल तैनाती के स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वापस किया गया है।

जी नहीं। क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण कार्य को सुचारु रूप से चलाने के दृष्टिगत आयुर्वेदिक एवं युनानी कालेजों से सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों की सम्बद्धता दिनांक 31-3-2003 तक यथावत बनाये रखी गयी है।

जनपद लखनऊ के राजकीय यूनानी कालेज में कार्यरत प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच तथा उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

167-श्री शहजिल इस्लाम-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय यूनानी कालेज, लखनऊ में कार्यरत प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कितनी जांचें लम्बित हैं ? वह किन-किन जांचों में दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

राजकीय यूनानी कालेज, लखनऊ में कार्यरत प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की दो जांचें लम्बित हैं।

प्रथम जांच में प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक राजकीय यूनानी कालेज, लखनऊ दोषी पाये गये तथा उन्हें दण्डित किये जाने का निर्णय लिया गया है। दण्डादेश निर्गत किये जाने से पूर्व नियमानुसार लोक सेवा आयोग से परामर्श हेतु प्रकरण मा0 लोक सेवा आयोग को संदर्भित है।

द्वितीय जांच में निदेशक आयुर्वेद द्वारा अपने पत्र सं0-2260/शिखा, दिनांक 27-8-01 एवं पत्र सं0-2266/शिक्षा, दिनांक 10-07-2002 द्वारा वित्त नियंत्रक आयुर्वेद विभाग को प्रकरण की जांच के निर्देश दिये गये हैं। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण निदेशालय में निदेशक द्वारा सहायक शोध अधिकारी की कथित नियुक्ति का प्रकरण

168-श्री संजय गर्ग-

प्रश्न नहीं उठता।

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महिला कल्याण निदेशालय में लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले निदेशक द्वारा वर्ष 1991 में सहायक शोध अधिकारी की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त नियुक्ति को निरस्त करते हुए निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती माया प्रसाद-

जी नहीं। निदेशालय में सहायक शोध अधिकारी का कोई पद सृजित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महिला कल्याण विभाग के जनपदीय कार्यालयों में कार्यरत सहायक अधीक्षकों का निदेशालय से सम्बद्धता का कथित प्रकरण

169-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपदों में तैनात सहायक अधीक्षक, निदेशालय से सम्बद्ध हैं ? क्या इससे उनके जनपदों का कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या उन्हें उनके मूल पदों पर वापस भेजा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती माया प्रसाद-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में श्री श्याम पुत्र बदले द्वारा फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र बनवाये जाने विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र

170-श्री कौशल किशोर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक श्री अजय कुमार पोइया का पत्र दिनांक 9 अक्टूबर, 2002 जो श्याम पुत्र बदले, निवासी सराय आजमाबाद, थाना नरहोली, तहसील व जिला मथुरा द्वारा फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र बनवाये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में उपचारिकाओं के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

171-श्री संजय गर्ग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में उपचारिकाओं के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

कुल 722 पद रिक्त हैं।

जी नहीं। वर्ष 2001 में रिक्त पदों को भरने के लिये विज्ञापन किया गया था, किन्तु मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण रिक्त पद वर्तमान समय में भरा जाना सम्भव नहीं है।

जनपद जौनपुर में विगत 3 वर्षों में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना बन्द किये जाने की कथित जानकारी

172-श्री धनन्जय सिंह-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद-जौनपुर में विगत 3 वर्षों में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित कौन-कौन सी योजनायें बन्द करने का निर्णय लिया गया है ? क्या सरकार उक्त बन्द योजनाओं की जगह कोई नई योजनाएं लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कौन सी योजनायें हैं और उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्रीमती माया प्रसाद-

किसी योजना को बन्द करने का निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी मण्डल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम एवं इसमें केन्द्र सरकार की भागीदारी के सम्बन्ध में जानकारी

173-श्री धनन्जय सिंह-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 2001-2002 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वाराणसी मण्डल में कौन-कौन से कार्यक्रम संचालित किये गये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कार्यक्रमों में कौन-कौन से केन्द्र सरकार की भागीदारी द्वारा संचालित हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्र सरकार की भागीदारी से सम्बन्धित कार्यक्रम/योजनायें उक्त मण्डल में संचालित नहीं की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में वाराणसी मण्डल में राष्ट्रीय कुष्ठ, क्षय, दृष्टिहीनता एवं मलेरिया रोधी कार्यक्रम संचालित किये गये हैं।

राष्ट्रीय कुष्ठ, क्षय, दृष्टिहीनता एवं मलेरिया रोधी कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

उपरोक्त योजनायें वाराणसी मण्डल सहित सम्पूर्ण प्रदेश में संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फार्मेसिस्ट के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

174-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रिक्त फार्मेसिस्ट के पदों को भरने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो फार्मेसिस्टों की नियुक्तियां कब तक करा दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी हां ।

फार्मासिस्ट के रिक्त 550 पदों को भरे जाने हेतु वर्ष 2000 में विज्ञापन कराया गया था। उक्त विज्ञापन के विरुद्ध कतिपय फार्मासिस्टों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में विभिन्न वाद-दायर किया गया है, जिसमें मा0 न्यायालय के विभिन्न स्थगनादेशों के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया स्थगित है।

-तदैव-

वाराणसी मण्डल में ग्रामीण उद्योग विभाग एवं केन्द्र सरकार की भागीदारी द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी

175-श्री धनन्जय सिंह-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 2001-2002 से ग्रामीण उद्योग विभाग द्वारा वाराणसी मण्डल में कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं ? उक्त योजनाओं में से कौन-कौन सी योजनायें केन्द्र सरकार की भागीदारी से संचालित है ? क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार की भागीदारी द्वारा संचालित योजनाएं उक्त मण्डल में संचालित नहीं की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त योजनायें कब तक संचालित करा दी जायेंगी।

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

वर्ष 2001-2002 से वाराणसी मण्डल में उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य सरकार की जिला योजनान्तर्गत व्यक्तिगत उद्यमियों की ब्याज उपादान योजना तथा केन्द्रीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार की मार्जिन मनी योजना संचालित की जा रही है।

उक्त योजनाओं में केन्द्र सरकार की मार्जिन मनी योजना (ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम) संचालित की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर विकास खण्ड जैतीपुर के अम्बेडकर गांव हमौरा सिमरा में स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन न मिलने की जांच

176-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0-63696 दिनांक 4-8-02 जो अम्बेडकर गांव हमौरा सिमरा विकास खण्ड जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर में लाभार्थियों को स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन उन्हें न मिलने की जांच कराये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

माननीय विधायक द्वारा संदर्भित ग्राम डमौरा सिमरा से वृद्धावस्था पेंशन के 30 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे, जिनमें से 27 लाभार्थियों के आवेदन-पत्र पूर्ण पाये गये, उन्हें पेंशन का भुगतान कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया है कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अनुमति हो तो नियम-301 की सूचना पढ़ दूं।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 5 मार्च, 2003 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 7 सूचनायें शलाका के आधार पर स्वीकार की गयीं तथा एक प्रतीक्षा सूची से डा0 वकार अहमद शाह की सूचना स्वीकार की गयी है।

पहली सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की, दूसरी सूचना श्री शाहिद मंजूर की, तीसरी सूचना डा0 शिव प्रताप यादव की, चौथी सूचना श्री राजेन्द्र सिंह चौहान की, पांचवी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र की, छठवीं सूचना श्री मूलचन्द्र की, सातवीं सूचना श्री बाबूलाल कुशवाहा की, अतिरिक्त में डा0 वकार अहमद शाह की सूचना भी मंजूर की जाती है।

प्रतीक्षा सूची की डा0 वकार अहमद शाह की सूचना स्वीकार करने के तुरन्त बाद श्री प्रागी लाल अहिरवार सदन में आ गये और अपनी सूचना लिये जाने हेतु श्री अध्यक्ष से अनुरोध किया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी हैं उनके नाम हैं-श्री शिव तपस्या पासवान, श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री शारदा नन्द अंचल, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री शमीमुल हक, श्री जगराम सिंह, श्री मो0 रिजवान, श्री कोविद कुमार सिंह, श्री कैलाश चौरसिया, श्री मशहूद खां, श्री राम गोविन्द चौधरी एवं श्री सिद्ध गोपाल साहू (प्रतीक्षा सूची से)

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद झांसी के मऊ रानीपुर क्षेत्रान्तर्गत 10 एम0वी0ए0 का ट्रान्फार्मर लगाये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

1-श्री प्रागी लाल अहिरवार-

[महोदय, आपसे अनुरोध है कि मेरी विधान सभा 314 मऊरानीपुर जनपद झांसी में मऊ रानीपुर नगर एवं मऊरानीपुर ब्लाक एवं खगरा ब्लाक गुरसराय ब्लाक के सभी गांव जुड़े हुए हैं जो कि बिजली की सप्लाई मऊरानीपुर से होती है जहां पर 5 एम0वी0एं0 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो लोड नहीं खींच पाता है। जिससे आये दिन बिजली खराब रहती है। इस समय विद्यार्थियों की परीक्षायें शुरू होने वाली हैं। नगर व क्षेत्र में अंधकार रहता है, अंधकार दूर करने के लिए विभाग द्वारा जिले स्तर से 10 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर बहुत दिनों से मांगा गया है। जोकि मुझे विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है। मैंने भी पहले सत्र में नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 28-2-2002 को जल बिहार मेले में विद्युत व्यवस्था सही कराने के संबंध में सूचना दी थी जिस पर माननीय मंत्री द्वारा 3-9-2002 को वक्तव्य के माध्यम से आश्वासन दिया था कि 8 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगवाया जाना प्रस्तावित है। मुझे खेद है कि इस प्रकरण पर अभी तक कोई कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की गयी है। अतः आपसे अनुरोध है कि जनहित में 10 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर प्राथमिकता के आधार पर लगवाया जाये जिससे लाखों लोगों का हित हो सके।

जनपद मेरठ के मेरठ परिकतगढ़ मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

2-श्री शाहिद मंजूर-

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद मेरठ के मेरठ-परिकतगढ़ मार्ग की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह मार्ग मुख्य मार्ग है और पर्यटन की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। परिकतमठ ऐतिहासिक कस्बा है जो महाभारत की कथा से जुड़ा होने के कारण ऐतिहासिक मार्ग है। इसकी दुराई इतनी भयंकर है कि इस पर चलना दूभर हो गया है। अतः अनुरोध है कि इस मार्ग की तुरन्त सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराने की मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर में शेर के हमले से मृत व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

3-श्री शिव प्रताप यादव-

[मान्यवर, आपको सादर अवगत कराना है कि कल्लू उम्र लगभग 18 वर्ष, पुत्र श्री राम अभिलाष निवासी ग्राम-गोठवा, मशभूले बघेलखण्ड थाना कोतवाली-जरवा, तहसील-तुलसीपुर, जिला-बलरामपुर दिनांक 25-3-03 समय लगभग 3-00 बजे अपराह्न को जंगल के बीच में स्थित अपनी भूमि में लगे फसल की देखभाल करके जब अपने घर लौट रहा था तो वन चौकी बघेलखण्ड, जनकपुर रेंज सुहेलवा वन्य प्रभाग, बलरामपुर स्थित वन्य क्षेत्र में एक शेर ने उस पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया तथा शरीर के कई अंगों को खा लिया जिसकी लाश दूसरे दिन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्रामवासियों को मिली तथा ग्रामवासियों ने इसकी सूचना कोतवाली जरवा एवं वनराजि अधिकारी जनकपुर रेंज को दी। लाश वन कर्मियों की उपस्थिति में दफना दी गयी परन्तु शासन एवं प्रशासन से अभी तक मृतक के परिवार वालों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से मृतक के आश्रितों को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद एटा एवं आस-पास के जनपदों की डाकूग्रस्त समस्या का निदान कराने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

4-श्री राजेन्द्र सिंह चौहान-

[जनपद एटा एक डाकूग्रस्त क्षेत्र है यहां पर प्रतिवर्ष सैकड़ों हत्यायें, अपहरण एवं डकैतियां होती हैं। जनपद में पोथी, छविराम, अलवर, महावीर-जर्मन डकैतों की कार्य-स्थली रहा है। वर्तमान में कलुआ गैंग का आतंक है। जनपद की जनता इन डाकुओं की शिकार होती आ रही है। वर्तमान में भी हो रही है। सैकड़ों मासूम बच्चे अनाथ हो गये। हजारों महिलायें विधवायें हो गयीं। जनपद में उद्योगपति व्यवसायी डाकुओं के आतंक से पलायन कर रहे हैं, जनपद में वर्तमान समय में भी भय एवं आतंक का माहौल बना हुआ है। जनपद की इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने समय-समय पर कदम उठाये परन्तु उन पर कार्यवाही न हो सकी। जनपद में डाकुओं के सफाये के लिए सड़कों का निर्माण एवं बूढ़ी गंगा जहां पर कई जनपदों का बदमाश शरण पाता है बूढ़ी गंगा की सफाई न होने से भयानक जंगल उत्पन्न होने से बूढ़ी गंगा की तराई में डाकू शरण पाते हैं। इस डाकूग्रस्त जनपद को डाकू विहीन बनाने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है जिससे जनपद इस समस्या से निजात पा सके। मान्यवर, जनपद एवं आस-पास के जनपदों की डाकूग्रस्त समस्या समाप्त करने के लिए सदन में एक घण्टे की चर्चा कराने की कृपा करें।]

जनपद देवरिया नगर क्षेत्र में उमानगर की मुख्य सड़क (लम्बाई 125 मीटर) का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

5-श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र-

[मान्यवर, प्रदेश के जनपद देवरिया अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र विकास योजना वर्ष 1998-99 में देवरिया संसदीय क्षेत्र के तत्कालीन माननीय सांसद द्वारा देवरिया नगर क्षेत्र में उमानगर के मुख्य सड़क से ध्रुवनाथ मिश्र के मकान तक खड़ण्जा मार्ग, लम्बाई 125 मीटर निर्माण हेतु प्रस्तावित था जिलाधिकारी देवरिया के आदेश दिनांक 21-04-99 के परिपालन में मुख्य विकास अधिकारी देवरिया के पत्र संख्या-134/स्था0क्षे0वि0यो0/98-99 दिनांक 04 मई, 1999 द्वारा निर्माण कार्य हेतु कुल आवश्यक धनराशि रुपये 1,36,300=00 में से 75 प्रतिशत धनराशि रुपये 1,02,200=00 कार्यदायी विभाग अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड देवरिया को अवमुक्त कर दी थी। शेष धनराशि भी कार्यदायी विभाग की मांग पर मुख्य विकास अधिकारी देवरिया द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। धन उपलब्ध होने के बावजूद उक्त कार्यदायी विभाग द्वारा अब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है। स्थानीय नागरिकों के बार-बार अनुरोध पर भी कार्यदायी विभाग द्वारा निर्माण कार्य में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कोई रुचि नहीं ली जा रही है। यह भी संज्ञान में आया है कि उपरोक्त स्वीकृति, लम्बाई 125 मीटर पर बिना निर्माण पूर्ण किए ही परियोजना को पूर्ण दिखाकर संबंधित कार्यदायी विभाग ने सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि का भुगतान कर दिया है। विदित हो कि विगत मई, 1999 में ही संबंधित कार्यदायी संस्था को अपेक्षित धन प्राप्त हो जाने के बाद भी मात्र 125 मीटर सड़क का निर्माण कार्य अब तक पूर्ण नहीं कराया जाना न केवल विभागीय अक्षमता का द्योतक है बल्कि सरकारी धन का दुरुपयोग/सरकार की मंशा व लोक हित के विपरीत आचरण भी है। अस्तु, अविलम्बनीय लोक महत्व के उपरोक्त प्रकरण पर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवशेष निर्माण कार्य को तत्काल पूर्ण कराने तथा निर्माण कार्य में बरती गयी लापरवाही व अनियमितता के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी के ग्राम सुबेहा के कतिपय दबंग व्यक्तियों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

6-मूल चन्द-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं। जनपद बाराबंकी, तहसील-हैदरगढ़, थाना-सुबेहा, ग्राम-सुबेहा गांव के ही दबंग व्यक्ति रामसेवक पुत्र गुरूचरन व गनेशी, श्रीदत्त पुत्र अगनू व निसार पुत्र नाशाद आदि थानाध्यक्ष विजयराज सिंह, कां0 ज्ञानेश सिंह, कां0 भूपेश सिंह व थाना के अन्य कां0 पूरे सूबेहा कस्बा में दहशत मचा रखी है, अवैध रूप से चन्दा वसूली करवाना तथा जमीनें हड़पना एवं हरे पेड़ वन विभाग के तथा निजी लोगों के काटकर ले जाने से दहशत व्याप्त है। राम हरख पुत्र शिवबालक निवासी ग्राम सुबेहा के घर मकान पर उक्त लोग थानाध्यक्ष सहित एक राय होकर 16 जनवरी, 2002 को घुस गये तथा मारपीट की और जबरन कुंआ गिरा कर पाट दिया तथा दीवाल खड़ी करके राम सेवक पुत्र गुरूचरन को सभी लोगों ने दीवाल व दरवाजा लगवा दिया तथा वन विभाग की परमिशन के राम हरख का हरा नीम का पेड़ काट लिया और पूरे गांव में दहशत पैदा कर दी है। जिससे लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं जिसे रोका जाना आवश्यक है तथा अवैध कब्जे को हटाना अतिआवश्यक है। अतः इस लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए न्याय दिलाने की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के नगरपालिका परिषद् क्षेत्रान्तर्गत पेयजल आपूर्ति की समस्या का निदान कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

7-श्री बाबूलाल कुशवाहा-

[बांदा नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत पेयजल की समस्या गंभीर हैं सैकड़ों हैण्डपम्प खराब पड़े हैं तथा भू-गर्भ जल स्तर गिर जाने के कारण अधिष्ठापित हैण्डपम्प व कुओं का पानी सूख जाने के कारण बेकार हो गये हैं। बांदा नगर के निवासियों के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकियों की समय से सफाई समुचित तौर से न होने के कारण गन्दगी व्याप्त है, पानी में कीड़े पड़ गये हैं, पेयजल आपूर्ति प्रणाली सिस्टम पंगु व बेकार हो गई है। उसकी पाइप लाइनें पुरानी व जर्जर होने से कई जगह टूट गई है। जिससे उक्त पाइप लाइनों से सीवर व नालियों का गन्दा पानी भर जाने से नगरवासियों में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बीमारी फैल रही है। नगरवासियों में आक्रोश व्याप्त है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नगरपालिका परिषद् बांदा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति की गंभीर समस्या पर अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बांदा नगर में अनवरत शुद्ध जल आपूर्ति मांग करता हूं।]

दुधवा टाइगर रिजर्व निदेशक, समूह "ग" की परीक्षा में आरक्षण नियमों का पालन न कराये जाने उत्पन्न स्थित के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

8-डा0 वकार अहमद शाह-

[शासन द्वारा विभिन्न विभागों में लम्बित बैकलाग आरक्षण के पदों को पदोन्नति एवं भर्ती से माह दिसम्बर, 2002 के अन्त तक सम्पूर्ण कार्यवाही कर भरने के स्पष्ट निर्देश दिए गए अधिकांश अधिकारियों द्वारा इसमें रुचि नहीं दिखाई जा रही है। केवल दिखावे के लिए कतिपय वि द्वारा कार्यवाही की जा रही है। दूसरी तरफ इन बैकलाग रिक्तियों को विश्व बैंक द्वारा निर्दे 2 प्रतिशत कटौती की रिक्तियों में सम्मिलित कर समाप्त किया जा रहा है। सामान्य रिक्तियों को रूप से भरने के बाद बैकलाग रिक्तियों को विश्व बैंक के निर्देशानुसार अपेक्षित कटौती में डाल रहा है। सबसे ज्यादा नियुक्तियां वन विभाग में समूह ग के पदों पर विनियमितीकरण के नाम पर गई हैं। विनियमितीकरण नियमावली में परीक्षा लेने से मना करने के बावजूद दुधवा टाइगर रि निदेशक समूह "ग" पद परीक्षा लेकर विनियमित किया गया है और रिक्तियों को सामान्य अभ्यर्थियों भर्ती कर आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है। सबसे अधिक अनियमितता दुधवा नेशनल में की गई है। आरक्षण नीति के अनुसार संवर्ग की संख्या पर रोस्टर लगाकर रिक्तियों को निय करने का स्पष्ट रूप से प्रावधान है और आरक्षण अधिनियम, 1994 में इस अनियमितता के लिए का प्रावधान किया गया है। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस निश्चित विषय की ओर सदन ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

(इसी समय सभा के हाजी याकूब भी खड़े हो गये तथा इसके बाद सत्ता पक्ष के कई स अपने स्थान पर खड़े होकर शोर-शराबा करने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष के कहने पर कुछ सदस्य अपने स्थान पर बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष-

हम यहां सदन का काम करने के लिए आये हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सहमति प्रकट है कि जो औपचारिक कार्य हैं उन्हें ले लेते हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा शोर-शराबा जारी)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात सुन ली जायेगी।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का ास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

अध्यक्ष-

आपकी बात सुन ली जायेगी। पहले औपचारिक कार्यों को पूरा हो जाने दीजिए।

(व्यवधान)

मैं सदन को 1.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 12 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 01 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने न का स्थगन 01 बजकर 15 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।)

(01 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ ।)

अध्यक्ष-

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करिये।

आपने सहयोग दिया है, कहें तो औपचारिक कार्य पहले करवा लें। इसके बाद आपके अनुज्ञा ली बात है।

ता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्रीमन्, किसी सरकर या मंत्रिमण्डल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव सबसे अहम होता है।

(घोर व्यवधान)

(सत्ता पक्ष की ओर से बहुजन समाज पार्टी के अधिकांश सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े कर एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे।)

धु उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, पहले यह माफी मांगें इसके बाद जो चाहें कहें। नेता विरोधी दल को यह राईट नहीं कि जो चाहे बोलें और जो चाहे कह दें। इधर के सदस्यों का उन्होंने अपमान किया है पहले माफी गे।

अध्यक्ष-

कृपया शांत हो जाइये। सदन की कार्यवाही कृंपया चलने दें।

स्लिम वक्फ मंत्री (श्री महबूब अली)-

पहले मान्यवर यह माफी मांगे।

जगदीश नारायण राय-

सदन की कार्यवाही आगे तब तक नहीं चलेगी जब तक यह माफी नहीं मांग लेंगे।

अध्यक्ष-

देखिये, हर सदस्य को अपनी बात कहने का अवसर है। हर बात को कहने के लिये यमावली में नियम है। आपको यदि कोई बात कहनी है तो अवसर आयेगा, प्रक्रिया नियमावली की ाम मदें हैं उसमें आपकी बात आ जायेगी। जब वह मद पुकारी जाय आप अपनी बात कह दीजिये। म्मों के अनुसार, क्रम के अनुसार कार्यवाही चलने दीजिये।

[सत्ता पक्ष (बहुजन समाज पार्टी) के अधिकांश सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर (घोर व्यवधान)]

यह महत्वपूर्ण टाईम व्यर्थ नष्ट हो रहा है, आगे अनुपूरक बजट है, लेखानुदान है, नियम-275 के अन्तर्गत, अविश्वास का प्रस्ताव आया है उसको लेना है, तो क्रम से चीजें लेने दीजिये।

(घोर व्यवधान)

श्री जगदीश नारायण राय-

यह माफी मांगे तभी मान्यवर चल पायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं दो बजे तक के लिये सदन को स्थगित करता हूं।

मैं अभी नेताओं से बात करता हूं।

(सदन में निरन्तर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 01 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही 02 बजे तक के लिये स्थगित कर दी।)

02 बजे मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 02 बजकर 15 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।

02 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कहें।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम, 275-मंत्रियों में अविश्वास का प्रस्ताव .....

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे प्रस्ताव रख दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह इस प्रकार है "यह सदन मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है"। इस प्रस्ताव को अनुज्ञा दिये जाने के समर्थन में जो माननीय सदस्य हों, कृपया खड़े हो जायं।

(विपक्ष के सदस्य अपने आसन पर खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय सदस्य अपने आसन पर खड़े हुए हैं उनकी संख्या पंचमांश से अधिक है इसलिये अनुज्ञा दी गई। अब कार्य-मंत्रणा समिति में इस पर विचार करके दिन व तिथि तय कर दी जायेगी।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 5-3-2003 को नियम-300 में कुल पांच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सूचनाएं अगले कार्यकारी दिवस में दे देंगे, आज मैं इन सूचनाओं को स्थगित कर देता हूं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा खड़े होने पर)

जब आपका समय आयेगा तब आप अपनी बात कहियेगा।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2002 †

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-924/30-4-2001-11 (2)/2000, दिनांक 19 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2002 जिसको सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि दिनांक 07 मार्च, 2002 को तेरहवीं विधान सभा के विघटित हो जाने के फलस्वरूप पूर्ण नहीं हो सकी, को उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 29 (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2002 †

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-2437/30-4-2002-11 (1) 2001, दिनांक 05-8-2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2002 जिसको सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि दिनांक 07 मार्च, 2002 को तेरहवीं विधान सभा के विघटित हो जाने के फलस्वरूप पूर्ण नहीं हो सकी, को उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 29 (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2002 †

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-3060/30-4-2002-20 (75) 2001, दिनांक 31-10-2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2002 को केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 के उपधारा (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखे (44वीं) स्थित पत्रक एवं लाभ हानि खाता **

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सहकारिता अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखे (44वीं) स्थित पत्रक एवं लाभ हानि खाता उत्तर प्रदेश भण्डारागार अधिनियम, 1962 की धारा-31 की उपधारा (11) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2002 ††

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1318/17-सं-1-02-53सं-2002, दिनांक 03 अगस्त, 2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2002 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां ††

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2369/ग्यारह-6 (11)86, उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश (7)2002, दिनांक 27-06-2002 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-3 (घ) की उपधारा (2) के अधीन क0नि0/-2-2371/ग्यारहवां-9 (16)99, उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश (9) 2002, दिनांक 27-6-2002 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-3 क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन।

क0 नि0-2-1742/11-9-(152)98, उ0 प्र0 अधि0-15-48 नियम-1948-2000 (13), दिनांक 03 जून, 2000 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-24 की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां ††

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-3481/ग्यारह-9 (458)94, उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश (15)2002, दिनांक 7-10-2002, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-3क की उपधारा (1) के अधीन क0नि0/-2-4374/ग्यारह-9 (458)94, उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश (1) 2002, दिनांक 7-10-2002, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-3 क की उपधारा (1) के अधीन

** छापी नहीं गई।

†† छापी नहीं गयी।

क0नि0-2-700/ग्यारह-9 (175)91, उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश (3)2003, दिनांक 5 फरवरी, 2003 उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-3क की उपधारा (1) के अधीन

क0नि0/-2-701/ग्यारह-9 (115)2000, उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश (4) 2003, दिनांक 5 फरवरी, 2003, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-3 क की उपधारा (1) के अधीन

क0नि0-2-5746/ग्यारह-9 (239)96, उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश (30)2002, दिनांक 13-12-2002, को व्यापार कर अधिनियम की धारा 1948 3-क की की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-39/11-9-(78)/2001, उ0 प्र0 अधि0-15-48 नियम-1948-2003 दिनांक 3 जनवरी, 2003

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संख्या-क0नि0-2-39/11-9(78)2001, उ0 प्र0 अधि0-15-48-नियम-1948-2003 (1) दिनांक 3 जनवरी, 2003, उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 (उत्तर प्रदेश एक्ट सं0-15 सन् 1948) की धारा-24 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-4380/ग्यारह-9-(81)/91, उ0 प्र0 अधि0-12-2000 आदेश (11) 2002 दिनांक 7-10-2000

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से क0नि0-2-4380/ग्यारह-9(81)91, उ0 प्र0 अधि0-12-2000 (11) 2002 (2) दिनांक 7-10-2002 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-3482/ग्यारह-9-(81)/91, उ0 प्र0 अधि0-12-2000 आदेश (12) 2002 (2) दिनांक 7-10-2000

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आदेश से क0नि0-2- की विज्ञप्ति संख्या-3482/ग्यारह-9(81)91, उ0 प्र0 अधि0-12-2000 (12) 2002 आदेश दिनांक 7-10-2000 को उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

नियम-301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण †

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वितीय सत्र 2002 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रक्रिया संबंधी निदेश 14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) (संशोधन) नियमावली, 2003††

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) (संशोधन) नियमावली, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2003 । जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त :-

(1) उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2003 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2003

। जेसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2003

। जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2003

। जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-16 में कुछ नहीं है। कुरैशी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे।

श्री हाजी याकूब कुरैशी खड़े हुये।

---

††छापी नहीं गयी।

मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाना

श्री दद्दू प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने जो प्रस्ताव प्रस्तुत करा दिया, आपका विनिश्चय सर्वोपरि है, उस पर टीका-टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, परन्तु आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम-275 (ख) देखें। मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना "अनुज्ञा मांगने वाले सदस्य को उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने से पूर्व सचिव को उस प्रस्ताव की, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है, एक लिखित सूचना देनी होगी।" मान्यवर, उपवेशन आज है और आज माननीय नेता प्रतिपक्ष की तरफ से अविश्वास की कोई सूचना नहीं आयी, सूचना कल आयी थी और उपवेशन समाप्त होने के उपरान्त आयी थी, इस सदन की गरिमापूर्ण परम्परा रही है, इतिहास बने और एक अच्छी परम्परा कायम रहे। मान्यवर, यह नियमानुकूल नहीं है, नियमों का अतिक्रमण हो रहा है। यह जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है, उसको हम फेस करेंगे लेकिन इस पर आपका विनिश्चय आ जाय।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठिये, आपके उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्ताव नियमानुकूल है अथवा नहीं, इस बात को देखने के लिये मैंने नियम पूरी तरह से पढ़ लिया है। पूर्व में भी इस प्रकार के दृष्टान्त हैं कि जिस दिन इस प्रकार का अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उस दिन या फिर एक दिन पहले सूचना दी गई थी। कल का उपवेशन समाप्त होने के पश्चात् और आज का उपवेशन प्रारम्भ होने के पूर्व यह सूचना आ गई। इस प्रकार कल का उपवेशन समाप्त होने के बाद आज का उपवेशन प्रारम्भ होने के पूर्व हुआ। इस संबंध में पूर्व दृष्टान्त है, उसका अवलोकन व परीक्षण कर लिया था। यह जो प्रस्ताव आया है, नियमानुकूल है इसलिये अनुज्ञा दी गई।

सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री की नेता विरोधी दल के कथन पर आपत्ति (क्रमागत)

सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री (श्री हाजी याकूब)-

मान्यवर, हमें जनता ने अपने विधान सभा क्षेत्र से चुनकर विधान सभा में भेजा है। जनता ने हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिये और क्षेत्र के विकास के लिये चुनकर विधान सभा का सदस्य बनाकर भेजा है। हम यहां पर जनता की बात कहने के लिये और क्षेत्र के विकास के लिये यहां आये हैं। विधान सभा की यह कुर्सी बड़े इंसाफ की कुर्सी है। हालांकि मैं नया सदस्य हूं लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने कभी किसी के धर्म पर, किसी के मजहब पर कोई आपत्ति नहीं उठायी है। मान्यवर, मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि कल आपके सामने सदन में जो घटना हुई उससे करोड़ों-करोड़ मुसलमानों के मजहब को ठेंस पहुंची है। मैं शरीयत के एतबार से मुसलमान हूं। मुझे दूर से देखकर कोई यह नहीं बतायेगा कि मैं मुसलमान नहीं हूं। लेकिन बड़े अफसोस की बात

है, बड़े शर्म की बात है कि नेता विरोधी पक्ष ने मेरी दाढ़ी उखाड़ने और टोपी फेंकने की बात कही। इस सदन में मुसलमानों के मजहब का अपमान किया गया है। यह हक किसी को नहीं दिया गया है कि कोई किसी मजहब का अपमान करें। नेता विरोधी पक्ष ने पूरे प्रदेश के करोड़ों मुसलमानों का अपमान किया है। जब तक वह इस सदन में माफी नहीं मांगते हैं तब तक हम विरोध करते रहेंगे। नेता विरोधी पक्ष सदन में माफी मांगें।

श्री अध्यक्ष-

हम सब इस सदन में किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं हर व्यक्ति का मजहब और ईमान है। हम सब प्रयास करते हैं कि किसी को धर्म के आधार पर ठेस न पहुंचायें।

(नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर)

(इस समय 2 बंजकर 33 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुये।)

(आजम साहब माफी मांगें-माफी मांगें की आवाजें।)

(शोर)

श्री अधिष्ठाता-

सदन की कार्यवाही चलने में कृपया सहयोग दें अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(आजम साहब माफी मांगो-माफी मांगो की आवाजें।)

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया व्यवधान न उत्पन्न करें। सदन की कार्यवाही चलने दें।

हाजी याकूब-

नेता प्रतिपक्ष माफी मांगें।

(व्यवधान जारी)

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, इस सदन में कल से एक माननीय सदस्य बार-बार कह रहे हैं कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। बेहतर होता कि नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर अपना स्पष्टीकरण दे देते कि उनकी कों इस तरह की मंशा नहीं है। लेकिन यह न होकर एक सदस्य कहता रहे कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है न उसे पीठ से संरक्षण मिले न नेता प्रतिपक्ष कुछ कहें। इसमें कोई शान नहीं घटती है। मुझसे अगर कोई बात होती है तो मैं क्षमा मांग लेता हूं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री महबूब अली)-

यह एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। इसमें पूरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा है।

श्री अधिष्ठाता-

नगर विकास मंत्री ने कुछ कहा है उसी सन्दर्भ में नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहते हैं। कृपया आप लोग शान्त रहें। नेता प्रतिपक्ष की बात सुन लें।

आजम खां माफी मांगो आजम खां माफी मांगो की आवाजें जोर-जोर से सत्ता पक्ष की ओर से आ रही थी।

श्री अधिष्ठाता-

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि वह माननीय सदस्यों को शान्त करायें। नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहते हैं उनकी बात सुन लें। आप लोग कृपया बैठ जाइयें।

(व्यवधान जारी)

(सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहते हैं। उनकी बात सुन लें।

श्री महबूब अली-

पहले माफी मांगें। तब खड़े हों।

(नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर सत्ता पक्ष के सदस्य जोर-जोर से बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता-

उन्हें अपनी बात कहने दें। वे कुछ कहना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मैं सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 2 बजकर 42 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजकर 12 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।)

3 बजकर 12 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन आधे घण्टे के लिये और बढ़ा दिया है।

3 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-20

(सत्ता पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं .....

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 5 मार्च, 2003 को नियम-311 में प्राप्त एक सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुई। जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

पहली सूचना श्री मदन चौहान, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रदीप माथुर, श्री प्रमोद तिवारी, श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, चौ0 विजेन्द्र सिंह और श्री राम गोविन्द चौधरी की प्रदेश के किसानों के गन्ना बकाया मूल्य के भुगतान के संबंध में है।

दूसरी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री कमाल यूसुफ मलिक, श्री आदित्य विक्रम सिंह, श्री अनिल सिंह, डा0 कौशल किशोर और अरविन्द गिरि की भारत सरकार द्वारा प्रदेश के पीड़ित किसानों के लिये केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित राहत धनराशि को उनमें न वितरित किये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री राम करन आर्य की जनपद सिद्धार्थनगर के मगहर कताई मिल की बन्दी एवं मजदूरों के भूख से मरने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना डा0 अशोक बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह और श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की समाजवादी पार्टी के विक्रमादित्य मार्ग स्थित कार्यालय पर पुलिस द्वारा गोली व पत्थरों से किये गये हमले की माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से या सदन की कमेटी बनाकर पूरे प्रकरण की जांच कराये जाने के संबंध में और पांचवीं सूचना श्री कौशल किशोर की जनपद एवं तहसील लखनऊ के उप जिलाधिकारी, सदर के पेशकार का भू-माफियाओं से सम्बन्ध होने के कारण राजस्व अभिलेखों में हेरा-फेरी करने से किसानों में जनाक्रोश उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं : -

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री शाहिद मंजूर, श्री अनिल सिंह, श्री वसीम अहमद, श्री अनवर महमूद, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री शिव प्रताप यादव, श्री परमेश्वर दयाल, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री राम किशुन, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री ओम प्रकाश और श्री अजीम भाई।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

श्री मदन चौहान अपनी बात कहें।

(बार-बार सदस्य का नाम पुकारे जाने और उनके न खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

यह सूचना निरस्त की जाती है।

(घोर व्यवधान जारी)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा नियम-56 की दूसरी सूचना पर बोलने के लिये श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री कमाल यूयुफ मलिक, श्री आदित्य विक्रम सिंह तथा श्री अनिल सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर)

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष द्वारा माफी मांगने के नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री की नेता विरोधी दल के कथन पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आज संसदीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। हम सत्ता पक्ष के खिलाफ निन्दा का प्रस्ताव लाते हैं। हमारी पहली सूचना थी जिस पर मुझे बोलने के लिये आमंत्रित किया गया था परन्तु आपकी पीठ के निर्णयों की अवहेलना हो रही है। आपने मुझे बालने की अनुज्ञा दी है। आज संसदीय मूल्यों की रक्षा का सवाल है। आज विधान सभा में द्रोपदी का चीरहण हो रहा है। आप धृतराष्ट्र की तरह पीठ पर बैठे हुए हैं। आप इस पीठ की रक्षा करें और संसदीय परम्पराओं की रक्षा करें। अगर आपके निर्देशों की अवहेलना होती रहेगी तो आप मार्शल के उपयोग के लिए स्वतंत्र हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय जगदम्बिका पाल जी खड़े हुए हैं आप उन्हें बोलने दें।

(घोर व्यवधान जारी रहा)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आप इनको इंगित करें। मैं अपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपके निर्देशों की अवहेलना हो रही है तो आप उन्हें इंगित करिए। यह भी एक नया इतिहास बनेगा कि सत्ता पक्ष के लोगों को इंगित किया गया। आपने मुझे अनुज्ञा दी लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की 18 करोड़ जनता उन्हें कदाचित माफ नहीं करेगी। यह लोग जब अपने-अपने क्षेत्रों में जायेंगे तो उन्हें जनता माफ नहीं करेगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में संसदीय परम्पराओं की, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मान्यवर, लोकतंत्र की आप रक्षा करिए।

(सत्ता पक्ष के लोग लगातार नेता प्रतिपक्ष से माफी मांगने की बात कर रहे थे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अधिष्ठाता-

मैं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 3 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 4 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता-

नियम-56 के अन्तर्गत प्राप्त सारी सूचनाएं निरस्त की जाती हैं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव†

श्री अधिष्ठाता-

श्री दद्दू प्रसाद, कृपया अपनी चर्चा जारी रखें।

नोट :-- † दिनांक 4 मार्च, 2003 की कार्यवाही से।

श्री ददूदू प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से.....

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी-अपनी बातें कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान कर स्थिति उत्पन्न हो गयी।)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा प्रारम्भ हो गयी है। अब मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए आमंत्रित किया है।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ नहीं सुन पा रहा हूं कि आपने क्या कहा। सदन कुछ नहीं सुन पा रहा है। कृपया आप सदन को व्यवस्थित कराइए।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, पहले सदन को व्यवस्थित कराइये, तब मैं कुछ कहूं।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष के विरुद्ध नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने नेता प्रतिपक्ष तथा श्री प्रमोद कुमार और श्री जगदम्बिका पाल आदि कई माननीय सदस्यों को बोलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन किसी ने भी चर्चा में भाग नहीं लिया।

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैंने अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने के लिए नाम पुकारा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[सत्ता पक्ष (बहुजन समाज पार्टी) के अधिकांश सदस्य नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।]

श्री अधिठाता-

मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग कृपया शांत हो जाएं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पहले आप सदन व्यवस्थित कराइये।[×××] यह आपका अनुशासन नहीं मानते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता प्रतिपक्ष कृपया संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी, संशोधन प्रस्तुत करें।

कृपया आप लोग बैठ जायें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

श्री संजय गर्ग, श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद, श्री राजवीर सिंह, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह तथा श्री सुन्दर सिंह, श्री सिद्ध गोपाल साहू, श्री अजीम भाई, श्री मोहन देव शंखवार, श्रीमदन चौहान, श्री प्रमोद कुमार, श्री संजीव दरियाबादी, श्री आर0 पी0 एन0 सिंह, श्री राम सेवक, श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, डा0 सुशील चौधरी, श्री राम नरेश यादव, श्रीमती लुईस खुर्शीद, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री श्याम सूरत उपाध्याय तथा श्री जगदम्बिका पाल।

(घोर व्यवधान के मध्य विपक्ष के भी अधिकांश माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गये और बोलने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया शांत हो जायें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्री पारस नाथ यादव, श्री लाल बहादुर यादव, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री किरन पाल सिंह, श्री सीताराम निषाद, श्री मदन गोपाल वर्मा, श्री परमेश्वर दयाल, श्री कमाल यूसुफ मलिक, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह, श्री बंशीधर राज, श्री राम करन आर्य, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्रीशारदा नन्द अंचल।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम किशुन, श्री रतन लाल अहिरवार, श्री राकेश सचान, श्री कौशल किशोर, श्री राम स्वरूप सिंह, डा0 कौशल किशोर, श्री अनिल कुमार वर्मा, श्री राम विशुन आजाद, श्री देवेन्द्र प्रताप

नोट :-[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सिंह मैंने आप सभी माननीय सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किया है, किसी ने अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है।

(घोर व्यवधान)

मैं सदन को 20 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता ने 4 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 40 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।)

(4 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष में नोंक-झोंक होने के कारण)

(घोर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

अधिष्ठाता महोदय, मैंने मेरठ से एक [×××] मंगायी है। मैं आपकी अनुज्ञा से.....

श्री अधिष्ठाता-

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की कोई बात सदन में न कहें, जिससे उत्तेजना भड़के।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यदि आपकी इजाजत हो तो माननीय नेता प्रतिपक्ष उसको बुलायें। इसकी कई रस्सियां हैं जिनको कई हाथों में दिया जायेगा और अलग-अलग लोग उसको खींचेंगे, और जितनी बार खींचेंगे उतनी बार उसकी हरकतें अलग-अलग होंगी। आप जैसा दृश्य आज देख रहे हैं उससे बद्तर दृश्य और नहीं हो सकता और मैंने जो मेरठ से [× × ×] मंगायी है उसका दृश्य इससे कहीं बेहतर होगा तथा सदन की गरिमा के लिए कोई प्रतिकूल बात भी नहीं होगी। अगर आप मेरी बात समझ गये हों तो मैं व्यवस्था के लिए बैठ जाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता-

दद्दू प्रसाद जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव राज्यपाल के अभिभाषण पर रखा है उस पर अगर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहता है तो अपने विचार रखे।

(सत्ता पक्ष की ओर से नेता विरोधी दल ने खेद व्यक्त करने तथा माफी मांगने की मांग को लेकर अनेक सदस्य अपने-अपने स्थानों से खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री द्वारा नेता विरोधी दल के कथन पर आपत्ति (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अधिष्ठाता जी, यह जो मेरठ के सदस्य हैं, इन्होंने अपनी दाड़ी को बहुजन समाज पार्टी की ढाल बना रखा है, मुसलमान धर्म में ही नहीं, बल्कि हर धर्म चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिन्दू हो, सभी

नोट :-[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

में दाड़ी सम्माननीय है। इन माननीय सदस्य द्वारा अपनी दाड़ी को [× × ×] ढाल बनाया गया है, जिसकी मैं कड़ी निन्दा करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया ऐसी कोई बात न कहें जिससे प्रतिवाद हो।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह वह मुसलमान हैं, जब इस सदन में सरकार विश्वास प्रस्ताव के लिये पहली बार आई थी, तब जुमे की नमाज का दिन था और एक भी सदस्य जुमे की नमाज पढ़ने के लिये नहीं गया था, यह सदस्य भी इनमें से एक हैं। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि यह व्यक्ति कितना बड़ा मुसलमान है और कितना इस्लाम का हितैषी है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग शान्त रहें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह उस पार्टी में हैं, जिसके मुखिया ने दिल्ली के लाल किले के मैदान में कहा था कि अगर मुझे बाबरी मस्जिद का मसला हल करने का हक हासिल हो तो मैं उसकी जगह पर लैट्रीन बनवा दूं। ऐसे लोगों को सदन में सदस्य रहने का अधिकार तो है ही नहीं, इनको समाज में जीने का अधिकार भी नहीं है।

(सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता-

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में चूंकि कोई माननीय सदस्य अपनी बात नहीं रख रहे हैं, इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 28 फरवरी, 2003 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता हूं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग शान्त नहीं हो रहे हैं, इसलिये मैं सदन को 4 बजकर 55 मिनट तक के लिये स्थगित करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता ने 4 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 55 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।)

(4 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री की नेता विरोधी दल के कथन पर आपत्ति (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको मालूम है कि यह सदन सुबह 11.00 बजे से अव्यवस्थित है और सुबह 11.00 बजे से ही बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन में ऐसा माहौल बनाये हुए हैं जिसे सभ्य माहौल नहीं कहा जा सकता।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य अपने आसन से खड़े होकर नेता विरोधी दल पहले माफी मांगने की मांग करने लगे जिससे घोर व्यवधान/शोर उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग शांत रहिये, कृपया अपना आसन ग्रहण करिये। सदन में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जिससे उत्तेजना फैले।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अधिष्ठाता महोदय, सदन में [× × ×] फैला रखी है, यह पूरा सदन जानता है और देश की पूरा मीडिया देख रही है, प्रेस गैलरी में बैठे हुए लोग देख रहे हैं। सत्ता पक्ष से [× × ×] लोग यह कार्य कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन पर पोटा लगाया जाना चाहिये। सबसे पहले अगर किसी के विरुद्ध पोटा का इस्तेमाल हो तो बहुजन समाज पार्टी के आपराधिक तत्वों के खिलाफ होना चाहिये। ये लोकतंत्र के [× × ×] हैं, जिसने [× × ×] ।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर माफी मांगने की बात कहते रहे जिससे शोर/ व्यवधान जारी रहा।)

[× × ×] तथा यह सी0डी0 इसके काले कारनामों की गवाह है। (नेता प्रतिपक्ष हाथ हिलाकर पूरे सदन को सी0डी0 दिखा रहे थे।)

(सत्ता पक्ष के एक सदस्य पेपर की कटिंग दिखा रहे थे।)

(इसी बीच विपक्ष के अनेक सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया शांत रहिये। अब मैं मद संख्या-22 ले रहा हूं।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 1,61,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 1,61,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-02 आवास विभाग

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत 13,73,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अपराधियों को सदन से निकाला जाय। (शोर)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत 13,73,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री मोहम्मद आजम खां एवं अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे।)

(शोर)

अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 2,23,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

(वेल में उपस्थित सदस्यों ने कागज के गोले अध्यक्षासन की तरफ फेंकें)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-03- उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 2,23,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(वेल में उपस्थित सदस्यों में से कुछ सदस्य रिपोर्टर्स टेबिल पर चढ़कर नारे लगाने लगे।)

(शोर)

(शोर के गुल के मध्य)

अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खाने और खनिज)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 6,11,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 6,11,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 5,62,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 5,62,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 1,42,57,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 1,42,57,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसी मध्य विपक्ष के सर्वश्री उदयराज, रामकरन आर्य, अजीम भाई, अरविन्द गिरि तथा राम लाल अकेला आदि अनेक सदस्य विधान सभा रक्षकों से धक्का-मुक्की करते हुए माननीय अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने लगे तथा अनेक सदस्य माननीय अधिष्ठाता के ऊपर कागज का गोला फेंकने लगे।)

श्री अधिष्ठाता-

मैं सदन को 10 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(सदन में घोर अव्यवस्था के कारण श्री अधिष्ठाता ने 5 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही 5 बजकर 5 मिनट तक के लिये स्थगित की दी।)

(5 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 5 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।)

(5 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 5 बजकर 45 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है।)

(5 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(विपक्ष के अधिकांश सदस्यों द्वारा शोरगुल किये जाने पर सदन में निरन्तर व्यवधान बना रहा।)

श्री अधिष्ठाता-

हम मद संख्या-22(8) ले रहे हैं।

अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखेदव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 7,01,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 7,01,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान जारी)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखेदव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 51,35,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 51,35,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखेदव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 94,64,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 94,64,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखेदव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 1,62,34,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लियें स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 1,62,34,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(विपक्ष के अनेक सदस्यों ने श्री अधिष्ठाता के विरुद्ध नारे लगाने शुरू कर दिये)

(विपक्ष के कई सदस्य वेल में आ गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखेदव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 57,36,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 57,36,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 9,86,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 9,86,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान जारी रहा)

अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 9,29,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 9,29,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 1,12,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 1,12,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 34,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाय।

(सर्वश्री अजीम भाई, इकबाल महमूद, उदयराज, राम विशुन आजाद, कमाल यूसुफ मलिक, बीजू पटनायक, राम करन आर्य, राम लाल अकेला, वसीम अहमद आदि विपक्ष के अधिकांश सदस्य जोर-जोर से बोलते हुये अध्यक्ष आसन की ओर बल पूर्वक बढ़ने लगे जिन्हें विधान सभा रक्षकों ने रोका।)

श्री अधिष्ठाता-

मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 5 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही 6 बजकर 10 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।)

(6 बजकर 10 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 6 बजकर 25 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।)

(6 बजकर 25 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 6 बजकर 40 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।)

(6 बजकर 40 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि मा0 अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 07 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है।)

(07 बजे सदन की कार्यवाही श्री अधिष्ठाता के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(श्री अधिष्ठाता के पीठासीन होने पर)

(विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाते हुये अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने लगे। कई सदस्य कागज के गोले बना कर अध्यक्ष आसन की ओर फेंकने लगे। श्री अजीम भाई, वसीम अहमद, उदयराज यादव, बीजू पटनायक आदि अनेक सदस्य प्रमुख सचिव की मेज पर चढ़ने लगे और कई सदस्य कार्यवृत्त लेखक की मेज पर चढ़ गये जिन्हें विधान सभा रक्षकों ने नीचे उतार दिया।)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग शान्त रहें तथा सदन की कार्यवाही चलने दें।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं अनुपूरक अनुदान की मद ले रहा हूं।

अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या-22 खेल विभाग, अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग, अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग, अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग,

अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत), अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), अनुदान संख्या-60 वन विभाग, अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग लेखापरीक्षा तथा अल्प बचत आदि), अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा), अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय, अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन), अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण), अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना), अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग, अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग, (व्यापार कर), अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन कर तथा बाजीकर), अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग एवं अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पर मतदान।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के संगत उपबन्धों को निलम्बित करते हुये और श्री राज्यपाल की सिफारिश से विधान सभा की आज दिनांक 05 मार्च, 2003 की कार्यसूची की मद संख्या-22 की उपमदों (16) लगायत (65) में उल्लिखित अनुदान संख्या 18, 21 लगायत 28, 31, 32, 37 लगायत, 39, 41 लगायत 44, 46 लगायत 52, 54, 55, 58 लगायत 61, 65 लगायत 67, 70 लगायत 73, 76, 77, 79, 80, 83, 86, 87, 89 लगायत 92 और 94 के अन्तर्गत समस्त अनुपूरक मांगें जो सदन में प्रस्तुत 2002-2003 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण में उल्लिखित है और जिनका कुल येाग 12 अरब 26 करोड़ छियासी लाख चौवन हजार रुपये है, वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के संगत उपबन्धों को निलम्बित करते हुये और श्री राज्यपाल की सिफारिश से विधान सभा की आज दिनांक 05 मार्च, 2003 की कार्यसूची की मद संख्या-22 की उपमदों (16) लगायत (65) में उल्लिखित अनुदान संख्या 18, 21 लगायत 28, 31, 32, 37 लगायत, 39 41 लगायत 44, 46 लगायत 52, 54, 55, 58 लगायत 61, 65 लगायत 67, 70 लगायत 73, 76, 77, 79, 80, 83, 86, 87, 89 लगायत 92 और 94 के अन्तर्गत समस्त अनुपूरक मांगें जो सदन में प्रस्तुत 2002-2003 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण में उल्लिखित है और जिनका कुल योग 12 अरब 26 करोड़ छियासी लाख चौवन हजार रुपये है, वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2002-2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2003

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2002-2003) का अनुपूरक विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2002-2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2002-2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2002-2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2002-2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(खण्डशः विचार)

खण्ड-2 से खण्ड-3 अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2002-2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2003

31 मार्च, 2003 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2002-2003 का अनुपूरक) अधिनियम, 2003 कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम

2-ऐसे विधिक परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2003 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ें, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लाई जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 2930,88,26,000 रुपये (दो हजार नौ सौ तीस करोड़ अट्ठासी लाख छब्बीस हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो। — उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2002-2003 के लिये 2930,88,26,000 रुपये का दिया जाना

विनियोग 3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये है।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2	3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01-आबकारी विभाग	राजस्व	14660	147	14807
	पूंजी	1450	0	1450
02-आवास विभाग	राजस्व	102621	0	102621
	पूंजी	34749	0	34749
03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	22330	0	22330
	पूंजी	1	--	1
04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	1	0	1
	पूंजी	--	--	--
06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	41102	0	41102
	पूंजी	20000	0	20000
07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	56217	0	56217
		--	--	--
09-ऊर्जा विभाग	राजस्व	798	0	798
	पूंजी	1425000	0	1425000
10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम उद्योग)	राजस्व	70198	205	70403
	पूंजी	1	0	1
11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	202829	12397	215226
	पूंजी	310700	0	310700
12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व	946414	0	946414
	पूंजी	--	--	--
13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व	1001226	500	1001726
	पूंजी	622197	--	622197

1	2	3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	570003	0	570003
(पंचायती राज)	पूंजी	3614	0	3614
15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	54433	0	54433
(पशुधन)	पूंजी	44230	0	44230
16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	84029	0	84029
(दुग्धशाला)	पूंजी	8876	0	8876
17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	11200	0	11200
(मत्स्य)	पूंजी	---	--	--
18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	--	--	--
(सहकारिता)	पूंजी	3407	0	3407
20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण)	राजस्व	0	7650	7650
	पूंजी	0	1933	1933
21-खाद्य एवं रसद विभाग	राजस्व	16938	0	16938
	पूंजी	--	--	--
22-खेल विभाग	राजस्व	6348	0	6348
	पूंजी	--	--	--
23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	46691	0	46691
	पूंजी	129	0	129
24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	--	--	--
	पूंजी	650000	0	650000
25-गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	1343	0	1343
	पूंजी	462500	0	462500
26-गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	1999874	0	1999874
	पूंजी	1869282	0	1869282
27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	33434	0	33434
	पूंजी	--	--	--
28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	417	0	417
	पूंजी	--	--	--

1	2	3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	298355	0	298355
	पूंजी	19742	0	19742
32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	46657	0	46657
	पूंजी	5000	0	5000
37-नगर विकास विभाग	राजस्व	893060	0	893060
	पूंजी	--	--	--
38-नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	5836	0	5836
	पूंजी	31855	0	31855
39-भाषा विभाग	राजस्व	2613	0	2613
	पूंजी	--	--	--
41-निर्वाचन विभाग	राजस्व	48300	0	48300
	पूंजी	--	--	--
42-न्याय विभाग	राजस्व	50138	5833	55963
	पूंजी	17388	0	17388
43-परिवहन विभाग	राजस्व	34786	0	34786
	पूंजी	2192	0	2192
44-पर्यटन विभाग	राजस्व	5875	0	5875
	पूंजी	5512	0	5512
46-प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	239	0	239
	पूंजी	--	--	--
47-प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	1517	0	1517
	पूंजी	15000	0	15000
48-मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	354	0	354
	पूंजी	--	--	--
49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	547587	0	547587
	पूंजी	--	--	--
50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	65950	0	65950
	पूंजी	68767	0	68767

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व	486	0	486
	पूंजी	--	--	--
52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	2580	0	2580
	पूंजी	862	0	862
54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	3212	0	3212
	पूंजी	--	--	--
55-लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व	16277	0	16277
	पूंजी	40932	0	40932
58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	1329100	0	1329100
	पूंजी	109777	--	109777
59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	26244	0	26244
	पूंजी	--	--	--
60-वन विभाग	राजस्व	9101	0	9101
	पूंजी	--	--	--
61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	788730	0	788730
	पूंजी	0	11357100	11357100
65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	6065	0	6065
	पूंजी	--	--	--
66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	1	0	1
	पूंजी	--	--	--
67-विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	44	0	44
	पूंजी	--	--	--
70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	13531	0	13531
	पूंजी	--	--	--
71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	684211	0	684211
	पूंजी	--	--	--
72-शिक्षा विभाग (माध्यामिक शिक्षा)	राजस्व	23092	0	23092
	पूंजी	4265	0	4265

1	2	3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	--	--	--
	पूंजी	2205	0	2205
76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	13409	0	13409
	पूंजी	--	--	--
77-श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	8799	0	8799
	पूंजी	1039	0	1039
79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व	154544	0	154544
	पूंजी	--	--	--
80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व	184300	0	184300
	पूंजी	22642	0	22642
82-सतर्कता विभाग	राजस्व	0	1066	1066
	पूंजी	--	--	--
83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व	545279	0	545279
	पूंजी	355697	0	355697
86-सूचना विभाग	राजस्व	22850	0	22850
	पूंजी	--	--	--
87-सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	--	--	--
	पूंजी	841	0	841
89-संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	राजस्व	60381	0	60381
	पूंजी	--	--	--
90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	40728	2386	43114
	पूंजी	--	--	--
91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	150000	0	150000
	पूंजी	--	--	--
92-संस्कृति विभाग	राजस्व	--	--	--
	पूंजी	43352	0	43352

1	2	3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
93-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	0	2076	2076
	पूंजी	--	--	--
94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	303000	0	303000
	पूंजी	46000	0	46000
	योग	11668329	32260	11700589
		6249204	11359033	17608233
	महायोग	17917533	11391293	29308826

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनूसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2002-2003 का अनूपूरक) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2002-2003 का अनूपूरक) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्ताव पर मतदान तथा तत्संबंधी विधेयक का पुरःस्थापन एवं पारण, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण के कार्यक्रम तथा वर्तमान मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार एवं मतदान संबंधी प्रस्ताव को नियमावली के संगत उपबन्धों को निलम्बित कर आज की कार्यसूची में लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत उपबन्धों को निलम्बित करते हुए, इस सदन द्वारा दिनांक 6 मार्च, 2003 के लिये निर्धारित वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं

उसका पारण, दिनांक 7 मार्च, 2003 के लिये निर्धारित श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं उसके पारण के कार्यक्रम से संबंधित मदें आज दिनांक 5 मार्च, 2003 को सदन में ले ली जाय और वर्तमान मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार और उस पर मतदान भी आज दिनांक 5-3-2003 को ही करा लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के संगत उपबन्धों को निलम्बित करते हुए इस सदन द्वारा दिनांक 6 मार्च, 2003 के लिये निर्धारित वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण, दिनांक 7 मार्च, 2003 के लिये निर्धारित श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं उसके पारण के कार्यक्रम से सम्बन्धित मदें आज दिनांक 5 मार्च, 2003 को सदन में ले ली जाय और वर्तमान मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार एवं उस पर मतदान भी आज दिनांक 5-3-2003 को ही करा लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिये लेखानुदान पर मतदान

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2003-2004 के माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 2003 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण जो 04 मार्च, 2003 को सदन में प्रस्तुत किया गया है के पृष्ठ 1-7 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 19661,1067,000 रुपये से अधिक न हो।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2003-2004 के माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 2003 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण जो 04 मार्च, 2003 को सदन में प्रस्तुत किया गया है के पृष्ठ 1-7 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 19661,1067,000 रुपये से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापति करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

01 अप्रैल, 2003 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2003 कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 1 अप्रैल, 2003 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है, जितना कि अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 33402,32,75,000 रुपये (तैतीस हजार चार सौ दो करोड़ बत्तीय लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो। — उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2003-2004 के लिये 33402,32,75,000 रुपये का दिया जाना

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया गया है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं। — विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2	3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01-आबकारी विभाग	राजस्व	139025	5	139030
	पूंजी	--	--	--
02-आवास विभाग	राजस्व	268721	225000	493721
	पूंजी	--	225000	225000
03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	212469	200	212669
	पूंजी	--	--	0
04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	90229	25	90254
	पूंजी	--	--	0
05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व	124034	--	124034
	पूंजी	--	--	0
06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	162600	20	162620
	पूंजी	--	0	0
07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	1	--	1
	पूंजी	470002	--	470002
08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	राजस्व	268432	--	268432
	पूंजी	3750	--	3750
09-ऊर्जा विभाग	राजस्व	6099386	1667	6101053
	पूंजी	4145367	--	4145367
10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम उद्योग)	राजस्व	306129	1973	308102
	पूंजी	9500	1750	11250
11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	3772454	12255	3784709
	पूंजी	1129311	--	1129311
12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व	666490	--	6660
	पूंजी	--	--	
13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व	7309645	575	7310220
	पूंजी	7316500	--	7316500

1	2	3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	3852250	11	3852261
(पंचायती राज)	पूंजी	7000	--	7000
15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	946779	125	946904
(पशुधन)	पूंजी	16523	--	16523
16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	87106	10	87116
(दुग्धशाला)	पूंजी	10000	--	10000
17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	124732	--	124732
(मत्स्य)	पूंजी	--	--	0
18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	229834	52583	282417
(सहकारिता)	पूंजी	49937	72500	122437
19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	6977	--	6977
	पूंजी	--	--	--
20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	4163	60986	65149
	पूंजी	--	--	--
21-खाद्य एवं रसद विभाग	राजस्व	614109	1000043	1614152
	पूंजी	16843023	4500025	21343048
22-खेल विभाग	राजस्व	78653	--	78653
	पूंजी	20961	--	20961
23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	281352	950	282302
	पूंजी	--	1022	1022
24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	140114	9103	149217
	पूंजी	--	25209	25209
25-गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	549153	400	549553
	पूंजी	261251	--	261251
26-गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	11387978	2830	11390808
	पूंजी	682501	1367	683868
27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	545185	--	545185
	पूंजी	--	--	0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान-सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	302320	--	302320
	पूंजी	--	--	--
*29-गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	--	15416	15416
	पूंजी	--	--	0
30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	6190	--	6190
	पूंजी	--	--	0
31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	935617	13	935630
	पूंजी	--	--	0
32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	4049781	250	4050031
	पूंजी	363061	--	363061
33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	654461	--	654461
	पूंजी	3500	--	3500
34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	289796	13	289809
	पूंजी	25000	--	2500
35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	2807170	39	2807209
	पूंजी	16750	--	16750
36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	886378	350	886728
	पूंजी	--	--	0
37-नगर विकास विभाग	राजस्व	1148188	--	1148188
	पूंजी	348301	--	348301
38-नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	34686	--	34686
	पूंजी	313415	--	313415
39-भाषा विभाग	राजस्व	17532	--	17532
	पूंजी	--	--	0
40-नियोजन विभाग	राजस्व	204393	--	204393
	पूंजी	895000	--	895000
41-निर्वाचन विभाग	राजस्व	126805	--	126805
	पूंजी	--	--	0

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या।

1	2	3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
42-न्याय विभाग	राजस्व	1689142	253032	1942174
	पूंजी	150003	--	150003
43-परिवहन विभाग	राजस्व	165530	--	165530
	पूंजी	17324	--	17324
44-पर्यटन विभाग	राजस्व	35405	--	35405
	पूंजी	61102	--	61102
45-पर्यावरण विभाग	राजस्व	612585	--	612585
	पूंजी	650000	--	650000
46-प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	5408	--	5408
	पूंजी	--	--	0
47-प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	508002	51	508053
	पूंजी	13232	--	13232
48-मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	804654	103	804757
	पूंजी	31251	--	31251
49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	1633707	--	1633707
	पूंजी	2000	--	2000
50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	940756	175	940931
	पूंजी	147250	--	147250
51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व	847099	846651	1693750
	पूंजी	1	1	2
52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	2895948	6800	2902748
	पूंजी	1556	526	2082
53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	782	--	782
	पूंजी	50	--	50
54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	2369945	200	2370145
	पूंजी	--	--	0
55-लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व	237042	9530	246572
	पूंजी	46174	1	46157

1	2	3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	राजस्व	26667	--	26667
	पूंजी	394210	--	394210
58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व	3513131	333	3513464
	पूंजी	4838213	36667	4874880
59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	97673	--	97673
	पूंजी	830	--	830
60-वन विभाग	राजस्व	581391	185	581576
	पूंजी	217138	--	217138
61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	9385007	58223365	67608372
	पूंजी	290001	68662422	68952423
62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व	13581290	17469	13598759
	पूंजी	500000	--	500000
63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	294423	325	294748
	पूंजी	--	--	0
64-वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	3767	--	3767
	पूंजी	--	--	0
65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	287733	--	287733
	पूंजी	--	--	0
66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	4357	561123	565480
	पूंजी	--	--	0
67-विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	48920	1485	50405
	पूंजी	--	--	0
68-विधान सभा सचिवालय	राजस्व	124595	2649	127244
	पूंजी	--	--	0
69-विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	--	--	0
	पूंजी	5000	--	5000
70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	147879	--	147879
	पूंजी	1250	--	1250

.1	2	3		
अनुदान/ सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	23889180	--	23889180
	पूंजी	16756	--	16756
72-शिक्षा विभाग (माध्यामिक शिक्षा)	राजस्व	23889180	135	10552531
	पूंजी	41605	--	41605
73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	2599511	13	2599524
	पूंजी	23750	--	23750
75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	194646	--	194646
	पूंजी	44466	--	44466
76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	377953	--	377953
	पूंजी	--	--	0
77-श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	401367	--	401367
	पूंजी	11299	--	11299
78-सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	721002	--	721002
	पूंजी	--	--	0
79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व	431212	--	431212
	पूंजी	12501	--	12501
80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व	2985233	--	2985233
	पूंजी	--	--	0
81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	48587	7	48594
	पूंजी	24504	--	24504
82-सतर्कता विभाग	राजस्व	55723	3880	59603
	पूंजी	--	--	0
83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व	9040536	--	9040536
	पूंजी	2047545	--	2047545
84-सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	2011	--	2011
	पूंजी	--	--	0

1	2	3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
85-सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	6576	--	6576
	पूंजी	--	--	0
86-सूचना विभाग	राजस्व	500302	--	500302
	पूंजी	--	--	0
87-सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	81396	3	81399
	पूंजी	--	--	0
88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	7515	--	7515
	पूंजी	--	--	0
89-संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	राजस्व	966545	501	967046
	पूंजी	9770	--	9770
90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	57625	--	57625
	पूंजी	--	--	-0
91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	209218	6	209224
	पूंजी	--	--	0
92-संस्कृति विभाग	राजस्व	60861	3	60864
	पूंजी	9202	--	9202
93-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	2916302	--	2916302
	पूंजी	413227	--	413227
94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	1623538	2546185	4169723
	पूंजी	5355814	26667	5382481
	योग	148303390	63859051	212162441
		48307677	73553157	121860834
	महायोग	196611067	137412208	334023275

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता-

मैं सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(सदन में निरन्तर घोर व्यवधान उत्पन्न होने के कारण श्री अधिष्ठाता ने 7 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 7 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।)

(7 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पुनः पीठासीन हुए।)

(श्री अधिष्ठाता महोदय के पीठासीन होते ही सदन की वेल में बैठे हुए सदस्यगण, श्री अधिष्ठाता के विरुद्ध नारे लगाने लगे तथा कागज के गोले व रिर्पोर्टस टेबुल पर लगे ट्यूब लाइट की कवर निकालकर पीठ की तरफ फेंकने लगे जिससे घोर व्यवधान/शोर उत्पन्न हो गया। विधान सभा के रक्षक श्री अधिष्ठाता की सुरक्षा करने का प्रयास करते रहे जिससे सदन में निरन्तर व्यवधान बना रहा।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान/शोर के मध्य)

वर्तमान मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता प्रतिपक्ष से मैं आग्रह करता हूं कि वह अविश्वास का प्रस्ताव रखें।

(विपक्ष के सदस्यगण नारे लगाते रहे तथा कागज के गोले, एजेण्डा आदि पीठ की तरफ फेंकते रहे।)

श्री मोहम्मद आजम खां, श्री प्रमोद कुमार, श्री कल्याण सिंह, श्री राम स्वरूप सिंह, श्री दीनानाथ कुशवाहा, श्री संजय गर्ग, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री राम नरेश यादव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रदीप

माथुर, श्री विजेन्द्र सिंह, श्रीमती लुईस खुर्शीद, श्री विवेक बंसल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री राम सेवक, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्री कौशल किशोर, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र तथा श्री आर0के0 चौधरी, कृपया अपने विचार रखें।

अविश्वास प्रस्ताव पर किसी ने अपने विचार नहीं रखे हैं, इसलिये मैं अब प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन वर्तमान मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(विपक्ष के अनेक सदस्य नारे लगाते हुए अधिष्ठाता महोदय के आसन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते रहे तथा कागज के गोले व अन्य सामग्री फेंकते रहे जिन्हें विधान सभा रक्षक यत्नपूर्वक रोके रहे।)

श्री अधिष्ठाता-

मैं सदन को 7.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 7 बजकर 23 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 7 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।)

(7 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(माननीय श्री अधिष्ठाता महोदय के पीठासीन होते ही विपक्ष के अनेक सदस्यों ने श्री अधिष्ठाता के आसन की ओर कागज के गोले किताबें और कागज आदि फेंकते हुए अध्यक्षासन की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहे जिन्हें रक्षकों के कठिन प्रयास करके रोक लिया किन्तु सदन में निरन्तर व्यवधान बना रहा।)

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा श्री अधिष्ठाता की ओर चावल और केले के छिलके फेंके गये।)

(शोर)

(सदन में घोर व्यवधान)

सदन का अनिश्चित काल के लिये स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यद सदन अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि सदन के अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित करने संबंधी जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है उससे सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राष्ट्रीय-गान

श्री अधिष्ठाता-

अब हम राष्ट्रगान गायेंगे।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अधिष्ठाता-

अब हम अनिश्चितकाल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 07 बजकर 32 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः
दिनांक 05 मार्च, 2003

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 196 विधान सभा (330)-13-10-2003-813 (डी0टी0पी0)।